तृतीय माला, खण्ड १४—अंक १९

शुक्रवार, १५ मार्च, १९६२
२४ फाल्गुन, १८८४ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(चौथा सत्र)

3rd Lok Sabha

(खण्ड १४ में अंक ११ से अंक २० तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया (देश में)

चार शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न* संख्या ४०९ से ४१४, ४१६ और ४१८ से ४२५ .	१७५१—७५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ४१५, ४१७ और ४२७ . .	१७७६
अतारांकित प्रश्न संख्या ७६७ से ८०२, ८०४ और ८०५	१७७६—९३
निधन संबंधी उल्लेख	१७७४
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१७९४–९५
राज्य सभा से संदेश	१७९५
भारतीय उत्प्रवास (संशोधन) विधेयक—	१७९५
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया	
लोक लेखा समिति	१७९५
आठवां प्रतिवेदन	
सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा	१७९६ –१८२४
श्री मोरारका	१७९६–९७
श्री ज० ब० सिंह	१७९८–१८०३
श्री नाथ पाई	१८०३ –०६
श्री पें० वेंकटासुब्बैय्या	१८०६ ०७
श्री म० ला० द्विवेदी	१८०७—१६
श्री काशी राम गुप्त	१८१६
श्री शं० ना० चतुर्वेदी	१८१६—१८
श्री ब० रा० भगत	१८१८—२३
श्री उ० मू० त्रिवेदी	१८२३–२४
संघ राज्य क्षेत्र विधेयक के बारे में	१७९७—९८
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति— .	१८२४
पन्द्रहवां प्रतिवेदन	

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा

शुक्रवार, १५ मार्च, १९६३

---

२४ फाल्गुन, १८८४ शक

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

(**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए)

प्रश्नों कें मौखिक उतर

अमरीका को भारतीय कपड़े का निर्यात

+

†*४०९. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री योगेन्द्र झा :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री बड़े :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री दाजी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री कजरोलकर :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री शिवाजीराव शं० देशमुख :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री मुहम्मद इलियास :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने अमरीकी सरकार से उस देश को होने वाले भारतीय कपड़े के निर्यात की सीमा में ढ़ील देने का प्रस्ताव किया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव पर अमरीकी सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : अमरीकी सरकार ने उस देश को होने वाले भारतीय कपड़े के निर्यात के लिए कुछ सीमा रखने का प्रस्ताव किया है। ब्यौरे अभी तक उनके विचाराधीन हैं।

†**श्री सुबोध हंसदा** : गत कुछ वर्षों से हुई विदेशी मुद्रा की कमी को ध्यान में रखते हुए यह बात पहले क्यों नहीं उठाई गई तथा आपातकाल की घोषणा के तुरन्त पश्चात् ही यह बात क्यों उठाई गई ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह हमारी शक्ति से परे है कि हम किसी विदेशी सरकार को कोई ऐसा प्रतिबन्ध लगाने से रोकें जिसे वे अपने देश के हित में लगाना पसन्द करें।

†**श्री सुबोध हंसदा**: अमरीका को इस समय निर्यात किये जाने वाले कपड़ों में से कौनसा इस समय उस देश में बहुत लोकप्रिय हो गया है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : चार किस्में हैं। वास्तव में, हम इन प्रतिबन्धों के विषयों में बहुत चिन्तित हैं क्योंकि उस समय जबकि हमारे कपड़ों का मण्डियों में भारी मात्रा में निर्यात होता था, जैसे कि अमरीका में जहां कि उसकी खपत हो सकती है अब हमें इन प्रतिबन्धों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिये हमने आवश्यक अभ्यावेदन किये हैं। परन्तु क्योंकि यह विश्वव्यापी प्रश्न है, अमरीका भी अपने को कुछ असहाय पाता है कि इन प्रवर्गों में उन्हें कुछ अवरोध रखना पड़ रहा है।

†**श्री बड़े** : क्या यह सच है कि हैंड-वोवन क्लाथ अमरीका में ज्यादा प्रेफेर किया जाता है ? यदि हां, तो क्या शासन ने इसकी इम्पोर्ट में ढिलाई देने के सम्बन्ध में अमरीका से कोई चर्चा की है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : हैंड-वोवन फैब्रिक्स पर रेजिस्ट्रेशन नहीं है। ब्लीडिंग मद्रास और हैंड-वोवन क्लाथ बिना किसी रजिस्ट्रेशन के युनाइटिड स्टेट्स में जाते हैं और जाते रहेंगे।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या यह सच है कि अमरीका को हमारे कपड़ों का निर्यात दो अथवा तीन वर्ष पूर्व के ३२० लाख गज वार्षिक से घट कर इस समय लगभग ७० लाख गज हो गया है। और क्या यह भारी गिरावट अमरीका द्वारा लगाये गये उन प्रतिबन्धों के कारण है जिन्हें उसने इस आधार पर लगाया है कि हम उनके कपड़ा उद्योग को हानि पहुंचा रहे हैं।

†**श्री मनुभाई शाह** : जी, नहीं। यह इस प्रकार है। माननीय सदस्य का यह कथन कि निर्यात पहले अधिक था, सच है। १९५८–५९ में निर्यात लगभग ३०० से ३५० लाख गज का था परन्तु अगले दो वर्षों में, अर्थात् १९६० और १९६१ में यह बहुत गिर गया और लगभग ९० लाख गज हो गया। फिर, गत वर्ष, अर्थात् १९६२ में, यह काफी बढ़ा और ३५० लाख गज से अधिक हो गया। अब, अमरीकी नियमों के अधीन यही वह वर्ष हैं जिन्हें आधार वर्ष माना जा रहा है और, इसलिये, कठिनाई यह है कि वे भारत के साथ अन्य शेष देशों के लिये आधार से भिन्न किसी आधार पर व्यवहार नहीं कर सकते।

श्री कछवाय : अभी मन्त्री महोदय ने बताया कि दूसरे देशों से कपड़ा अमरीका में जाता है और हमारे कपड़े का निर्यात कम हो गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या दूसरे देशों के कपड़े की तुलना में हमारा कपड़ा हलका दिखाई देता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री मनुभाई शाह : मैंने यह नहीं कहा । मैंने यह कहा था कि और मुल्कों का भी कपड़ा वहां जाता था और उनकी निगाह में इस वजह से उनकी टैक्सटाइल मिलों के उत्पादन को धक्का लग रहा था । हम तो यह नहीं मानते हैं कि इसमें धक्का लगने की कोई बात है । अमरीका में ११,००० मिलियन यार्ड्ज़ कपड़े का उत्पादन होता है और इस अवस्था में पचास, सौ, दो सौ, ढाई सौ मिलियन यार्ड्ज़ कपड़ा अगर बाहर से वहां चला गया, तो उससे ज्यादा झगड़ा नहीं होना चाहिए लेकिन यह उनका विचार है । उनकी समझ में उनकी इकानोमी को इससे धक्का पहुंचता है । इसलिए जो मुल्क वहां पर कपड़ा एक्सपोर्ट करते थे, उन सब पर वे रस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं ।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : क्या अमरीकी सरकार ने भारत सरकार को यह सूचित कर दिया है कि यह जो प्रतिबंन्ध उन्होंने लगाया है वह अस्थायी होगा अथवा स्थायी और क्या इस प्रकार का प्रतिबन्ध अन्य देशों पर भी लगाया गया है अथवा नहीं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : प्रश्न के अन्तिम भाग का पहले उत्तर देते हुए मैं यह कहूंगा कि यह प्रतिबन्ध उन सब देशों पर लगाये जा रहे हैं जो विभिन्न प्रकार के वस्त्र निर्यात कर रहे हैं, और जिससे उनकी राय में अमेरिका की मण्डी में गड़बड़ी होने की सम्भावना है । वे एक विशेष आधार पर समान रूप से लगाये गये हैं । प्रश्न के पहले भाग के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि सब प्रतिबन्ध केवल अस्थायी रूप के ही हो सकते हैं । उनका पुनर्विलोकन होना चाहिये । परन्तु यह करना सम्बन्धित विदेशी सरकार का कार्य है, हमारा नहीं । हम आशा करते हैं कि यह अस्थायी रूप का ही होगा ।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या यह सच है कि अमरीकी सरकार भारत से उस देश को होने वाले वस्त्र निर्यात को जनेवा वस्त्र करार की शर्तों के अनुसार २०० लाख से २५० लाख गज तक सीमित करने का प्रयत्न कर रही है, और यदि हां, तो क्या भारत ने भी उस करार में भाग लिया था ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जनेवा करार अथवा दीर्वकालीन करार जैसा कि उसे कहा जाता था वास्तव में व्यापार के सार्वभौमिक उदारीकरण के सिद्धान्त पर आधारित था और संसार के व्यापार के उदारीकरण का जो पहला फल निकला है वह यह है कि अमेरिका जैसे बड़े देश ने प्रतिबन्ध लगा दिये हैं, जो कि दीर्वकालीन करार का सबसे कम महत्वपूर्ण अंश था ।

भारी विद्युत् उपकरण कारखाने

\+

†*४१०. **श्री रा० गि० दुबे** :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री कजरोलकर :
श्री लक्ष्मी दास :
श्री महेश्वर नायक :
श्री बसु मतारी :
श्रीमती लक्ष्मी बाई :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (१) हरिद्वार और (२) हैदराबाद में भारी विद्युत् उपकरण कारखानों की स्थापना के बारे में कितनी प्रगति हुई है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या विदेशी विशेषज्ञों की सहायता लेने से पहले कठिन संधारण समस्याओं के बारे में अपने कर्मचारियों से सुझाव मांगे गये थे ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

परियोजनाओं को क्रियान्वित करने की दिशा की ओर पहला कदम यह उठाया गया था कि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों को तैयार करने के लिये, क्रमशः, मैसर्स प्रोम्याशएक्सपोर्ट, मास्को और मैसर्स टैक्नोएक्सपोर्ट, प्रेग को ठेके दे दिये गये हैं । हरिद्वार परियोजना के लिये परियोजना प्रतिवेदन की मई, १९६३ में प्राप्त हो जाने की आशा है; हैदराबाद संयंत्र के लिये परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है और उस पर विचार किया जा रहा है ।

२. संयंत्रों तथा टाउनशिप्स के लिये अपेक्षित भूमि अर्जित कर ली गई है । परियोजना स्थलों पर कुछ प्रारम्भिक कार्य प्रगति कर रहे हैं, जिन में कारखाने के क्षेत्रों को समतल बनाना, रेलवे साइडिंग्स, सड़कें, शिल्पकारों के स्कूलों, कर्मशालाओं, हास्टल्स तथा कुछ आवासिक क्वार्टर्स का निर्माण और विद्युत् संभरण परियोजनायें सम्मिलित हैं ।

३. क्योंकि परियोजनायें निर्माण की प्रारम्भिक अवस्थाओं में हैं, अतः विदेशी विशेषज्ञों की सहायता लेने से पहले कठिन संधारण समस्याओं के बारे में अपने कर्मचारियों से सुझाव मांगने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

†**श्री रा० गि० दुबे** : हरिद्वार तथा भोपाल के कारखाने के लिये भी कुल परिकल्पित पूंजी कितनी है ?

†**श्री प्र० चं० सेठी** : कुल परिकल्पित पूंजी रामाचन्द्रापुरम् के लिये ३५ करोड़ १६ लाख ५० हजार तथा हरिद्वार के लिये ४० करोड़ है ।

†**श्री रा० गि० दुबे** : क्या इसी प्रकार का उत्पादन किया जायेगा जैसा कि भोपाल में किया जाता है अथवा वहां कुछ भिन्नतायें होंगी ?

†**श्री प्र० चं० सेठी** : हरद्वार में के उत्पादन कार्यक्रम में स्टीम टरबो जेनरेटर्स, हाइड्रौलिक जेनरेटर्स, भारी तथा बीच के आकार के आल्टरनेट करेंट तथा डाइरेक्ट करेंट इलैक्ट्रिक मोटर्स, स्टीम टरबाइन्स, हाइड्रौलिक टरबाइन्स सम्मिलित होंगे, जब कि रामाचन्द्रापुरम के उत्पादन कार्यक्रम में १२,००० तथा २५,००० किलोवाट के स्टीम टरबाइन्स तथा ३,००० टन की क्षमता वाली केप्टिव फाउन्डरी सम्मिलित होगी ।

†**श्री पें वेंकटासुब्बया** : जहां तक हैदराबाद का सम्बन्ध है, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या निर्माण किये जाने वाले सैट्स का आकार निश्चित कर लिया गया है और यदि ऐसा है, तो वहां उत्पादन वास्तव में कब प्रारम्भ हो जायेगा ?

†**श्री प्र० चं० सेठी** : असैनिक कार्य प्रगति कर रहे हैं । जहां तक उत्पादन कार्यक्रम का सम्बन्ध है, ५००० किलोवाट के दस तथा २५,००० किलोवाट के २० का उत्पादन करना परिकल्पित किया गया था । परन्तु पुनः विचार करने के पश्चात् निर्माण का एक पुनरीक्षित कार्यक्रम

---

†मूल अंग्रेजी में

परिकल्पित किया जा रहा है । यह लगभग १ लाख किलोवाट तथा १ लाख २० हज़ार किलोवाट स्टीम टरबाइन्स होगा ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : यह दोनों कारखाने कब कार्य करना प्रारम्भ कर देंगे तथा विदेशी मद्रा के रूप में कितने धन की बचत होगी ?

†**श्री प्र० चं० सेठी** : इन में १९६५–६६ तक उत्पादन प्रारम्भ होने की आशा है और शनैः शनैः हम अपनी देश की मांग को पूरा कर सकेंगे ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : जब इन कारखानों में उत्पादन प्रारम्भ हो जायेगा, तो दोनों कारखानों में कितने कितने रुपयों की वस्तुओं का उत्पादन होगा ?

†**श्री प्र० चं० सेठी** : इस समय यह बताना कठिन है कि रुपयों में उसका मूल्य कितना होगा ।

†**डा० क० ल० राव** : हमें यह बताया गया है कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में ५० करोड़ रुपये के मूल्य से अधिक के बीच के आकार के टरबो जेनरेटर प्लान्ट्स की आवश्यकता होगी । हम यह आसानी से इस देश में बना सकते हैं । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने इन बीच के आकार के प्लान्ट्स का हैदराबाद में निर्माण करने के लिये कोई विशेष कदम उठाये हैं जिससे कि यह सुनिश्चित हो कि यह प्लान्ट्स उत्पादन प्रारम्भ कर दें ताकि इतनी विदेशी मुद्रा बचाई जा सके ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह तो कार्य के लिए एक सुझाव है ।

†**श्री महेश्वर नायक** : परियोजना प्रतिवेदनों को तैयार करने के लिये विदेशी सार्थों को ठेका क्यों दिया गया है ? क्या हमारे देश में विशेषज्ञ पर्याप्त नहीं हैं ? जहां तक इन ठेकों का सम्बन्ध है कितनी विदेशी मद्रा व्यय की जानी है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इतने प्रश्न नहीं ।

†**श्री प्र० चं० सेठी** : रामाचन्द्रापुरम् के लिये परियोजना प्रतिवेदन ज़ैकोस्लोवाकिया द्वारा तथा हरिद्वार के लिये रूस द्वारा तैयार किया जाना है क्योंकि वे ऐसा करने के लिये सक्षम हैं तथा हमें प्रविधिक जानकारी नहीं है । जहां तक विदेशी मुद्रा का सम्बन्ध है, हरिद्वार के लिये यह १८ करोड़ है । जहां तक रामाचन्द्रापुरम् के लिये विदेशी मुद्रा का सम्बन्ध है, मैं इसे इस समय नहीं बता सकता ।

†**श्री हेडा** : एक समय हैदराबाद के लोगों की बुद्धि में यह आशंका थी कि परियोजना का कार्य छोड़ दिया जायेगा । उसका क्या कारण था, क्या भूमि को अर्जित करने में अथवा विद्युत् प्राप्त करने में अथवा अन्य किसी बात में कोई कठिनाई थी ?

†**श्री प्र० चं० सेठी** : भूमि अर्जित करने में कोई कठिनाई नहीं हुई । वास्तव में भूमि अर्जित कर ली गई है तथा जहां तक टाउनशिप तथा भवन के कार्य का सम्बन्ध है वह प्रगति कर रहा है । वहां एक स्कूल का भी निर्माण किया जा रहा है । यह आशंका इस बात के कारण थी कि हमें उत्पादन कार्यक्रम के आकार के सम्बन्ध में पुनर्विचार करना पड़ा था ।

श्री यशपाल सिंह : वहां पर मेनटेनैंस प्राबलम टेक्नीशन्ज़ की कमी की वजह से है या इस वजह से है कि पूरा सामान इम्पोर्ट नहीं हो रहा है ?

श्री प्र० चं० सेठी : अभी यह प्लांट बनाने का प्रारम्भिक काम ही पूरा नहीं हुआ है । इसलिए मेनटेनैंस का सवाल ही कहां पैदा होता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : अब, अगला प्रश्न । श्री दीवन चन्द्र शर्मा ।

†**श्री बड़े** : मैं दो अथवा तीन बार खड़ा हुआ और मैं भोपाल की हैवी इलेक्ट्रीकल्स फैक्टरी के सम्बन्ध में एक अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता था । वह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था ।

†**अध्यक्ष महोदय** : कभी कभी निराशायें भी होती हैं । अब अगला प्रश्न । प्रश्न संख्या ४१२, श्री वैंकटासुब्बया ।

†**श्री मनुभाई शाह** : (क) जी नहीं; (ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री ने किस प्रश्न का उत्तर दिया है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : मैंने प्रश्न संख्या ४११ का उत्तर दिया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : परन्तु श्री दीवनचन्द शर्मा तो प्रश्न पूछने के लिये खड़े ही नहीं हुए ।

†**श्री म० ला० द्विवेदी** : वह खड़े हुए थे, और उत्तर भी दिया गया था ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या मेरे आंखें, कानों और मेरी बुद्धि ने मुझे धोखा दिया है ? मैंने श्री दीवनचन्द शर्मा को बुलाया और वह खड़े नहीं हुए और तब मैंने अगले प्रश्न के लिये कहा ।

†**एक माननीय सदस्य** : उन्हें बुलाया गया था और उन्होंने अपना सिर हिला दिया था ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : यदि मैं स्वप्न में भी आप की आवाज सुनता हूं तो मैं खड़ा हो जाता हूं ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : कदाचित् उनके आकार के कारण उन्हें खड़ा हुआ नहीं देखा जा सका ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या मैं यह स्वीकार कर लूं कि वह खड़े हुए थे और मैं ने उन्हें नहीं देखा । ठीक है, वह अब अपना प्रश्न पूछ सकते हैं ।

गुड़ के वायदा व्यापार पर प्रतिबन्ध

†*४११. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार के समस्त देश में गुड़ के वायदा व्यापार पर प्रतिबन्ध लगाने के निर्णय के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश के गुड़ तथा खांडसारी के व्यापारियों में घबड़ाहट फैल गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कदम उठाने का विचार है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : वायदा व्यापार पर यह प्रतिबन्ध क्यों लगाया गया था और इसे जारी रखने के सामाजिक तथा आर्थिक कारण क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह** : जैसा कि सभा को ज्ञात है, हाल ही में चीनी के सम्बन्ध में स्थिति बिगड़ती रही है और क्योंकि गुड़ के मूल्य बढ़ रहे थे, उचित अध्ययन के पश्चात् सरकार को यह एक संदेह हुआ कि यह सम्भव हो सकता है कि गुड़ के वायदा व्यापार के कारण ही चीनी के मूल्यों में वृद्धि हो रही हो जिसके कारण कि गन्ना चीनी बनाने के बजाय गुड़ बनाने को दिया जाता है और यही कारण था कि प्रतिबन्ध लगाया गया ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : इस देश में गुड़ का कुल उत्पादन कितना है और किस प्रकार तथा किस ढंग से यह गन्ने तथा चीनी के विक्रय पर प्रभाव डालता है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : वास्तव में यहां पक्के आंकड़े तो नहीं हैं परन्तु यह लगभग ५० से लेकर ६० लाख टन तक होता है, चीनी के उत्पादन का लगभग दूना । यह तो स्पष्ट ही है कि यदि एक ही कच्चे माल का उपयोग करने के दो साधन हों तो उद्यमकर्ता अथवा उत्पादक उस साधन को अपनायेगा जिससे कि उसे अधिक मूल्य मिले ।

जापान को लौह-अयस्क का निर्यात

†*४१२. **श्री पें० वेंकटासुब्बया :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री मरंडी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री महेश्वर नायक :
श्री बसु मतारी :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हमारे देश के विभिन्न भागों में जापान को लौह-अयस्क का निर्यात करने के लिये उपलब्ध सुविधाओं का अध्ययन करने के हेतु एक जापानी प्रतिनिधिमण्डल भारत आया है; और

(ख) क्या इस दल द्वारा सरकार को कोई प्रतिवेदन दिया जायेगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) उड़ीसा के लिये एक जापानी सर्वेक्षण दल नवम्बर, १९६२ में भारत आया था और उड़ीसा में लौह अयस्क के मिलने की सम्भावनाओं का मौके पर अध्ययन करके, विशेष रूप में, परादीप से--जोकि गहरे समुद्री पत्तन के रूप में विकसित किया जा रहा है-----भारी मात्रा में लौह अस्यक का निर्मात करने का अध्ययन करके, जापान लौट गया है ।

(ख) उनके प्रतिवेदन के शीघ्र ही मिल जाने की आशा है ।

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया** : क्या आवश्यकताओं का कोई मूल्यांकन कर लिया गया है और यदि हां तो आवश्यकतायें कितनी हैं और हमारा देश जापान की मांगों की किस प्रकार पूर्ति करेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह** : किसकी आवश्यकतायें ?

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया** : जापानियों की ।

†**श्री मनुभाई शाह** : जापान की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करना हमारा कार्य नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या उन्होंने बताया है कि वे क्या चाहते हैं, और हम किस प्रकार सम्भरण कर सकते हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : हमने पूरा पूरा मूल्यांकन कर लिया है और—१९७०–७१ तक हम जापान को और शेष संसार को २५० लाख टन से ३०० लाख टन के बीच किसी भी मात्रा में संभरण कर सकते हैं ।

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया** : क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम जो कि मुख्य रूप से लौ-अयस्क के क्रय का कार्य कर रहा है छोटे छोटे खान-मालिकों के सम्मुख लौह-अयस्क के निर्यात के लिये सब प्रकार की कठिनाइयां खड़ी कर रहा है, और यदि हां, तो क्या माननीय मन्त्री के ध्यान में यह बात लाई गई है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह बात दूसरी तरह से है । जब से लौह-अयस्क के व्यापार का राष्ट्रीयकरण हुआ है, केवल मात्राओं में वृद्धि नहीं हुई, अपितु दीर्घ-कालीन योजना भी बनाना सम्भव हो सका है जिसमें ५ से लेकर सात वर्षों की अवधि में कुछ कम अथवा अधिक २५० करोड़ रुपये का विनियोजना होगा ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या यह सच है कि लौह अयस्क के लिये प्रशुल्क की ऊंची दरों के कारण वे निर्यातकों के लिये आर्थिक रूप में लाभदायक नहीं हैं और यदि हां, तो इन प्रशुल्क दरों को कम करने के लिए, ताकि निर्यातों की लागत कम हो सके, सरकार क्या कदम उठा रही है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : वास्तविक समस्या अथवा वास्तविक अड़चन भाड़े की दरों से अधिक परिवहन क्षमता है । यह सच है कि हाल के कुछ वर्षों में लौह अयस्क का मूल्य गिर गया है, और लौह अयस्क के भाड़े तथा अन्य व्ययों को कम करने तथा उनके सुव्यवस्थाकरण के मामले पर हमें पुनर्विचार करना होगा । जब अवसर आयेगा, जैसा कि पीछे आया था, तो सरकार इस मामले पर रेलवे मन्त्रालय से बात करेगी ।

†**श्री दो० चं० शर्मा** : क्या लौह-अयस्क की यह खानें राज्य निगमों द्वारा चलाई जाती हैं अथवा केन्द्रीय निगम द्वारा ? यदि राज्य निगम द्वारा, तो उस नियम द्वारा उड़ीसा सरकार को कितना स्वामित्व दिया जाता है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : अधिकतर खानें गैर-सरकारी लोगों द्वारा चलाई जाती हैं । इसके केवल विदेशी व्यापार भाग का राष्ट्रीयकरण किया गया है । उड़ीसा खनन निगम जैसी कुछ राज्य निगमें हैं । महाराष्ट्र सरकार एक निगम प्रारम्भ कर रही है । मैसूर सरकार ने एक प्रारम्भ कर दी है । वे खनन भी करते हैं ।

†**श्री महेश्वर नायक** : जहां तक मैं जानता हूं, जापान तथा भारत के बीच करार है. . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्हें उसके सम्बन्ध में पूछना चाहिये जिसे वे नहीं जानते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री महेश्वर नायक** : जहां तक मुझे ज्ञान है, एक करार है, परन्तु मुझे यह निश्चय नहीं कि यह दीर्घकालीन है अथवा अल्पकालीन । क्या यह ऐसा है कि सरकार उस करार के होते हुए भी एक दूसरा नया करार कर रही है ? क्या यहां खनन सुविधाओं के सुधार तथा विकास के लिये जापान सरकार कोई सुविधायें देने का प्रस्ताव कर रही है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जापान के साथ अनेक दीर्घकालीन करार हैं । माननीय सदस्य यह ठीक ही कहते हैं । वे तीस लाख टन से लेकर ६० लाख टन प्रतिवर्ष तक के हैं । यह किरिबुरु, बलाडिला, होसपैट तथा अन्य दूसरे स्थानों के बारे में है । यह उड़ीसा के देतारा, टोमका और नयागढ़ क्षेत्रों का एक नया विकास है । परादीप को बड़े पत्तन के रूप में विकसित करने का भी एक प्रश्न है । यदि यह कार्य जापानियों के साथ नये ठेकों के अधीन हो जाते हैं, तो हम उस पत्तन से २० लाख से १०० लाख टन तक निर्यात प्रतिवर्ष कर सकेंगे ।

†**श्री रा० शि० पाण्डेय** : क्या जापानी प्रतिनिधिमण्डल ने मध्य प्रदेश का भी दौरा किया था और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : उसने मध्य प्रदेश का दौरा नहीं किया । वह विशेष रूप से इन्हीं दो क्षेत्रों में अनुसन्धान कार्य करने के लिये आया था जहां कि लौह-अयस्क बहुतायत से मिलता है और जिसकी परादीप पत्तन से अच्छी निकासी है ।

†**श्री रा० गि० दुबे** : क्या सरकार बार बार पत्तन से लौह-अयस्क के निर्यात को सुविधा देने की दृष्टि से होसपैट से हुबली तक एक बड़ी रेलवे लाइन बनाने के सुझाव पर विचार कर रही है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह तो एक भिन्न प्रश्न है ।

†**डा० रानेन सेन** : कुछ दिन पूर्व, एक अमरीकी पत्रिका में एक समाचार प्रकाशित हुआ था कि गोआ की स्वतन्त्रता के पश्चात् गोआ से जापान को लौह-अयस्क का निर्यात गिर गया है । क्या यह सच है ? यदि नहीं, तो गोआ से जापान को लौह अयस्क के निर्यात की क्या स्थिति है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यद्यपि यह प्रश्न मूल प्रश्न से नहीं उठता फिर भी, आपकी अनुमति से, मैं इसका उत्तर दूंगा । यह सच है कि स्वतन्त्रता से तीन महीने पूर्व, चाहे किन्हीं भी कारणों से जो कि हमें ज्ञात नहीं हैं परन्तु जिनके लिये केवल पुर्तगाली प्रशासन ही उत्तरदायी था, लौह अयस्क का निर्यात कम हो गया था । स्वतन्त्रता के पश्चात् वह फिर से बढ़ गया । हाल ही में, गत तीन महीनों में, जापान के इस्पात कारखानों में संकट के कारण, केवल गोआ से ही नहीं अपितु भारत के शेष पत्तनों से भी तथा संसार के अन्य भागों से भी जापान द्वारा इसका आयात फिर से कम हो रहा है ।

श्री यशपालसिंह : इमरजेंसी को देखते हुए क्या यह मुनासिब नहीं होगा कि निर्यात को बन्द करके आयात की तरफ ध्यान दिया जाये और ६ महीने के लिए आप तांबे का रिजर्व रखें ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह तो कार्य के लिये एक सुझाव है ।

†**श्री विश्राम प्रसाद** : माननीय मन्त्री ने अभी बताया था कि जापान को २५० लाख टन लौह अयस्क का निर्यात किया जायेगा । इस निर्यात से हम कितनी विदेशी मुद्रा कमा लेंगे ।

†**श्री मनुभाई शाह** : मैंने यह नहीं कहा कि २५० लाख टन जापान को निर्यात किया जायेगा । यह हमारे लौह अयस्क के समस्त देशों को सारे निर्यात के सम्बन्ध में है । यह सब मूल्यों पर निर्भर करेगा । इसको टन-भार से गुणा करने पर आंकड़े निकल आयेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री श्यामलाल सर्राफ** : हमारे लौह-अयस्क के निर्यात को अन्य देशों के निर्यात से जिस बढ़ती हुई प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा है उसको ध्यान में रखते हुए, हमारे लौह अयस्क को विदेशी मण्डियों में निर्यात योग्य बनाने तथा उसकी वहां अधिक खपत कराने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह एक बहुत सुसंगत प्रश्न है । परन्तु हम भाग्यशाली हैं कि कुछ भागों में हमारे लौह-अयस्क का निर्यात बहुत उत्तम तथा अधिक है । इसलिये, हम सर्वदा ही अपने अयस्क का निर्यात कर सकते हैं । एक यातायात प्रणाली बनाने के लिये, जहां रेलें नहीं हैं वहां रेलों से मिलाने के लिये तथा उन पत्तनों का विकास करने के लिये जहां से निर्यात किया जाता है, उचित सड़कों का निर्माण करने के लिये सब प्रकार के कदम उठाये जा रहे हैं । विश्व बैंक के एक दल ने यह मन्त्रणा दी थी कि किस प्रकार प्रत्येक पत्तन का विकास किया जाये । इन सब बातों का ध्यान रखा जा रहा है, और २५० लाख टन के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये सरकार बहुत शीघ्र ही लौह-अयस्क के विभिन्न निक्षेपों के भारी विकास तथा परिवहन के सम्बन्ध में एक प्रतिवेदन पर विचार करेगी ।

†**डा० सरोजिनी महिषी** : जापानी विशेषज्ञ दल ने किस उद्देश्य को लेकर भारत में लौह-अयस्क की स्थिति का अध्ययन किया था ?

†**श्री मनुभाई शाह** : परिवहन,पत्तनों, लौह-अयस्क, खनन, विद्युत्शक्ति का विकास, कोयले का विकास तथा मीन क्षेत्रों के विकास के सम्बन्ध में १९ विशेषज्ञ थे ।

†**डा० सरोजिनी महिषी** : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

औजारी तथा धातु मिश्रित इस्पात कारखाना

†*४१३. { **श्री यशपाल सिंह** :
श्री मुरारका :
श्री कजरोलकर :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर में स्थापित होने वाले कारखाने के अतिरिक्त कोई और औजारी धातु-मिश्रित इस्पात कारखाना रूस की सहायता से स्थापित करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र में दूसरा औजारी तथा धातु मिश्रित इस्पात कारखाना स्थापित होने की सम्भावना पर प्रारम्भिक विचार हो रहा है और उस सम्बन्ध में इसके लिए रूसी सहायता की प्राप्ति का भी प्रयास किया जायेगा ?

श्री यशपाल सिंह : इसके लिये किस स्टेट की तजवीज़ की जा रही है ? कहां लोकेशन कर रहे हैं ?

श्री प्र० चं० सेठी : अभी तो बहुत प्रारम्भिक अवस्था में है । इस पर विचार हो रहा है । अभी उसके लोकेशन को तय करने का प्रश्न नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री यशपाल सिंह : क्या मैसूर में भद्रावती में यह अच्छा नहीं होगा डिफ़ेन्स परपज़ेज के लिए ?

श्री प्र० चं० सेठी : मैसूर में तो एक योजना है ७७,००० टन की।

†**श्री अ० प्र० जैन :** हमारी मिश्रित धातु की आवश्यकता हमारे उत्पादन से लगभग १५०,००० टन अधिक है। इस अभाव की पूर्ति के लिए सरकार की क्या योजनाएं हैं ताकि हम मिश्रित धातुओं में स्वावलम्बी हो जायें ?

†**श्री प्र० चं० सेठी :** हमने ग़ैर-सरकारी क्षेत्र में लगभग २२ व्यक्तियों को लाइसेन्स दिए हैं। गैर-सराकारी क्षेत्र की लाइसेन्स कृत कुल क्षमता ३९१,००० टन है। इसके अतिरिक्त हमारा दुर्गापुर में भी एक कार्यक्रम है जो लगभग ६०,००० टन होगा और मैसूर में एक उत्पादन कार्यक्रम है जो लगभग ७७,००० टन होगा। फिर प्रतिरक्षा मंत्रालय भी असैनिक उपयोग के लिए ५७,००० टन देने का विचार कर रहा है।

†**श्री मुरारका :** क्या यह सच नहीं है कि एक जर्मन फर्म ने भी भारत में रूरकेला में एक मिश्रित धातु औजार इस्पात संयंत्र स्थापित करने में रुचि व्यक्त की है ?

†**श्री प्र० चं० सेठी :** इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है।

ऋण गारंटी योजना

\+

†*४१४. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री बड़े :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६० में लागू की गयी ऋण गारंटी योजना के अन्तर्गत कैसा काम हुआ ;

(ख) क्या उसका प्रयोग काल समाप्त हो गया है ; और

(ग) इस योजना से कौन से छोटे औद्योगिक उपक्रमों को लाभ हुआ है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) ऋण गारंटी योजना का कार्य पिछले दो वर्षों में समूचे रूप से सन्तोषजनक रहा है।

(ख) जी हां, १ जनवरी, १९६३ में योजना स्थायी रूप से समूचे देश में लागू कर दी गई है।

(ग) उन उद्योग का साधारण वर्गीकरण दर्शाने वाला एक विवरण, जिन्हें योजना से लाभ मिला है, पटल पर रखा जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

१. पेय उद्योगों सहित खाद्य निर्माण उद्योग ।
२. तम्बाकू निर्माता ।
३. कपड़ा निर्माण ।
४. जूतों, अन्य पहनने की वस्तुयें और बनी कपड़े की वस्तुयें ।
५. फर्नीचर तथा जुआर सहित काष्ठ तथा कार्क का निर्माण ।
६. कागज़ तथा कागज उत्पादों का निर्माण ।
७. मुद्रण प्रकाशन तथा संबंधित उद्योग ।
८. चमड़ा तथा चमड़ा और फर उत्पादों का निर्माण ।
९. रबड़ उत्पादों का निर्माण ।
१०. रसायनों तथा रसायन उत्पादों का निर्माण ।
११. पेट्रोलियम तथा कोयला उत्पादों के अतिरिक्त अधात्विक खनिज उत्पादों का निर्माण ।
१२. मूल धातु उत्पाद ।
*१३. धातु उत्पादों का निर्माण ।
१४. विद्युत् मशीन यंत्रों, पुर्ज़े और संभरण सहित मशीनों का निर्माण ।
१५. परिवहन सामग्री तथा पुर्जों का निर्माण ।
१६. विभिन्न वस्तु निर्माण उद्योग — जैसे शल्य चिकित्सा तथा वैज्ञानिक उपकरण, घड़ियां, लेखन सामग्री, खिलौने, अनूठी तथा उपहार वस्तु, आदि ।

†**श्री स० चं० सामन्त :** बैंकों के अतिरिक्त किन अन्य ऋण संस्थाओं को सरकार ने छोटे पैमाने के उद्योगों को ऋण देने के लिये प्रोत्साहन दिया था ?

†**श्री कानूनगो :** राज्य वित्त निगम सहकारी बैंक, औद्योगिक विनियोग निगम और वास्तव में कोई भी ऋण संस्था गारंटी योजना से लाभ उठा सकती है । अभी तक, इन संस्थाओं ने लाभ उठाया है ।

†**श्री स० चं० सामन्त :** इसी बीच रिज़र्व बैंक ने इस ऋण संस्थाओं को हुई हानियों के कितने भाग के लिये गारंटी दी ?

†**श्री कानूनगो :** अभी तक ऋण गारंटी देने का कोई मामला ही नहीं हुआ है क्योंकि यह केवल उत्तरदायित्व पूरा न करने पर दी जाती है ।

†**श्री सुबोध हंसदा :** इस योजना के अन्तर्गत ऋण देने के लिये क्या शर्तें हैं ?

†**श्री कानूनगो :** वित्तीय व्यवस्था करने वाली संस्था को परियोजना की ऋण योग्यता के बारे में स्वयं सन्तुष्ट होना पड़ता है । इसका अर्थ है, ऋण कुछ आस्तियों पर दिया जा सकता है ।

श्री म० ला० द्विवेदी : छोटे उद्योगों का जो स्माल स्केल इंडस्ट्रीज़ बोर्ड है उस ने बतलाया है कि किन छोटे उद्योगों ने फ़ायदा उठाया है और उन की सूची टेबल पर भी रक्खी गई है । स्माल स्केल इंडस्ट्रीज़ बोर्ड का कहना है कि छपाई का जो उद्योग है उस को लो प्रायारिटी दी गई है । मैं जानना चाहता हूं कि इस का क्या कारण है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री कानूनगो : जो प्रिंटिंग इंडस्ट्री है उसके लिए कई स्टेट गवर्नमेंट्स ने कहा है कि वह काफ़ी बढ़ रही है और उसके लिये कोई ख़ास मदद करने की ज़रूरत नहीं है।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** क्या यह सच है कि उद्योग पुनःव्यवस्था निगम ने अपनी ब्याज की दर ५ प्रतिशत से बढ़ाकर ५ १/२ प्रतिशत कर दिया है ; और यदि हां, तो क्या यह भारत सरकार की अनुमति से किया गया है ?

†**श्री कानूनगो :** मुझे यह पता नहीं है ।

श्री बड़े : क्या यह सच है कि रिफ़ाइनेन्स कारपोरेशन को जितना पैसा देना चाहिये था उतना पैसा दिया नहीं गया है ? चूंकि इमर्जेन्सी का पीरियड है इसलिए कम पैसा दिया गया है ?

श्री कानूनगो: पैसे की कोई लिमिट नहीं है। गारन्टी स्कीम है और उस गारन्टी स्कीम पर बैंक पैसा दे सकते हैं। जब डिफाल्ट होगा तो रिज़र्व बैंक उस का एक हिस्सा पूरा करेगा।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या माननीय मंत्री को विदित है कि केवल राज्य बैंक ने ही सच्चे रूप में कार्य करना आरम्भ किया है और इस गारन्टी योजना में भाग लिया है और न तो वित्तीय निगम और न ही अन्य बैंक इस योजना में आये हैं ? राज्य बैंक का कितना प्रतिशत भाग है और अन्य वित्तीय संस्थाओं का क्या भाग है ? यदि मेरा कहना ठीक है तो अन्य संस्थाओं को शामिल करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

†**श्री कानूनगो :** राज्य बैंक के अतिरिक्त ग्यारह अन्य वाणिज्यक बैंक शामिल हो गये हैं और दस वित्तीय निगम शामिल हो गये हैं।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** मात्रा ?

†**श्री कानूनगो :** वाणिज्यक बैंक ४१ लाख रुपये से अधिक राज्य वित्तीय निगम ६५ लाख रुपये से अधिक और राज्य सहकारी बैंक २ १/२ लाख रुपये।

†**श्री श्यामलाल सर्राफ :** क्या योजना सभी राज्यों में आरम्भ हो गई है और क्या सभी राज्यों में छोटे उद्योगपतियों ने इससे लाभ उठाया है ?

†**श्री कानूनगो :** केवल १७ जनवरी १९६३ को ही यह सारे भारत में लागू की गई है।

"इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी"

†*४१६. **श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में "इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी" का विस्तार करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा स्वीकृत विस्तार कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी):** (क) और (ख) जी हां। सरकार ने सिद्धान्तस्वरूप विस्तार-कार्यक्रम स्वीकार कर लिया है जिसमें निरन्तर निर्माण

---

†मूल अंग्रेजी में

संयंत्र लगाना शामिल है जिसकी क्षमता लगभग ३००,००० मीट्रक टन इस्पात छड़ प्रतिवर्ष होगी। इस संयंत्र के लिए अपेक्षित धातु की आवश्यकता आंशिक रूप में विद्यमान चार धमन भट्टियों में बढ़े हुए उत्पादन से प्राप्त होने वाले इस्पात से और आंशिक रूप में बनने वाली ४० मीट्रिक टन को बिजली की आर्क भट्टी से पूरी होगी। विद्यमान मिलों में विक्रय योग्य उत्पाद छड़ों से बनाये जायेंगे ।

पहिले, परियोजना की कुल लागत का ९२० लाख रु० का अनुमान लगाया गया था जिसमें ४६० लाख रु० की विदेशी मुद्रा शामिल है। हाल के अनुमानों के आधार पर १,११५ लाख रु० का अनुमान लगाया गया था जिसमें ५२८ लाख रु० की विदेशी मुद्रा शामिल है ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या सरकार महसूस करती है कि देश में नालीदार लोहे की चादरों जैसी लोहे तथा इस्पात की भारी कमी है और इस विस्तार से यह अभाव पूरा होगा ?

†**श्री प्र० चं० सेठी :** इससे चादरों का उत्पादन ९०,००० से बढ़कर १०५,००० टन हो जायेगा। भारी ढांचों, हल्के ढांचों, आदि के उत्पादन में भी कुछ विस्तार होगा ।

†**श्री मुहम्मद इलियास :** क्या केन्द्रीय सरकार से विस्तार प्रोग्राम के लिए कोई धन राशि दी गई है ?

†**श्री प्र० चं० सेठी :** जी नहीं। आशा है कि विश्व बैंक अपेक्षित विदेशी मुद्रा देने के लिए सहमत हो जाये ।

†**श्री रामेश्वरानन्द :** सूत का मूल्य निश्चित करने से उत्पादन पर तो उसका प्रभाव नही पड़ेगा ?

श्री हरि विष्णु कामत : यह सवाल आगे है ।

†**श्री भागवत झा आजाद :** क्या विश्व बैंक के ऋण के लिए केन्द्रीय सरकार गारन्टी देगी ?

†**श्री प्र० चं० सेठी :** विश्व बैंक के सभी ऋणों के लिए सरकार की गारन्टी है ।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि जब आप **इस्को** को बढ़ाने जा रहे हैं तो उससे जो प्रोडक्शन होगा वह टाटा के मुकाबले मेंहगा होगा या सस्ता होगा ?

†**श्री प्र० चं० सेठी :** मैं ने अभी ये आंकड़े नहीं मांगे हैं .....

अध्यक्ष महोदय : उनका सवाल यह है कि टाटा के मुकाबले मेंहगा होगा या सस्ता होगा ।

†**श्री प्र० चं० सेठी :** कोई तुलना नहीं है ।

दक्षिण में इस्पात कारखाना

†*४१८. { **श्री मुरारका :**
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री धर्मलिंगम : }

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री १६ नवम्बर, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या २३२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रविधिक समिति द्वारा नियुक्त परामर्शदाता ने दक्षिण में इस्पात कारखाने की स्थापना के लिए परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)**: (क) निवेली-सेलम आयरन एण्ड स्टील प्रोजेक्ट के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए सरकार ने परामर्शदाता इंजिनीयरों की एक फर्म नियुक्त की है। रिपोर्ट अभी तक पेश नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

†**श्री मुरारका** : क्या प्रारम्भिक परीक्षण के आधार पर दक्षिण में एक इस्पात संयंत्र स्थापित करने का सिद्धान्तस्वरूप निश्चय कर लिया गया है ?

†**श्री प्र० चं० सेठी** : जी हां, नार्वे तथा पूर्वी जर्मनी से प्राप्त हुई प्रारम्भिक रिपोर्ट सर्वथा अनुकूल थीं और इसी कारण से समिति ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए परामर्शदाता नियुक्त किये हैं ।

†**श्री मुरारका** : निस्संदेह परामर्शदाता नियुक्त कर दिये गये हैं परन्तु क्या सिद्धान्तस्वरूप दक्षिण में इस्पात संयंत्र स्थापित करने का निश्चय हो गया है ?

†**श्री प्र० चं० सेठी** : यदि अर्थ-व्यवस्था संभव होगी तो यह स्थापित होगा ।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : इस समिति के निर्देशपद क्या हैं और क्या परामर्शदाताओं ने संयंत्र स्थापित करने के लिए विभिन्न स्थानों का दौरा किया है ?

†**श्री प्र० चं० सेठी** : परामर्शदाताओं से करार हो गया है और वे परियोजना रिपोट तैयार करेंगे । स्वाभाविक है कि अपेक्षित स्थानों की यात्रा तथा सर्वेक्षण करेंगे ।

†**श्री रामनाथन चेट्टियार** : इस संयंत्र में कितना उत्पादन होगा और इस योजना पर कितना व्यय होगा ?

†**श्री प्र० चं० सेठी** : आरम्भ में, उत्पादन ३ लाख से ५ लाख टन तक होगा । जहां तक लागत का संबंध है, इसका निश्चय परियोजना रिपोर्ट प्राप्त होने पर होगा ।

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया** : क्या निवेली में पाया गया लिग्नाइट इस इस्पात संयंत्र के लिए लाभदायक है और क्या इस पहलू पर भी विचार किया गया है ?

†**श्री प्र० चं० सेठी** : इस लिग्नाइट की नार्वे स्वेडन और पूर्वी जर्मनी में परीक्षा की गई है और वह सर्वथा अनुकूल पाई गई है ।

†**श्री विश्राम प्रसाद** : क्या इस टेक्निकल समिति ने केवल दक्षिण के लिए कोई परियोजना रिपोर्ट दी है या इसने उत्तर की भी समस्या पर विचार किया था ?

†**श्री प्र० चं० सेठी** : उन्होंने केवल दक्षिण के बारे में विचार किया है ।

हस्तशिल्प निर्यात संवर्द्धन योजना

†*४१९. **श्री हेडा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हस्तशिल्प निर्यात संवर्द्धन योजना का पुनरीक्षण किया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस पुनरीक्षण की मुख्य बातें क्या हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) और (ख) हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन योजना विचाराधीन है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** प्रश्न संख्या ४२० । क्रम-व्यवस्था में इसे बहुत उचित रूप में संख्या दी गई है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह संख्या है । यदि आप क्रम संख्या बढ़ाते रहे, तो यह भी आयेगी ही ।

हनुमानगढ़ में उर्वरक कारखाना

+

†*४२०. { **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
श्री प० ला० बारूपाल :
श्री बाल्मीकी : }

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हनुमानगढ़ में एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ख) इस समय मामला किस अवस्था में है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :** (क) जिस पार्टी को कारखाना स्थापित करने के लिए लाइसेन्स दिया गया है, वह वार्ता कर रही है परन्तु अभी तक अपने विदेशी सहयोग प्रस्तावों को निश्चित नहीं कर सकी है । लाइसेन्सधारी को यह बताना पड़ता है कि सरकारी क्षेत्र के शोधन कारखानों से नफ्था कितने मूल्य पर मिलेगा । यह निकट भविष्य में किया जायेगा ।

(ख) पार्टी ने परियोजना को लागू करने के लिए एक कम्पनी रजिस्टर कराई है । १२०० एकड़ जमीन परियोजना के लिए रक्षित कर दी गई है । एक टेक्निकल दल ने मिट्टी तथा स्थान का प्रस्तावित स्थान पर सर्वेक्षण किया है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या यह सच नहीं है कि जहां तक पार्टी का संबंध है और राजस्थान सरकार का संबंध है, सभी आवश्यक कार्यवाही की गई है, परन्तु केवल केन्द्र की असहमति के कारण इस परियोजना में बाधा पड़ रही है ? नफ्था के मूल्य का निश्चय करने के लिए यह मामला कितने समय से विचाराधीन है ? इसका क्या कारण है कि यह निश्चित नहीं हुआ है और क्या कठिनाइयां हैं ?

†**श्री प्र० चं० सेठी :** खान और ईंधन मंत्रालय को नफ्था का मूल्य निश्चित करना होगा और वे मामले पर विचार कर रहे हैं ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** इस संयंत्र की स्थापना तथा चालू होने का क्या प्रोग्राम था, और केन्द्रीय स्तर पर कार्यवाही न होने के कारण इसमें कितना खलल पड़ा है ?

†**श्री प्र० चं० सेठी :** हमें कोई जानकारी नहीं है कि मैसर्स पी० एस० जालान का इस मामले में क्या कार्यक्रम था । उन्हें वर्ष १९६१ में लाइसेंस दिया गया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : अनुसूची क्या थी ?

†**श्री प्र० चं० सेठी** : एक अनुसूची कैसे जान सकते हैं ? यह गैर-सरकारी पार्टी है ।

श्री बेरवा कोटा : क्या सरकार ने यह पता लगाने की कोशिश की है कि राजस्थान में इस समय खाद की कितनी मांग है ?

अध्यक्ष महोदय : यह सवाल तो हनुमानगढ़ के मुताल्लिक है ।

†**श्री दाजी** : माननीय सदस्य ने विशेष रूप से प्रश्न पूछा था कि "मूल्य का मामला इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय तथा खान और ईंधन मंत्रालय के बीच कितने समय से विचाराधीन है ।"

†**श्री प्र० चं० सेठी** : क्या मूल्य खान और उद्योग मंत्रालय निश्चित करेगा ?

†**श्री दाजी** : यह मामला कितने समय से विचाराधीन है ? मेरा प्रश्न बहुत ही स्पष्ट है ।

†**श्री प्र० चं० सेठी** : मुझे कोई जानकारी नहीं है कि मामला कितने समय से विचाराधीन है ।

†**श्री विश्राम प्रसाद** : उर्वरक कारखाना बनाने का लगभग प्राक्कलन कितना होगा और उसमें विदेशी अंश कितना होगा और उस कारखाने में किस प्रकार के उर्वरक बनाये जायेंगे ?

†**श्री प्र० चं० सेठी** : इस कारखाने का निर्माण यह है कि ३,६५,००० टन अमोनियम सल्फेट बनाया जायेगा । नाइट्रोजन लगभग ८०,००० टन बनेगा ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : कार्य कब आरम्भ हो सकेगा और क्या हमने उस पार्टी को कार्य आरम्भ करने का कोई समय दिया है । यदि हां, तो इस विलम्ब के लिये कौन उत्तरदायी है—आप या वह पार्टी ?

†**श्री प्र० चं० सेठी** : खान और ईंधन मंत्रालय इस पर सक्रिय विचार कर रहा है । आशा है कि मामला शीघ्र तय हो जायेगा ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : इस मूल्य के मामले के बारे में भारी उद्योग मंत्रालय का क्या विचार है और दो मंत्रालयों में क्या अन्तर है ? मैं नहीं समझ सका हूं कि दो मंत्रालयों में क्या कठिनाई है ?

†**श्री प्र० चं० सेठी** : दो मंत्रालयो में कोई कठिनाई नहीं है ।

श्री रा० शि० पाण्डेय : हनुमानगढ़ के अतिरिक्त और कितने लाइसेंस प्राइवेट सेक्टर के लिये दिये गये हैं और कितनी फैक्टरीज़ पब्लिक सैक्टर में बनेंगी ? क्या यह सही है कि मध्य प्रदेश में जो फैक्टरी बनेगी वह पब्लिक सैक्टर में बनेगी ?

श्री प्र० चं० सेठी : ये सब प्रश्न इससे पैदा नहीं होते । फिर भी, मैं प्रश्न के अन्तिम भाग का उत्तर दूंगा । मध्य प्रदेश में कारखाना सरकारी क्षेत्र में बनेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कृत्रिम रबड़ कारखाना, बरेली

*४२१. {श्री भक्त दर्शन :
श्री भागवत झा आजाद :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री २३ नवम्बर, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ८५६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बरेली में स्थापित किये जा रहे कृत्रिम रबड़ कारखाने में क्या वास्तविक उत्पादन कार्यक्रम के अनुसार आरम्भ हो गया है ; और

(ख) उपरोक्त कारखाने की उत्पादन क्षमता क्या है तथा उसमें कितनी देशी तथा विदेशी पूंजी लगाई गई है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो): (क) कारखाना लगभग बनकर तैयार हो चुका है और परीक्षण किये जा रहे हैं किन्तु वास्तविक उत्पादन शुरू होने में एक दो महीने और लग सकते हैं ।

(ख) कारखाने का कार्यक्रम सामान्य काम में आने वाली संश्लिष्ट रबड़ (जी० आर० एस० किस्म) ३०,००० टन प्रतिवर्ष बनाने का है । इस प्रायोजना पर कुल खर्च का अनुमान २० करोड़ रुपये लगाया गया है जिसमें कम्पनी द्वारा जारी की गई इक्विटी पूंजी लगभग ६ करोड़ रुपये है । इसमें से लगभग १·५ करोड़ रुपये की विदेशी पूंजी लगी है ।

†श्री पु० र० पटेल : क्या संश्लिष्ट रबड़ का उत्पादन करने के लिये बैनजीन की जरूरत होती है और क्या सरकार इन समवायों को बैनजीन देने में असफल रही है ?

†श्री कानूनगो : जहां तक मुझे पता है, औथीलीन, स्टीरीन, व्यूटाडीन और संश्लिष्ट लेटैक्स की जरूरत होती है । मद्यसार मुख्य तत्व है । मद्यसार विविध चीनी फैक्टरियों और अन्य फैक्टरियों से तैयार करनी पड़ती है । समवाय उसके लिये प्रबन्ध कर रही है और सरकार का उससे कोई संबंध नहीं ।

†श्री श्याम लाल सर्राफ : क्या फैक्टरी केवल कच्चे माल के तौर पर रबड़ का निर्यात करेगी अथवा क्या यह तैयार माल भी बनायेगी, और यदि हां, तो वे वस्तुयें क्या होंगी ?

†श्री कानूनगो : कोई तैयार माल नहीं बनाया जायेगा, यह केवल संश्लिष्ट रबड़ बनायेगी ।

†श्री विश्राम प्रसाद : शीरे से बनी कितनी मद्यसारिक वस्तुओं का उपभोग उस फैक्टरी में संश्लिष्ट रबड़ तैयार करने के लिये किया जायेगा ?

†श्री कानूनगो : मेरे पास सूचना नहीं है ।

श्री रामेश्वरानन्द : क्या यह कारखाना सरकारी स्तर पर खोला जा रहा है अथवा केवल सरकार के सिर पर ही खोला जा रहा है ?

श्री कानूनगो : यह प्राइवेट कम्पनी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री भक्त दर्शन : इस फक्ट्री के बारे में पिछले दिनों जो उत्तर मंत्रालय की ओर से दिये गये थे उनसे पता लगा था कि ६ महीने पहले इसका उत्पादन शुरू हो जाना चाहिये था। इसमें इतनी देरी क्यों हुई, इसका क्या कारण है ?

श्री कानूनगो : सब इन्तिजाम करने में देरी हो गयी। अप्रैल में काम शुरू होने वाला है।

श्री भक्त दर्शन : मैं जानना चाहता हूं कि हमारे देश में कृत्रिम रबड़ की कुल कितनी खपत होती है और इस फैक्टरी के बन जाने के बाद भी कितनी और आवश्यकता रहेगी ? क्या इस फैक्टरी को और बढ़ाया जायेगा या कोई और फैक्टरी लगायी जायेगी ?

श्री कानूनगो : आंकड़े तो मेरे पास नहीं हैं, लेकिन इसके पूरा होने के पश्चात् भी और बहुत ज्यादा जरूरत रहेगी।

श्री भागवत झा आजाद : इस कारखाने की अन्तिम उत्पादन क्षमता क्या होगी और क्या आप बता सकते हैं कि उस स्थिति में यह कब तक पहुंच जायेगा ?

श्री कानूनगो : इसकी अन्तिम उत्पादन क्षमता ३० हजार टन होगी।

श्री भागवत झा आजाद : इस स्थिति में यह कारखाना कब तक पहुंच जायेगा ?

श्री कानूनगो : तीन चार साल में।

श्री कछवाय : मैं जानना चाहता हूं कि इस कारखाने के बनने के बाद इसमें कितने कर्मचारी काम करेंगे और कर्मचारियों को कम से कम और ज्यादा से ज्यादा क्या वेतन मिलेगा ?

श्री कानूनगो : यह कारखाना प्राइवेट सेक्टर में है और एक कम्पनी इसको बना रही है। इसमें कितने आदमी रहेंगे इसका ब्यौरा हम कहां से दे सकते हैं।

श्री कछवाय : उस पर आपका कोई कंट्रोल होगा या नहीं ?

श्री कानूनगो : कोई कंट्रोल नहीं होगा।

†**श्री मानसिंह पू० पटेल :** देश में रबड़ की अतिरिक्त आवश्यकता के बारे में सरकार क्या सोचती है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** फैक्टरी द्वारा उत्पादन आरम्भ कर दिये जाने के पश्चात् भी देश में ४५,००० टन रबड़ की कमी रहेगी। इस लिये हम रबड़ बागान को बढ़ाने तथा उत्पादन बढ़ाने एवं दूसरी ओर संश्लिष्ट रबड़ की एक या दो इकाइयां स्थापित करने का विचार कर रही है।

†**श्रीमती सावित्री निगम :** अभी अभी मा० मंत्री ने बताया है कि अधिक रबड़ पैदा करने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं। वे कदम क्या हैं और किन लोगों को ऋण या अर्थ-सहायता दिया गया है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** सभी रबड़ बागानों को विशेषकर दक्षिण में, पुनः बागान लगाने के लिये ऋण एवं उर्वरक दिये जा रहे हैं तथा दक्षिण के चारों राज्यों में नवीन क्षेत्रों की भी खोज की जा रही है ताकि अब के २८,००० टन से हम ४५,००० टन तक पहुंच सके।

---

†मूल अंग्रेजी में

समवाय अधिनियम का उल्लंघन

\+

†*४२२. **श्री दाजी :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१–६२ में समवाय अधिनियम के अधीन प्रबन्ध अभिकरण बढ़ाने के लिए कितने मामलों में अनुमति दी गई तथा कितने मामलों में अनुमति नहीं दी गई; और

(ख) ऐसी अनुमति देने का आधार क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) ३१ मार्च, १९६२ को पूरा होने वाले वर्ष में, वर्तमान प्रबंध अभिकर्ताओं की अवधि के विस्तार का अनुमोदन ६ मामलों में दिया गया है और ५ मामलों में रद्द किया गया है।

(ख) नवीकरण का अनुमोदन आम तौर पर, समवाय विधि सलाहकार आयोग की मंत्रणा पर जो समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ४१० के अधीन स्थापित किया गया था, तथा केन्द्रीय सरकार को इस बात का संतोष होने पर किया जाता है कि :

(१) समवाय के लिये प्रबंध अभिकर्ता रखना जनहित के विरुद्ध नहीं।

(२) प्रस्तावित प्रबंध अभिकर्ता उस नियुक्ति के लिये सर्वथा योग्य और ठीक है।

(३) प्रस्तावित प्रबंध अभिकरण करार की शर्तें उचित और ठीक हैं।

(४) संबद्ध समवाय के मामलों की व्यवस्था करने में प्रबंध अभिकर्ता का कार्य संतोषजनक रहा है।

इसके संबंध में मा० सदस्य का ध्यान, ३१ मार्च, १९६० को पूरा होने वाले वर्ष के समवाय अधिनियम, १९५६ के कार्य तथा प्रशासन संबंधी चौथे वार्षिक प्रतिवेदन की कंडिका ७७ से ८२ तक की ओर आकर्षित किया जाता है।

†**श्री दाजी** : जिन मामलों में मंजूरी दी गई है, क्या किसी मामले में वेतन आदि की सीमा संबंधी सामान्य नीति एवं समय सीमा में कोई ढील की गई है, और यदि हां, तो किन मामलों में ऐसा किया गया है ?

†**श्री कानूनगो** : किसी भी मामले में ढील नहीं दिखाई गई।

†**श्री दाजी** : क्या इस विशिष्ट मामले को, प्रबंध अभिकरण का विस्तार करने की अनुमति देने से पूर्व, ध्यान में रखा गया है कि क्या उस विशिष्ट फर्म ने अपने संबंधियों को कोई बिक्री अभिकर्ता या क्रय अभिकर्ता नियक्त किया है अथवा और कोई ऐसा काम किया है जो समवाय विधि के विरुद्ध है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री कानूनगो : निस्संदेह इस समय उनको रोका गया है और यदि प्रबंध अभिकर्ता अथवा उनके साथी बिक्री अभिकरणों आदि में लगे हुए हैं, जो अधिनियम के दंड संबंधी उपबंधों का प्रयोग किया जाता है।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या रद्द किये गये पांच मामलों में, वे पूर्णतया भारतीय मलकियत वाले प्रबंध अभिकरण हैं अथवा वे विदेशी मलकियत वाले अभिकरण भी थे ?

†**श्री कानूनगो :** वे सब भारतीय हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या प्रबंध अभिकरण पद्धति को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव या विचार है और यदि हां, तो वह मामला किस स्तर पर है ?

†**श्री कानूनगो :** अभी उस मामले पर विचार नहीं किया गया है।

†**डा० सरोजिनी महिषी :** कितने मामलों में समवाय अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन किया गया है और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

†**श्री कानूनगो :** यह सूचना समवाय विधि प्रशासन के वार्षिक प्रतिवेदन से मिल सकती है।

†**श्री अ० प्र० जैन :** प्रबंध अभिकरण का विस्तार करने की मंजूरी देने या इसे अस्वीकार करने के लिये किन नीति तत्वो को ध्यान में रखा जाता है ?

†**श्री कानूनगो :** यह विवरण में दिया गया है। विचाराधीन बातें ये होती हैं :—

(१) समवाय के लिये प्रबंध अभिकरण रखना जनहित के विरुद्ध न हो, (२) प्रस्तावित प्रवंध अभिकर्ता उस नियुक्ति के लिये योग्य तथा ठीक हो, (३) प्रस्तावित प्रबंध अभिकरण की शर्तें उचित तथा ठीक हों, (४) संबद्ध समवाय के मामलों का प्रबंध करने में प्रबंध अभिकर्ता का पहले का कार्य संतोषजनक रहा है।

†**श्री पें० वेंकटा सुब्बया :** क्या प्रबंध अभिकरण प्रणाली को सहकारी कपड़ा मिलों आदि सहकारी आधार पर आरंभ की गई संस्थाओं में जारी रखने दिया जाता है ?

†**श्री कानूनगो :** जी न हीं, सहकारी संस्था अधिनियम के अधीन इसकी अनुमति नहीं है।

कच्चा लोहा

†*४२३. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री गुलशन :
श्री बूटा सिंह :
श्री प्र० के० देव :
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :

क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मदुरै (मद्रास) के ढलाई कारखानों के मालिकों को कच्चे लोहे का संभरण केन्द्रीय सरकार द्वारा रोक दिया गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या सम्बन्धित कारखानों से केन्द्रीय सरकार को अभ्यावेदन मिले हैं; और

(ग) इस मामले में क्या कायवाही की जा रही है ?

†इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी नहीं।

(ख) ढलाई कारखाना वर्ग के लोहे की कमी के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसके परिणामस्वरूप ढलाई कारणों में उत्पादन कम हुआ है ?

समूचे देश में ढलाई कारखाना वर्ग लोहे की वर्तमान कमी का मुख्य कारण यह है कि मांग तो काफी बढ़ गई है, क्योंकि ढलाई कारखानों की क्षमता तेजी से बढ़ी है, उपलब्धि उसके अनुसार नहीं बढ़ी क्योंकि कच्चे लोहे के उत्पादन के लिये लाइसेंस की गई योजनाएं कार्यान्वित नहीं की गईं जैसीकि पहले आशा थी। अतः सरकार अन्तरिम उपाय कर रही है, जैसे कच्चे लोहे का आयात, उत्पादन बढ़ाने के लिये अल्पकालीन योजनाएं चलाना आदि, ताकि यथाशीघ्र उपलब्धि बढ़ाई जा सके।

श्री यशपाल सिंह : जैसीकि सरकार की पालिसी है क्या उन लोगों को यह सप्लाई रोकने के लिए ६ महीने पहले कोई नोटिस दिया गया था ?

श्री प्र० चं० सेठी : सप्लाई रोकी नहीं गई है बल्कि कुछ कम हो गई है जिसकी कि वजह से उनको कुछ कमी महसूस हो रही है।

श्री यशपाल सिंह : डिफेंस परपजेज में क्या इससे कुछ कमी पड़ने की सम्भावना है ?

†**श्री प्र० चं० सेठी** : प्रतिरक्षा को प्रथम अग्रता दी गई है।

†**श्री विश्राम प्रसाद** : वर्ष में देश में अन्य ढलाई कारखानों को कितना कच्चा लोहा दिया जा रहा है ?

†**श्री प्र० चं० सेठी** : इसके लिये मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है।

श्री कछवाय : उनको बराबर कोटा न मिलने से देश को कितना नुकसान हुआ है ?

श्री प्र० चं० सेठी : इस समय कुछ फाउंडरीज बंद हैं और कुछ का काम सफर कर रहा है लेकिन इस कमी को पूरा करने की पूरी कोशिश की जा रही है।

श्री कछवाय : हानि कितनी हुई है ?

श्री प्र० चं० सेठी : यह इस समय नहीं बतलाया जा सकता है ?

श्री बड़े : प्रोडक्शन कितना कम हुआ है।

---

†मूल अंग्रेजी में

हाई प्रैशर बायलर कारखाना

†*४२४. श्री रा० गि० दुबे :
श्री जं० ब० सिं० बिष्ट :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री रा० शि० पाण्डेय :

क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तिरुचि में हाई प्रैशर बायलर कारखाने की स्थापना के बारे में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) क्या विदेशी विशेषज्ञों से सलाह लेने से पहले कठिन संधारण समस्याओं के बारे में अपने कर्मचारियों से सुझाव मांगे गये थे ?

†इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

७ जून, १९६१ को मैसर्स टैक्नोऐक्सपोर्ट, प्राग के साथ किये गये संविदा के अनुपालन में परियोजना का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अगस्त, १९६२ में प्राप्त हुआ था। उस पर विचार किया गया है और सरकार ने इसे सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है। इस फर्म से विशिष्ट विवरण और संयंत्र तथा मशीनरी के संभरण की पेशकश प्राप्त हो चुकी हैं और वे विचाराधीन हैं।

२. संयंत्र और टाउनशिप के लिये अपेक्षित भूमि तिरुची में अधिग्रहण की गई है। संयंत्र के प्रथम प्रक्रम के लिये फैक्टरी क्षेत्र को समतल बनाने तथा उसपर मिट्टी आदि बिछाने का काम पूरा हो चुका है। रेलवे साइडिंगों, सड़कों, कारीगरों के स्कूल, वर्कशाप, होस्टल और कुछ रहने के क्वार्टरों तथा बिजली संभरण योजना का निर्माण-कार्य चल रहा है।

३. क्योंकि परियोजना निर्माण के प्रारम्भिक प्रक्रमों में है, कर्मचारियों से, विदेशी विशेषज्ञों से सलाह लेने से पहले, कठिन मरम्मत आदि की समस्याओं के बारे में सुझाव लेने का प्रश्न ही नहीं उठता।

†श्री रा० गि० दुबे : इस संयंत्र में किन पुर्जों का निर्माण करने का विचार है ?

†श्री प्र० चं० सेठी : यह संयंत्र ५० मैगावाट स्टील टर्बाइन के लिये प्रति वर्ष १२ बायलर बनायेगा। कुल ७·५ लाख किलोवाट क्षमता तक, ५० से १५० मैगावाट इकाई आकरों के बायलर बनाने का प्रारूप करने का भी विचार है।

†श्री रा० शि० दुबे : इस फैक्टरी को कब तक चालू हो जाने की आशा है ?

†श्री प्र० चं० सेठी : हमें आशा है कि यह १९६५–६६ तक उत्पादन आरम्भ करेगी

†श्री रामेश्वर टांटिया : क्या वेतनों पर ५००० रुपये मासिक की नवीन उपरि सीमा विदेशी विशेषज्ञ मंगवाने में कठिनाई उत्पन्न करेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री प्र० चं० सेठी** : हाई प्रेशर बायलर संयंत्र, के प्रश्न से यह प्रश्न नहीं उठता ।

†**डा० क० ल० राव** : क्या अगस्त, १९६२ में प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन कम क्षमता के लिये था ? अब जब कि उच्च क्षमता के बारे में निर्णय किया गया है, क्या हमें परियोजना प्रशासन के अनुमोदनार्थ नवीन परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ?

†**श्री प्र० च० सेठी** : परियोजना प्रतिवेदन अगस्त, १९६२ में प्राप्त हुआ था । इस पर विचार किया जा चुका है और यह स्वीकार कर लिया गया है ।

रूरकेला तथा दुर्गापुर के इस्पात कारखाने

†*४२५. **श्री मुरारका** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूरकेला तथा दुर्गापुर इस्पात कारखानों में उत्पादन निर्धारित क्षमता के अनुसार होने लगा है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और निर्धारित क्षमता के अनुसार उत्पादन कब तक शुरू होने की आशा है ?

इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) इस्पात की सलाख बनाने में, दुर्गापुर ने स्थापित क्षमता प्राप्त कर ली है । रूरकेला में इस्पात सलाखों का उत्पादन स्थापित क्षमता के ९२ प्रतिशत तक पहुंच गया है ।

(ख) रूरकेला में शीघ्र ही इस्पात की सलाखों का पूरा उत्पादन होने की संभावना है । प्रत्येक संयंत्र में बिक्री होने वाले इस्पात की पूरी मात्रा तक इस्पात उत्पादित होने की आशा है, १९६३–६४ में इस की क्षमता के अनुसार पर्याप्त योग्यता वाले प्रविधिक लोगों की कमी, कच्चे माल के गुण, प्रकार में गिरावट, संयंत्र के अन्दर परिवहन में कमी, फालतू पुर्जों की कमी आदि के कारण रूरकेला में पूर्ण उत्पादन होने में विलम्ब हुआ था । इन त्रुटियों को दूर करने के उपाय किये गये हैं ।

†**श्री मुरारका** : हाल ही में, जनरल मैनेजरों की त्रैमासिक बैठकों में इस्पात तथा भारी उद्योग मंत्री ने एक लक्ष्य तिथि बताई थी जब तक अर्थात् मार्च, १९६३ के अन्त तक रूरकेला और दुर्गापुर क्षेत्रों में पूर्ण उत्पादन हो जायेगा । क्या वह लक्ष्य तिथि पूरी की गई है ?

†**श्री प्र० चं० सेठी**: दुर्गापुर में १०० प्रतिशत प्राप्ति हो गई है । रूरकेला में कच्चे लोहे का उत्पादन १०० प्रतिशत हो गया है, किन्तु इस्पात उत्पादन ९२ प्रतिशत है और इस की बढ़ने की संभावना है ।

†**श्री मुरारका** : क्या दुर्गापुर में सब वस्तुओं का १०० प्रतिशत उत्पादन होने लगा है ?

†**श्री प्र० चं० सेठी** : सलाखों के उत्पादन में ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : दुर्गापुर और रूरकेला इस्पात संयंत्र कुछ समय से काफी पीछे रह रहे हैं, जब कि भिलाई आगे बढ़ गया, इस दृष्टि से, हिन्दुस्तान स्टील कम्पनी ने भिलाई में प्राप्त अनुभव का रूरकेला और दुर्गापुर में लगाने के लिये क्या विशिष्ट उपाय किये हैं, ताकि उत्पादन बढ़े ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री प्र० चं० सेठी : भिलाई के अनुभव और तरीके को वहां लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं, क्योंकि रूरकेला सर्वथा दूसरी किस्म का मिल है। यह मुख्यतः प्लेटों के लिये है। इस कार्य के लिये सोलवीन समिति की रिपोर्ट के अनुसार हम ने नये लोग भरती किये हैं और उन की रिपोर्ट के अनुसार काम किया है।

†श्री हरि विष्णु कामत : पिछले अक्तूबर में संकट काल की घोषणा के बाद, इन तीनों में से कौन सा कारखाना उत्पादन में सब से आगे है और क्या इन सब संयंत्रों में उत्पादन बढ़ाने का विचार है, या केवल संयंत्रों में ही ?

†श्री प्र० चं० सेठी : सभा को पता है कि भिलाई उत्पादन के मामले में अग्रेतर है। दुर्गापुर १०० प्रतिशत क्षमता प्राप्त कर चुका है और रूरकेला ने भी क्षमता बढ़ाई है। तीनों संयंत्रों में विस्तार करने का विचार है।

†श्री महेश्वर नायक : यह बताया गया है कि रूरकेला स्थापित क्षमता प्राप्त नहीं कर सका, जैसा कि सोलवीन समिति ने त्रुटियां बताई हैं, तो समिति द्वारा बताई गई त्रुटियों को किस मात्रा तक दूर किया गया है ?

†श्री प्र० चं० सेठी : उन त्रुटियों को दूर कर दिया गया है और हम ने कार्रवाई की है तथा उत्पादन बढ़ गया है।

†श्री दाजी : क्या सोलवीन की रिपोर्ट के अनुसार रूरकेला में कोई नवीन विदेशी प्रविधिक विशेषज्ञ मंगवाये गये हैं, कितने तथा किस लागत पर ?

†श्री प्र० चं० सेठी : लगभग ४०–५० अतिरिक्त प्रविधिक लोग सोलवीन समिति के पश्चात् रूरकेला में आ गये। यहां इस समय खर्च नहीं दिया गया।

श्री रामेश्वरानन्द : राउरकेला और दुर्गापुर आदि कारखानों में क्या क्या तैयार होगा और क्या उन में कहीं आटोमैटिक हथियार भी बनेंगे या नहीं ?

श्री प्र० चं० सेठी : ये आटोमेटिक हथियार नहीं, बल्कि लोहा और स्टील बनाने के कारखाने हैं।

†श्री कृ० चं० पन्तः दुर्गापुर और राउरकेला में रखे गये विदेशी शिल्पिकों की तुलना में भिलाई में कितने विदेशी शिल्पिक रखे गये हैं ?

†श्री प्र० चं० सेठी : इस समय मेरे पास ब्योरा नहीं है।

श्री कछवाय : क्या यह सही है कि इन कारखानों में उत्पादन कम होने का एक प्रमुख कारण यह भी है कि वहां पर कर्मचारियों को काम करने में अच्छी सहूलियतें नहीं मिलती हैं ?

श्री प्र० चं० सेठी : वहां के कर्मचारियों को काफ़ी सहूलियतें प्राप्त हैं। बल्कि पब्लिक सैक्टर में उन को टाउनशिप और रहने की अच्छी सहूलियतें मिली हुई हैं, जो कि दूसरी जगह उपलब्ध नहीं हैं।

†मूल अंग्रेज़ी में

प्रश्नों के लिखित उत्तर

सूत पर मूल्य की मुहर लगाना

†*४१५. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सूत पर संविहित रूप से मूल्य की मुहर लगाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो यह निर्णय कब से लागू हो जायेगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी, हां ।

(ख) निर्णय ६ जनवरी, १९६२ से लागू किया गया है ।

विदेशी प्रविधिक कर्मचारी

†*४१७. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या इस्पात और भारी उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों में नियुक्त विदेशी इंजीनियरों तथा प्रविधिक कर्मचारियों की संख्या क्या है ; और

(ख) भारत में इन कारखानों के लिये प्रविधिक कर्मचारियों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने तथा विदेशी प्रविधिज्ञों के स्थान पर भारतीय प्रविधिज्ञों की नियुक्ति करने की दृष्टि से भारतीय कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) ३९० ।

(ख) भारतीय इंजीनियरों को विदेशी इंजीनियरों के साथ रह कर काम सीखने के लिये रखा गया है । जब उनको पर्याप्त अनुभव प्राप्त हो जाएगा तो वे विदेशी इंजीनियरों का स्थान ग्रहण कर लेंगे ।

बर्मा में इमारती लकड़ी का व्यापार

†*४२७. **श्री प्र० चं० बरुआ**: क्या वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बर्मा के इमारती लकड़ी के व्यापार में जिसका हाल में राष्ट्रीयकरण हो गया है, भारतीय हित कितना था ; और

(ख) सम्बन्धित प्रश्नों को किस प्रकार हल किया गया ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

पटसन निर्माण के लिये बड़े करघे

†७६७. **श्री हिम्मत सिंहका**: क्या वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास पटसन निर्यात के लिये अधिक बड़े करघे लगाने का काम तेजी से करने के लिए एक स्वतः वित्त पोषक स्थगित योजना स्थापित करने का प्रस्ताव है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख) जी हां, पटसन उद्योग को उस मात्रा तक अपनी कताई क्षमता को बढ़ाने की अनुमति दे दी गई है, जितनी उसे अकेली-बाकी आधार पर अपनी ुनाई क्षमता के लिये जरूरी हो, सीमान्त वृद्धि करने की गुंजाइश रखते हुए। सरकार ने उदारतापूर्वक कताई एवं सहायक मशीनरी समेत बड़े करघे लगाने की भी अनुमति दे रखी है। सरकार ने अब फैसला किया है कि तीसरी योजना में पटसन माल की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये कताई क्षमता का अग्रतर विस्तार निर्बाध रूप से करने दिया जाये।

उद्योग को उत्पादन बढ़ाने के लिये अग्रता आधार पर मशीनरी की अपनी आवश्यकता प्राप्त करने के लिये यह फैसला किया गया है कि ऐसी मशीनरी का उस मात्रा तक आयात करने दिया जाय। जितनी उसके आने की यथोचित अवधि में देश में उपलब्ध हो। पटसन मिलों में उपयोग के लिये कैप्टिव बिजली जैनेरेटिंग सैट के आयात की अनुमति भी साधारण शोधन के अन्तर्गत इस योजना के अधीन दी जाएगी।

जो पटसन मिल कताई पूर्व तथा कताई पश्चात् वाली मशीनरी का आयात करने के लिये विदेशी सम्भरणकर्ता के साथ ऋण की व्यवस्था कर सकेंगे, उनको देशी दृष्टि कोण से छानबीन करने के उपरान्त, उस मशीनरी का आयात करने के लिये आयात लाइसेंस दिये जायेंगे। आयात लाइसेंस दो समान वार्षिक किश्तों या चार अर्धवार्षिक किश्तों में, जैसा चाहा जाएगा, मशीनरी का मूल्य देने की अनुमति देगा, पहली किश्त मशीनरी लगने का काम पूरा होने के पश्चात् दी जाएगी। यदि जरूरत होगी, २० प्रतिशत तक प्रारम्भिक भुगतान आर्डर देने तथा मशीनरी भेजे जाने पर देने की अनुमति दी जाएगी। बकाया राशि पर ६ प्रतिशत तक ब्याज दिया जाएगा और इस पर आय कर की छूट होगी। यदि ब्याज ६ प्रतिशत से अधिक होगा तो ब्याज की समूची राशि पर कर लगेगा।

प्रार्थी मिलों को क्षेप राशि के देय होने के पूर्व अतिरिक्त निर्यातों के द्वारा प्रत्येक भुगतान का मूल्य चुकाने के लिये अतिरिक्त निर्यात करने के लिये बन्धपत्र लिखना होगा।

नमक उपकर

†७६८. **श्री मि० सू० मूर्ति** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रति वर्ष कितना नमक उपकर वसूल किया जाता है और इसका उपयोग कैसे किया जाता है ;

(ख) क्या १९६१–६२ में किसी नमक कारखाने को ऋण या अनुदान दिये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो राज्यवार इसका ब्यौरा क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) प्रतिवर्ष औसतन लगभग ८३ लाख रुपये की राशि नमक उपकर के तौर पर वसूल की जाती है। नमक उपकर से होने वाली वसूली का उपयोग नमक उपकर अधिनियम १९५३ की धारा ४ में वर्णित मामलों पर किया जाता है।

(ख) जी हां।

(ग) १९६१–६२ में नमक के लाइसेंस प्राप्तों को दिया गया विकास ऋण दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० ९६८/६३]

---

†मूल अंग्रेजी में

इलायची के दाम

†७९९. श्री श्यामलाल सर्राफ : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलायची के मूल्यों में गिरावट के कारण क्या हैं ; और

(ख) विदेशों को इसका निर्यात बढ़ाने के लिये क्या कारंवाई की गई है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) भारतीय इलायची के दामों में कमी के कई कारण हैं जैसे कम मांग, कुछ कीड़ों के कारण कुछ क्षेत्रों में फसल का कम होना और छोटे उत्पादकों के पास उसे रख सकने की क्षमता न होना ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

विदेशों को इलायची का निर्यात बढ़ाने के लिये निम्न उपाय किये गये हैं :

१. इलायची उद्योग का विकास उचित ढंग से हो, इस उद्देश्य के लिये, ताकि विदेशी बाजार में अपेक्षित पर्याप्त मात्रा में तथा साधारणतया टिके हुए दामों पर इनका अबाध सम्भरण हो सके, सरकार ने वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय के अधीन इलायची विकास एवं विपणन निदेशालय स्थापित करने का फैसला किया है, जिसका मुख्यालय बंगलोर होगा ।

२. इस निदेशालय को मन्त्रणा, इलायची विकास और विपणन सलाहकार समिति से मिलेगी । समिति का कार्य यह होगा कि निम्न बातों समेत इलायची उद्योग के विकास के लिये उपायों के सम्बन्ध में सरकार को मन्त्रणा दे :

(१) इलायची बागान का विकास और विस्तार ।

(२) इलायची के गुण प्रकार को बढ़ाने और सम्पदाओं की उत्पादकता ।

(३) उद्योग द्वारा अपेक्षित उर्वरकों और सहायक सामान का सम्भरण करने के लिये ।

(४) उन्नति के उपायों के लिये कार्य-कारी पूंजी और ऋण आदि के रूप में पर्याप्त वित्तीय सहायता की व्यवस्था ।

(५) विशेष रूप से, उत्पादकों को लाभदायक और उचित दाम मिलें इस दृष्टि से इलायची का विपणन और निर्यात के लिये विदेशी मुद्रा की कमाई बढ़ाना ।

३. भारत सरकार ने इलायची समेत मसालों का निर्यात बढ़ाने के लिये मसाला निर्यात संवर्धन परिषद् बनाई है ।

४. इलायची के निर्यात के लिये "आग मार्क" के अधीन अनिवार्य गुण प्रकार नियन्त्रण और जहाज पर लादने से पूर्व जांच १ जनवरी १९६३ से लागू की गई है । यह विदेशी बाजार में आयातकों में विश्वास पैदा करने के लिये किया गया है ।

५. विदेशी बाजारों में प्रचार मासाला निर्यात संवर्धन परिष द्वारा किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

६. एक मसाला व्यापार शिष्ट मण्डल हाल ही में मध्य पूर्व, यूरोपीय देशों और इंग्लैण्ड में इलायची समेत मसालों के लिये नये बाजार खोलने और नवीन बाजारों को स्थायी बनाने के लिये गया था।

बेंत

†७७०. **श्री श्यामलाल सर्राफ :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश में खेलों का सामान बनाने की बड़ी जरूरी चीज बढ़िया बेंत उस मात्रा में खेल सामान उद्योग को नहीं मिलती जितनी उसकी जरूरत होती है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सघन खेती द्वारा और आयात द्वारा इस की पूरी आवश्यकता को पूरा करने के लिये देश के अन्दर ही बढ़िया किस्म की बेंत पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने के लिये अभी तक कोई उपाय किये गये है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो):** (क) और (ख). सरकार को देश में बढ़िया बेंत की कमी के बारे में खेल सामान उद्योग से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई । तथापि सर्वोत्तम किस्म की मलाया बेंत का उत्पादन करने के संबंध में बार बार, भारत में इस की खेती करने का सामान और जीवित रहने योग्य बीज प्राप्त करने के प्रयत्न किये जाते रहे है, परन्तु उन का कोई संतोषजनक परिणाम नहीं निकला । अभी इस दिशा में और प्रयत्न किये जा रहे है । इस बीच, वन अनुसंधान संस्था एवं कालेज देहरादून ने मालूम किया है कि देश में मलाया बेंत का काफी अच्छा विकल्प विद्यमान है । संस्था ने बढ़िया किस्म के कुछ भारतीय बेंतों के बीज और बोने का सामान उपलब्ध किया है, तथा अपेक्षित प्रविधिक जानकारी भी उत्तर प्रदेश, मद्रास, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश को उनके क्षेत्रों में खेती करने के हेतु प्रदान की है । देश में बढ़िया बेंत की खेती के समुचित तरीकों संबंधी अनुसंधान जारी है ।

आंध्र प्रदेश में कुटीर तथा छोटे पैमाने के उद्योग

†७७१. **श्री इ० मधुसूदन राव :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में आंध्र प्रदेश में कुटीर और अल्पस्तर उद्योगों के लिये कितनी राशि मंजूर की गई है ; और

(ख) उद्योगों के नाम क्या है, कहां पर स्थापित हैं तथा प्रत्येक के लिये कितनी राशि मंजूर की गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो):** (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रखी जाएगी ।

कागज मिलों में उत्पादन

†७७२. **श्री इ० मधुसूदन राव :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२–६३ में प्रत्येक कागज मिल में कुल कितना उत्पादन हुआ है तथा उन मिलों के नाम क्या हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उत्पादन को बढ़ाने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). सांख्यिकी संग्रह अधिनियम, १९५३ की खण्ड ७(१) के अनुसार, औद्योगिक उपक्रम के उत्पादन आंकड़े उन उपक्रमों की पूर्व लिखित सम्मति के बिना नहीं बताये जा सकते। तथापि, १ जनवरी, १९६३ को प्रत्येक कागज़ मिल की स्थापित क्षमता दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० ९६९/६३]** उनमें से अधिकांश मिल अपनी पूरी क्षमता पर काम कर रहे हैं, जो सब संगत बातों को ध्यान में रखने के पश्चात्, उनकी स्थापित क्षमता के लगभग ८५ प्रतिशत तक यथार्थ उत्पादन होता है।

अमरीका को गुआर के बीजों का निर्यात

†७७३. **श्री सुरेन्द्र पाल सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को पता है कि अमरीका में गुआर के बीजों की बड़ी मांग है, जिसकी उत्तर भारत में काफी बड़े पैमाने पर उपज होती है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ अति मूल्यवान विदेशी मुद्रा प्राप्त करने की दृष्टि से उस देश को गुआर के बीजों का निर्यात करने के लिये कोई कार्रवाई की गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). देश के वर्तमान गोंद उद्योगों के विस्तार को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और केवल तैयार माल अर्थात् गुआर गोंद का निर्यात बढ़ाने के लिये, जिसकी अमरीका में बड़ी मांग है और जो संयोग से देश के लिये अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त करता है, इस मूल कच्चे माल के निर्यात की गुंजाइश बहुत कम है।

आर्थिक तथा प्रतिरक्षा समन्वय मंत्रालय में हिन्दी असिस्टेंट

७७४. **श्री म० ला० द्विवेदी** :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **आर्थिक और प्रतिरक्षा समन्वय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आर्थिक तथा प्रतिरक्षा समन्वय मंत्रालय में अभी तक कोई हिन्दी असिस्टेंट नियुक्त नहीं किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हिन्दी के कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए उस मंत्रालय में क्या व्यवस्था की गई है ?

†**आर्थिक और प्रतिरक्षा समन्वय मंत्री (श्री कृष्णमाचारी)** (क) जी हां।

(ख) यह मामला विचाराधीन है।

---

†मूल अंग्रेजी में

एंटीबायोटिक्स फैक्टरियां

†७७५. श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भा० कृ० वास :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूसी सहायता के साथ एंटीबायोटिक फैक्टरियां स्थापित करने के प्रस्ताव में कोई प्रगति हुई है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) क्या यह अनुसूची के अनुसार है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) से (ग). एक एंटीबायोटिक संयंत्र उत्तर प्रदेश के ऋषिकेश में, किसी सहायता के साथ स्थापित किया जा रहा है । संयंत्र की परियोजना रिपोर्ट स्वीकार की जा चुकी है और मैसर्स टैक्नोएंक्सपोर्ट, मास्को, के साथ सामान खरीदने, रूस में भारतीय शिल्पिकों को प्रशिक्षण देने, रूसी विशेषज्ञों द्वारा संयंत्र लगाने तथा उस का अवीक्षण करने और अपेक्षित नक्शे आदि देने के संबंध में १९६२ में एक करार किया गया था । वहां पर असैनिक निर्माण कार्य प्रगति पर है । रूस से मशीनरी का आना आरंभ हो गया है । भारत में प्राप्त करने वाले उपकरण की चीजों को जुटाने के लिये कार्रवाई आरंभ की जा चुकी है । प्रशिक्षण पाने वाले लोगों का पहला दल भरती किया जा चुका है और शीघ्र ही रूस जाने वाला है । १९६६ के प्रारंभ में संयंत्र उत्पादन आरंभ कर देगी इस बात की संभावना है ।

भारी मशीन निर्माण परियोजना

†७७६. श्री रा० गि० दुबे : क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी मशीन निर्माण परियोजनाओं के संबंध में संयंत्र का उपकरण और मशीनरी पूरी है ; और

(ख) क्या अनुसूची के अनुसार प्रारंभिक उत्पादन के लिये तयारी है ?

†इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) : (क) ३४,९५८ मीट्रिक टन उपकरण, पुर्जे और अन्य सामान जिस पर १८.७० करोड़ रुपये की लागत आएगी, भारी मशीन निर्माण परियोजना, के लिये रूस से मंगवाये गये है ; और जिसमें से १९,८२६ मीट्रिक टन उपकरण तथा अन्य सामान जहाज पर लादा गया है, जिसकी लागत ८.२४ करोड़ रुपये है । प्राप्त उपकरण को लगाने का काम अनुसूची के अनुसार चल रहा है ।

(ख) जी हां । संयंत्र, १९६३ के उत्तरार्ध, में अनुसूची के अनुसार प्रारंभिक उत्पादन आरम्भ कर देगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

निर्यात करने वाले वस्तुओं की लागत घटाने के लिये विशेषज्ञ समिति

†७७७. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय माल को विदेशी बाजारों में सफलतापूर्वक मुकाबला करने के योग्य बनाने के लिये, निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के संबंध में लागत घटाने के कार्यक्रम बनाने के लिये एक विशेषज्ञ समिति स्थापित की जा चुकी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो किन वस्तुओं के लिये लागत घटाने के कार्यक्रमों की योजना की गई है ;

(ग) समिति के निदेश निबंधन क्या है ; और

(घ) क्या इस समिति की सिफारिशें सभा पटल पर रखी जायेंगी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) जी हां ।

(ख) यद्यपि सभी महत्वपूर्ण निर्यात वस्तु सके पर्यवेक्षण में आती हैं, समिति लागत अध्ययन का काम वनस्पति तेलों, कपड़ा, सिलाई मशीनों और बाइसिकलों के संबंध में आरंभ करेगी ।

(ग) विवरण संलग्न है ।

(घ) समिति की मुख्य सिफारिशों का सार समय समय पर सभा पटल पर रखा जायेगा ।

स्वच्छता सम्बन्धी सामान के दाम

†७७८. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संकट काल की उद्घोषणा के पश्चा दिल्ली में स्वच्छता संबंधी सामान के दाम १०० प्रतिशत से अधिक बढ़ गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है या करने का विचार किया गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) और (ख). संकट काल के परिणामस्वरूप दामों में अनुचित वृद्धि नहीं हुई है । स्वच्छता संबंधी सामान के आयात पर प्रतिबंध है और मांग को पूरा करने के लिये देशी उत्पादन बढ़ रहा है तथापि सरकार स्थिति पर निगरानी रखेगी ।

उत्तर प्रदेश में अखबारी कागज का कारखाना

७७९. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री भागवत झा आजाद ।

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री २५ जनवरी, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १११५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में अखबारी कागज का कारखाना स्थापित करने में प्रगति न होने का क्या कारण है ; और

(ख) उसे यथाशीघ्र स्थापित करने के उद्देश्य से कौन से विशेष कदम उठाये जा रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :(क) और (ख). लाइसेंस रद्द क्यों न किया जाय, इसका कारण बताने का नोटिस दिये जाने पर कम्पनी ने अपने इस आवेदन के समर्थन में आंकड़े दिये हैं कि लाइसेन्स प्राप्त क्षमता में विस्तार करने की आवश्यकता है, क्योंकि उसी दशा में उत्पादन के लिए कोई लाभप्रद कारखाना स्थापित किया जा सकता है। इन पर इस समय विचार किया जा रहा है ।

नमक उपकर निधि

†७८०. **श्री ब० कु० दास :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१ और १९६२ में नमक उपकर निधि से कितना व्यय किया गया; और

(ख) किन योजनाओं पर यह व्यय किया गया ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) नमक उपकर आय से भिन्न कोई पृथक नमक उपकर निधि स्थापित नहीं की गई है। नमक उद्योग (गैर-सरकारी नमक फैक्टरियों में) १९६१-६२ तथा १९६२-६३ (३१ दिसंबर, १९६२ तक) नमक उद्योग के विकास पर किये गये व्यय की राशि नीचे दी जाती है :

(१)	१९६१-६२	४७६००० रुपये
(२)	१९६२-६३ (३१ दिसंबर, १९६२ तक)	२१८००० पये ।

(ख) उपरोक्त व्यय नमक निर्माताओं तथा तथा नमक श्रमिकों के लाभार्थ कामों को कार्यान्वित करने के लिये किया गया था, अर्थात् खारा पानी संभरण का विकास, सड़कों, पुलों और पुलियों, विश्राम स्थलों, का निर्माण, पीने के जल के संभरण में सुधार आदि।

केन्द्रीय इंजीनियरी और डिजाइन ब्यूरो

†७८१. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात उद्योग के लिये एक केन्द्रीय इंजीनियरी और डिजाइन ब्यूरो स्थापित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, कहां और कितनी लागत से; और

(ग) योजना को कार्यान्वित करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) समूचे इस्पात उद्योग के लिये एक केन्द्रीय इंजीनियरी तथा डिजाइन ब्यूरो स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों के लिये केन्द्रीय इंजिनियरी और डिजाइन ब्यूरो रूरकेला में हिन्दुस्तान स्टील कंपनी के अंग के तौर पर पहले से ही काम कर रहा है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खाना पकाने के लिए गैस

†७८२. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नंगल उर्वरक फैक्टरी में बहुत सी गैस जला दी जाती हैं जिसका प्रयोग खाना पकाने के लिये किया जा सकता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या खाना पकाने के लिये लोगों को गैस देने के लिये कोई परियोजना सरकार के विचाराधीन है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)**: (क) नंगल उर्वरक फैक्टरी में कोई गैस नहीं जलाई जाती जिसका उपयोग खाना पकाने के लिये किया जा सकता हो।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

हिमाचल प्रदेश में सूती कपड़े की मिलें

†७८३. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री भक्त दर्शन :
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने हिमाचल प्रदेश में सूती कपड़े की मिलें स्थापित करने के दो प्रस्ताव स्वीकार किये हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : केवल एक प्रार्थना अभी तक प्राप्त हुई है जो विचाराधीन है।

सूती कपड़े की मिलों का बन्द हो जाना

†७८४. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले दो महीनों में कितनी सूती कपड़ा मिलें बन्द हो गई हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : इस समय लगभग १०–१२ सूती कपड़ा इकाइयां बन्द हैं, जिसमें से एक पिछले दो महीनों में बन्द हुई है।

पंजाब में औद्योगिक सहकारी संस्थाएं

†७८५. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में इस समय कितनी औद्योगिक सहकारी संस्थाएं काम कर रही हैं ; और

(ख) वे संस्थाएं किस प्रकार की हैं और उनकी उत्पादन क्षमता क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) २ बड़ी संस्थाएं, २३ केन्द्रीय संस्थाएं और ४१९२ प्राथमिक संस्थाएं, ३० जून १९६२ को पूरा होने वाले सहकार वर्ष के अन्त में पंजाब में थीं। इनके अतिरिक्त स्त्रियों के लिए २५८ प्राथमिक औद्योगिक सहकारी संस्थाएं भी थीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) ४१९२ प्राथमिक संस्थाओं का उद्योगवार ब्योरा नीचे दिया जाता है। उनकी उत्पादन क्षमता मालूम नहीं है ।

हथकरघा	८८२
खादी और ग्रामोद्योग	१४८६
अल्पस्तर उद्योग	१७६५
हस्तशिल्प और रेशम के कीड़े पालने का उद्योग	५९ ।

विदेशों में भारतीय माल के प्रदर्शन कक्ष[1]

†७८६. **श्री दलजीत सिंह : क्या वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स समय विदेशों में भारतीय माल के कितने प्रदर्शन कक्ष हैं; और

(ख) उनमें कैसा माल रखा जाता है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :**

(क) इस समय विदेशों में भारत सरकार के १५ प्रदर्शन कक्ष–व्यापार केन्द्र हैं;

(ख) प्रदर्शित पूंजीगत तथा उपभोक्ता माल की मोटी श्रेणियां ये हैं :—

भारी और हल्का इंजीनियरी माल, सब प्रकार का कपड़ा—मिल का बना तथा हथकरघा का बना, हस्तशिल्प, रसायन, औ ध और औषधियां, ग और रोगन, खनिज, कच्चा माल और अर्ध तैयार माल प्लास्टिक का सामान, खेल, चमड़ा और रबड़ का माल, खाद्य और पेय तम्बाकू और तम्बाकू की चीजें, पुस्तकें और प्रकाशन आदि।

प्लास्टिक बनाने वाली मशीनों का निर्माण करने की फैक्टरी

†७८७. **श्री हेडा : क्या इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्लास्टिक बनाने वाली मशीनों का निर्माण करने के लिये एक फैक्टरी स्थापित की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसका लक्ष्य क्या है ; और

(ग) यह इन मांगों की मांग को कहां तक पूरा करेगी?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) :** (क) प्लास्टिक बनाने वाली मशीनों का निर्माण करने के लिये छः काइर्यों को औद्योगिक लाइसेंस दिये गये हैं।

(ख) योजना आयोग ने १९६५-६६ तक ८५००० टन प्लास्टिक कच्चे माल का देश में उत्पादन करने के लिये एक लक्ष्य स्वीकार किया है और अनुमान है कि इनका परिशोधन करने के लिये ५ करोड़ रुपये तक की प्लास्टिक बनाने की मशीनों की आवश्यकता होगी ।

(ग) लाइसेंस प्राप्त इकाइयों में चार जिनमें क्षमताएं निर्धारित हो चुकी हैं, उत्पादन आरंभ होने पर, ४७ लाख मशीनें बनाएंगी। शेष दो इकाइयों की क्षमता , उत्पादन आरंभ होने के एक वर्ष पश्चात् निर्धारित की जाएगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Show Room.

तांबे का उत्पादन

†७८८. **श्री जे० ब० सि० बिष्ट :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में तांबे का देशी उत्पादन बढ़ाने के लिये १९६३ में कोई विशेष कार्रवाई की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) और (ख) सरकार ने राजस्थान में खेतड़ी और परीवा में तांबा अयस्क निक्षेपों के आधार पर २१००० मीट्रिक टन प्रति वर्ष की क्षमता से राजस्थान में तांबा ढलाई कारखाना स्थापित करने का फैसला किया है।

इस ढलाई कारखाने को १९६५ के अन्त तक या १९६६ के प्रारंभ में उत्पादन करने की अपेक्षा की जाती है। परियोजना को स्थापित करने के संबंध में प्रारंभिक कार्रवाई की जा रही है।

भारतीय तांबा निगम, घटसिला को उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम १९५१ के अधीन प्रति वर्ष ८४०० मीट्रिक टन एलेक्ट्रोलिटिक तांबा शोधन कारखाना स्थापित करने का लाइसेंस दिया गया है, जो आयात किये गये कच्चे माल पर निर्भर करेगा। इसे पूर्ण तथा देशी कच्चे माल में चलाया जाएगा, जब नवीन अयस्क विक्षेप मिल जाएं। यह परियोजना निर्माणाधीन है और १९६४ में उत्पादन आरंभ करेगी, ऐसी अपेक्षा की जाती है।

भारतीय खान ब्यूरो और भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग, देश में तांबा अयस्क निक्षेप को खोजने के अपने कार्यक्रम को तेज कर रहे हैं।

केरल में काजू के छिलकों से तेल निकालने की फैक्टरी

†७८९. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री प० कुन्हन :
श्री रा० शि० पाण्डेय :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में काजू के छिलके से तेल निकालने की फैक्टरी आरंभ करने के लिये हाल ही में कोई लाइसेंस दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो किस को ;

(ग) प्रस्तावित फैक्टरी की उत्पादन क्षमता कितनी होगी ; और

(घ) यह कब उत्पादन शुरू करेगी?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) से (घ) हाल ही में बंबई के डा० एम० एस० पटल को प्रतिवर्ष ३००० मीटरिक टन क्षमता से काजू के

---

†मूल अंग्रेजी में

छिलके का रस बनाने के लिये क्विलोन में एक नवीन उपक्रम स्थापित करने के लिये लाइसेंस दिया गया है। १९६३ के अन्त तक फैक्टरी स्थापित होने की संभावना है।

चैकोस्लावाकिया के सहयोग से केरल में छोटे पैमाने के उद्योगों की स्थापना

†७९०. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री प० कुन्हन :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ते में छोटे पैमाने के उद्योग स्थापित करने के लिये चैकोस्लोवाकिया ने पेशकश की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या ;

(ग) क्या सरकार ने उस पर विचार कर लिया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणानम निकला है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** (क) सरकार को ऐसी कोई पेशकश प्राप्त नहीं हुई ।

(ख) से (घ) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

चाय बागानों के लिए वित्त

†७९१. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बताया गया है कि चाय सम्पदायें, १९६३ में अपने बागों को चलाने के लिये बैंकों से अपेक्षित ऋण प्राप्त करने में समर्थ नहीं रहीं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन शिकायतों की जांच की है और उन कठिनाइयों के कारणों का पता लगा लिया है ; और

(ग) सम्पदाओं के लिये अपेक्षित वित्त जुटाने के लिये क्या उपाय किये गये हैं, ताकि आगामी वर्ष में चाय उत्पादनों में परिणामस्वरूप कमी न होने पाये ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) नवम्बर-दिसम्बर, १९६२ में जो कठिनाई अनुभव की गई थी वह दूर कर दी गई है और अब चाय उद्योग को १९६३ में उनके बागों को चलाने के लिये बैंकों से सामान्य ऋण प्राप्त हो रहा है ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होते ।

चैकोस्लोवाकिया के सहयोग से रबड़ तथा चीनी मिट्टी के बर्तन आदि बनाने के कारखाने की स्थापना

†७९२. **श्री रा० शि० पाण्डेय :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चेकोस्लोवाकिया ने भारत में रबड़ तथा चीनी मिट्टी के बर्तन आदि बनाने के लिये कारखाने की स्थापना करने का प्रस्ताव भेजा है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या प्रस्ताव पर विचार कर लिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यारा क्या है ;

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय म उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी नहीं। परन्तु कुछ गैर-सरकारी व्यक्तियों ने चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से कुछ योजनायें पेश की हैं जिनको स्वीकार कर लिया गया है ।

(ख) और (ग). प्रश्न हो नहीं उठते ।

'सनफोराईजिंग' प्रक्रिया

†७९३. **श्री याज्ञिक** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विदेशी समवायों से संविदा का पुनः नवीकरण किया गया है जिससे कुछ कपड़ा मिल 'सनफोराइज़' करने की प्रक्रिया करती रहें ;

(ख) संविदा का किस अवधि के लिये नवीकरण किया गया ; और

(ग) संविदा की शर्तें क्या हैं तथा विदेशी समवाय को कितना धन दिया जायेगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग) : भारत सरकार का किसी विदेशी समवाय में "सनफोराइज़' करने की प्रक्रिया जारी रखने की कोई संविदा नहीं है। "सनफोराइज़ड" ट्रेड मार्क के स्वामित्व वाली अमरीकी फर्म से २४ नवम्बर, १९६२ के बाद व्यापार तथा वाणिज्यिक चिन्ह अधिनियम १९५८ के अधीन भारत में उस व्यापार चिन्ह का प्रयोग करने के प्रश्न पर कुछ बातचीत हुई थी। इस बातचीत के परिणामस्वरूप उपरोक्त अधिनियम के अधीन ६० कपड़ा मिलों को 'पंजीबद्ध प्रयोक्ता' का लाइसेंस २५ नवम्बर, १९६२ से ३ वर्ष की अवधि के लिये अपने कपड़े पर "सनफोराइज्ड" व्यापार चिन्ह लगाने का लाइसेंस दिया जा रहा है। इन मिलों के अतिरिक्त अन्य किसी मिल को इनमें शामिल नहीं किया जायेगा। २५ नवम्बर, १९६५ को समाप्त होने वाले ३ वर्ष के लिये इसकी अवधि अन्तिम रूप से बढ़ा दी गई है। सरकार का विचार इस तिथि को और आगे बढ़ाने का नहीं है। यह विदेशी सरकार तथा भारतीय मिलों दोनों को बता दिया गया है ।

(ग) 'सनफोराइज्ड' व्यापार चिन्ह के स्वामियों को विदेशी मुद्रा निम्न रूप में दी जाती है :

(एक) ०.१७५ सेंट (अमरीका) प्रतिगज ४५" अर्ज वाले कपड़े पर ।

(दो) उपरोक्त दर का ११० प्रतिशत ४५" से अधिक अर्ज वाले कपड़े पर ।

उपरोक्त दरों के अतिरिक्त एक पत्री वर्ष में या उसके किसी भाग में 'संनफोराइज़' करने वाली मशीन लगाने की रायल्टी ३५०० डालर है ।

भारतीय मिलों द्वारा दी जाने वाली रायल्टी की रकम के बारे में जानकारी सरकार के पास उपलब्ध नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

'सनफोराइज्ड' व्यापार चिन्ह के स्वामी अपनी आय का ५० प्रतिशत अथवा भारतीय अपड़ा मिलों द्वारा 'सनफोराइज्ड' कपड़े में निर्यात से प्राप्त विदेशी मुद्रा का १० प्रतिशत, दोनों में से जो भी कम हो, को देश के बाहर ले जा सकेंगे। पांच वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने पर इसको और आगे बढ़ाने के संबंध में विचार किया जायेगा।

भारतीयों के विदेशियों से विवाह

†७९४. **श्री महेश्वर नायक :**
श्री बसुमतारी :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार भारतीयों के विदेशियों से विवाहों का विनियमन करने के लिये विधान पुरस्थापित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित विधान किन सिद्धांतों पर आधारित किया जा रहा है ?

†**विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिभुवेन्द्र मिश्र)**: (क) और (ख) विधि आयोग ने अपने तेइसवें प्रतिवेदन में विदेशियों से भारतीय नागरिकों के विवाह का विनियमन करने की विधि-अधिनियममित करने की सिफारिश की है। १८ फरवरी, १९६३ को प्रतिवेदन की प्रति सभा पटल पर रख दी गई थी। प्रतिवेदन सरकार के विचाराधीन है।

सार्थों में विदेशियों की नियुक्ति

†७९५. **श्री महेश्वर नायक :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १,००० रुपये वेतन पाने वाले विदेशियों का भारत के देशी तथा विदेशी सार्थों में नियुक्त विदेशियों का पूरा ब्योरा अब उपलब्ध है ; और यदि हां, तो स्थिति क्या है ;

(ख) इन फर्मों के अधीन सेवा में कितना भारतीयकरण किया गया है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये कोई और कदम उठाने का है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ग) ध्यान १-१-६२ को भारत में विदेशियों का स्वामित्व प्राप्त/नियंत्रित फर्मों में अभारतियों का भारतीयों की नियुक्ति का विश्लेषण की ओर दिलाया गया है। उसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। १ जनवरी, १९६३ को नियुक्ति के आंकड़े दिखाने वाली जानकारी इस मंत्रालय द्वारा हाल में ही जारी सार्वजनिक सूचना के आधार पर उपलब्ध कर दी गई है।

अलाभप्रद चाय बागान[1]

†७९६. **श्री प्र० चं बरुआ :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में अलाभप्रद चाय बागान कितने हैं तथा उनका कितना क्षेत्रफल है ; और

(ख) इसको कम करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) "अलाभप्रद चाय बागान" की कोई ठोस परिभाषा नहीं है। लाभ न होने के कारण प्रविधिक अथवा

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Uneconomic Tea Garden.

आर्थिक दोनों हो सकते हैं। कछार, त्रिपुरा, तराई दारजिलिंग, कांगड़ा, मंडी, तथा नीलगिरि के चाय उगाने वाले क्षेत्रों को सामान्यत: देश के अन्य चाय उगाने वाले क्षेत्रों की तुलना में अलाभप्रद माना जाता है। अलाभप्रद चाय बागान की परिभाषा न होने के कारण अलाभप्रद चाय बागानों की संख्या तथा उसका क्षेत्रफल बताना संभव नहीं है।

(ख) इन क्षेत्रों में स्थित बागानों की कठिनाइयां कम करने के लिये सामान्यत: निम्न उपाय किये गये हैं :

(१) अधिक उपजाऊ क्षेत्रों की तुलना में उत्पादन शुल्क आर्थिक रूप से पिछड़े चाय क्षेत्रों से कम लिया जाता है ;

(२) कछार, त्रिपुरा, कांगड़ा तथा मंडी के चाय बागानों को मरम्मत तथा/अथवा नई चाय मशीनें लगाने आदि के लिये अधिकतम ७०,००० रुपये की ऋण सुविधा दी गई है ;

(३) उत्तर तथा दक्षिण भारत में उद्योग अनुसंधान केन्द्रों द्वारा इन चाय बागानों को चाय बोर्ड ५० प्रतिशत वैज्ञानिक तथा प्रविधिक परामर्श देता है ;

(४) त्रिपुरा के चाय बागानों से चाय परिवहन कलकत्ता तक करने के लिये विमान भाड़े में ३:६८ प्रति मन रुपया सहायता के रूप में दिया जाता है ;

(५) कांगड़ा घाटी तथा नीलगिरि के छोटे उत्पादकों की सहायता के लिये सहकारी चाय कारखानें बनाये गये हैं तथा यदि चाय बोर्ड को उचित प्रस्ताव दिये गये तो बोर्ड द्वारा इन कारखानों को और सुविधायें दी जायेंगी ; और

(६) कुछ चाय बागानों की आर्थिक कमी के कारणों का निश्चय करने के लिये तथा उनकी दशा सुधारने के लिये प्रविधिक आर्थिक सर्वेक्षण किया गया है।

इन आर्थिक सहायता की योजनाओं के अतिरिक्त यह बागान बोर्ड, की अन्य वित्तीय सहायता की योजनाओं जैसे बागान वित्त योजना, चाय मशीन उधार खरीद योजना, सिंचाई योजना आदि भी ले सकते हैं। बोर्ड अनुसंधान पर भी पर्याप्त ध्यान दे रहा है। इस के परिणाम ब्योरे उत्पादकों को भी बतायें जायेंगे ।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड

†७९७. **डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय रेशम बोर्ड की स्थिति में पर्याप्त सुधार करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो कब तथा किस प्रकार ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मलाया तथा सिंगापुर को इस्पात तथा अल्युमिनियम के बर्तनों का निर्यात

†७९८. **श्री रा० शि० पाण्डेय :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मलाया तथा सिंगापुर को इस्पात और अल्युमिनियम के बर्तनों का निर्यात खराब पैकिंग, बेईमानी के लेबल तथा ऊंचे मूल्यों के कारण कम हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :**

(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

रूई का आयात

†७९९. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२–६३ के लिये देश में रुई का कुल कितना आयात हुआ है ; और

(ख) इस पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय हुई ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) और (ख) :

मात्रा*	१९६२–६३ (अप्रैल–दिसम्बर, ६२@)
('००० गांठों में)	मूल्य* (लाखों में रुपये)
६७८.३	४५,४४.१२

जींद में दुग्ध-चूर्ण का कारखाना

८००. **श्री बेरवा कोटा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार जींद में दुग्ध-चूर्ण का एक कारख़ाना स्थापित करने जा रही है जो संभवतः १८ महीने में दुग्ध-चूर्ण बनाने लगेगा ;

@बाद के महीनों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

*पी० एल० ४८० व्यापार के अधीन २,१५,३०० गांठों (१२.२३ करोड़ रुपये के मूल्य के) समेत सर्वथा आयात किया गया । देने के लिये रुपये का भुगतान रुपयों में किया गया ।

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) यदि हां, तो इस कारखाने पर अनुमानतः क्या लागत आयेगी और क्या यह कारखाना किसी विदेशी सहायता से बनाया जायेगा ;

(ग) किस देश ने सहायता दी है और इस में सरकार का क्या हिस्सा होगा ; और

(घ) यह दुग्ध-चूर्ण दूध से मंहगा होगा या सस्ता ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) प्रतिरक्षा सेवाओं की आवश्यकतायें पूरी करने के लिये दुग्ध-चूर्ण तथा फीका गाढ़ा दूध बनाने के लिये एक कारखाना लगाने की योजना सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर ली गई है। किन्तु इसके लिये अनुमति विस्तृत अनुमानों, निर्माण की लागत तथा अन्य संबंधित मामलों की जांच कर लेने के बाद ही दी जायेगी। जिन स्थानों का सर्वेक्षण किया गया है उनमें पंजाब राज्य का जींद भी शामिल है किन्तु इस बारे में अन्तिम निर्णय अभी नहीं किया गया है।

(ख) और (ग). इस परियोजना के ख़र्च का अनुमान लगभग ६५ लाख रुपये लगाया गया है किन्तु विभिन्न सूत्रों से मांगे गये विस्तृत उद्धरणों के प्राप्त हो जाने पर इसका पुनरीक्षण भी किया जा सकेगा। यह कार्य प्रतिरक्षा मंत्रालय करेगा और इसकी स्थापना में विदेशी सहायता नहीं ली जायेगी।

(घ) उत्पादन लागत का आकलन परियोजना के अनुमानों तथा स्थान आदि के बारे में निर्णय हो जाने के बाद ही किया जा सकेगा।

सोयाबीन का तेल

†८०१. **श्री दे० जी० नायक** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पी० एल० ४८० योजना के अधीन अमरीका से सोयाबीन के तेल का आयात करने का निर्णय किया गया है ; और

(क) यदि हां, तो कितना आयात किया जायेगा तथा इसको आयात करने के क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

उप-चुनाव

†८०२. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन निर्वाचन क्षेत्रों में संसद् तथा विधान सभाओं के उप-चुनाव होंगे ;

(ख) क्या इन उप-चुनावों को कराने के लिये कोई कार्यक्रम बनाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिभुधेन्द्र मिश्र)** : (क) ऐसा ८ मार्च १९६३ की स्थिति बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०--९७०/६३]**

कहवे का उत्पादन

८०४. **श्री बेरवा-कोटा** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में कहवे का उत्पादन बढ़ाने के बारे में सरकार ने आदेश दिये हैं ;

(ख) अन्य किन-किन राज्यों में कहवे की खेती हो सकती है और किस परिमाण में ; और

(ग) १९६२ में कहवे के उत्पादन तथा निर्यात की गई मात्रा का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, नहीं।

(ख) अन्य क्षेत्रों जिनमें कहवा की खेती होने की सम्भावना जान पड़ती है उनके नाम आन्ध्र प्रदेश, आसाम, उड़ीसा और अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह हैं। इन क्षेत्रों में कहवा की खेती किस परिमाण में सफलतापूर्वक हो सकती है इसका पता इन क्षेत्रों में जो प्रयोगात्मक योजनाएं चल रही हैं उनके परिणाम प्राप्त हो जाने के बाद ही लग सकेगा।

(ग) उत्पादन (१९६१-६२ फसल): ४५,६८८ मीट्रिक टन

निर्यात (१९६२) : १९,८२९ मीट्रिक टन।

दिल्ली के खादी भंडार में कपड़ों का स्टाक

८०५. **श्री बेरवा-कोटा** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के खादी भंडार में कपड़ा काफ़ी तादाद में भरा पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसे बेचने के लिये ग्राहकों को कुछ छूट दी है ; और

(ग) अगर हां, तो कितनी और किन-किन कपड़ों पर ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

---

†मूल अंग्रेजी में

निधन सम्बन्धी उल्लेख

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे सदन को अपने दो मित्रों के खेदजनक निधन के बारे में बताना है, वे हैं, श्री जय नारायण व्यास और श्री छेदालाल गुप्त ।

श्री जय नारायण व्यास संविधान सभा तथा अस्थायी संसद् के १९४७ से लेकर १९५१ तक सदस्य रहे । १९५१–५४ तक वह राजस्थान के मुख्य मंत्री रहे । १४ मार्च, १९६३ को नई दिल्ली में ६४ वर्ष की आयु में उनका देहान्त हो गया ।

श्री छेदालाल गुप्त १९५७ से १९६२ तक दूसरी लोक सभा के सदस्य थे । उनका हरदोई में १४ मार्च, १९६३ को देहान्त हो गया । वह ६४ वर्ष के थे ।

हमें इन मित्रों के निधन का हार्दिक खेद है । मुझे विश्वास है कि सदन इस बात में मेरे साथ होगा कि सन्तप्त परिवारों को सदन की संवेदना भेजी जाय ।

सदन अपना दुःख प्रकट करने के लिए कुछ क्षणों के लिए खड़ा रहेगा ।

इसके पश्चात् सदस्य कुछ समय के लिए मौन खड़े रहे ।

सभा पटल रखे गये पत्र

समवाय अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : मैं समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६४२ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत, दिनांक २ मार्च, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ३४४ में प्रकाशित कंपनीज़ (केन्द्रीय सरकार की) सामान्य नियम और प्रपत्र संशोधन नियम, १९६३ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ९६४/६३]

सम्पदा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय म अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) संपदा शुल्क-अधिनियम, १९५३ की धारा ३३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत, दिनांक २ मार्च, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ३३७ की एक प्रति ।

(२) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत, दिनांक १ मार्च, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ३८४ में प्रकाशित केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क (पांचवां संशोधन) नियम, १९६३ की एक प्रति ।

(३) सीमा-शुल्क अधिनियम, १९६२ की धारा १५९ के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक १ मार्च, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या ३८५

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) दिनांक १ मार्च, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या ३८६

(ग) दिनांक १ मार्च, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या ३८७

(घ) दिनांक १ मार्च, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या ३८८

(ङ) दिनांक १ मार्च, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या ३८९

(च) दिनांक १ मार्च, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या ३९०

(छ) दिनांक १ मार्च, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या ३९१

(ज) दिनांक १ मार्च, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या ३९२

(झ) दिनांक १ मार्च, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या ३९३

(ञ) दिनांक १ मार्च, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या ३९४

(ट) दिनांक १ मार्च, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या ३९५

(ठ) दिनांक १ मार्च, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या ३९६

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए क्रमशः संख्या एल० टी० ९६५/६३, एल० टी० ९६६/६३ तथा एल० टी० ९६७/६३]

राज्य सभा सें सन्देश

†**सचिव** : श्रीमान् जी, मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्न सन्देशों की सूचना देनी है :—

(१) "राज्य सभा के प्रक्रिया सम्बन्धी नियम १६२ के उपनियम (६) के अन्तर्गत राज्य सभा को लोक सभा द्वारा ४ मार्च, १९६३ को पारित किये गये विनियोग (रेलवे) विधेयक १९६३ के सम्बन्ध में कोई सिफारिश नहीं करनी है ।"

(२) "राज्य सभा प्रक्रिया सम्बन्धी नियम ९७ के अन्तर्गत राज्य सभा ने अपनी मार्च, १९६३ की बैठक में भारतीय उत्प्रवास (संशोधन) विधेयक, १९६३ को पारित कर दिया है ।"

भारतीय उत्प्रवास (संशोधन) विधेयक

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया

†**सचिव** : श्रीमान् जी, मैं भारतीय उत्प्रवास (संशोधन) विधेयक, १९६३ को राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में सभा पटल पर रखता हूं ।

लोक लेखा समिति

आठवां प्रतिवेदन

श्री त्यागी (देहरादून) : मैं विनियोग लेखे (असैनिक), १९६०–६१ और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (असैनिक), १९६२ के बारे में लोक लेखा समिति का आठवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सामान्य आयव्ययक––सामान्य चर्चा––जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : अब हम सामान्य आयव्ययक १९६३–६४ पर चर्चा करेंगे ।

†**श्री मुरारका** (झुनझुनूं) : प्रत्येक वर्ष वित्त मंत्री महोदय जब आयव्ययक प्रस्तुत करते हैं तो उन्हें गालियां भी मिलती हैं और श्रद्धांजलियां भी । आज की स्थिति इस मामले में अपवाद नहीं है । इस वर्ष तो इसकी आलोचना कुछ अधिक उग्र रूप में हुई है । इस वर्ष का बजट बिलकुल असाधारण है । ३०६ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है । नये कर लगाये गये हैं । आज देश की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत जरूरी है । सुरक्षा और प्रगति की समुचित कीमत देनी ही पड़ती है ।

वित्त मंत्री ने राजस्व प्राप्त करने के चार साधन बताये हैं अर्थात् कराधान, कर्जा लेना, घाटे की अर्थ व्यवस्था और अनिवार्य बचत । उन्होंने इन चारों को ही प्रयोग किया है । कराधान २९६ करोड़ का, कर्जा ४०० करोड़ का और घाटे की अर्थव्यवस्था १५१ करोड़ रुपये तक की और अनिवार्य बचत ७० करोड़ रुपये तक की । स्पष्ट है कि नये कराधान का उद्देश्य अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करना ही है । यह कहना गलत है कि हमारी नीति से विदेशी पूंजी प्राप्त करने में कठिनाई होगी । इक्नोमिस्ट सर्वे के ३५ पृष्ठ पर गत चार वर्ष की विदेशी पूंजी की तालिका दी है । इन वर्षों में पूंजी बाहर से आई है । १९६१–६२ के प्रथम छः मास में ही २२·७ करोड़ का हिसाब किताब हुआ है ।

इसी तरह यह भी गलत है कि यह कर योग्यता पर कर है । एक बात को समझना चाहिए कि आखिर कर लगता तो आय पर ही है । समवायों को अधिक लाभ इसलिए हो रहा है क्योंकि कोई भी मुकाबला नहीं है । अच्छी व्यवस्था की बातें निराधार हैं । यह गलत है कि अच्छे समवायों पर कर लगेगा ।

तीसरी बात यह कही गयी है कि राजस्व के बहुत से भाग का अनुमान बहुत कम लगाया गया था । यह बात भी निराधार है । इसी तरह करों के कारण हमें पूंजी नहीं मिलेगी, यह बात भी गलत है । बात बिलकुल सीधी है कि कर किसी समवाय से उसी समय लिया जाता है, जब वह काफी नफा कमाने के योग्य होती है ।

सरकार ने जो कर-प्रस्ताव रखे हैं, वे अनुचित नहीं हैं । जहां तक अधिलाभ-कर का सम्बन्ध है, किसी भी दृष्टिकोण से इसकी आलोचना करना उचित नहीं है । यह कहना ठीक नहीं है कि इससे विदेशी पूंजी के विनियोग पर प्रभाव पड़ेगा जो कि मुख्यतः किसी देश की कर नीति पर निर्भर न हो कर उस देश की राजनीतिक स्थिरता पर निर्भर होती है । यदि यह मान लिया जाये कि यह कर कुशलता पर कर है, तो सभी आय-कर को ही समाप्त कर देना होगा क्योंकि किसी भी प्रकार का आय-कर कुशलता पर कर समझा जा सकता है । इसके अतिरिक्त कम्पनियों में जो लाभ होता है वह केवल कुशल प्रबन्ध के कारण नहीं है, लाभ के अन्य कई पहलू और भी हैं । कम्पनियों द्वारा लाभ कमाने का मुख्य कारण हमारी अस्पष्ट अर्थ-व्यवस्था है ।

अभिलाभ-कर के कारण उत्पादन में कमी होने का कोई प्रश्न नहीं है । गैर-सरकारी क्षेत्रों का काम केवल लाभ कमाना ही नहीं है । वे विकास रोजगार आदि पर भी ध्यान देते हैं । करों का भुगतान करने के बाद भी बड़ी बड़ी कम्पनियों के पास लाभ का बहुत भाग बचा रहेगा । "सेन्च्युरी मिल्स, बम्बई" के मामले में, यह लाभ प्रदत्त पूंजी पर २६ प्रतिशत होगा जब कि "इंण्डियन आयरन

---

†मूल अंग्रेजी में

एण्ड स्टील कम्पनी" में प्रस्तावित कर देने के बाद यह २६·६ प्रतिशत होगा। यह कोई कम प्रतिशतता नहीं है।

द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान अतिरिक्त लाभ कर ६६ प्रतिशत था। बाकी की रकम सरकार के पास अनिवार्य जमा धन के रूप में जमा करानी पड़ती थी। इस समय जब कि देश पर आक्रमण हुआ है, सरकार ने अधिलाभ कर के रूप में केवल ५० प्रतिशत अथवा ६० प्रतिशत मांगा है। यदि सरकार उस हद तक कर नहीं लगाती तो देश का हित नहीं होगा इसके अतिरिक्त सरकार को एक अन्य कठिनाई की ओर ध्यान देना चाहिये। इस समय देश में ऋण की स्थिति बड़ी कठिन है। सरकार यह देखे कि पूंजी के अभाव के कारण किसी कम्पनी की गति रुक न जाये।

जहां तक राजस्व का कम अनुमान लगाने का सम्बन्ध है, वर्तमान स्थिति में जबकि हमारी राजस्व सम्बन्धी आवश्यकता असीमित है, इससे किसी को कष्ट नहीं होगा। तथापि, जनता के इस धन को उचित ढंग से खर्च करने की बड़ी जिम्मेवारी सरकार पर है। लोगों को यह सुनिश्चित किया जाये कि उन्होंने जो धन दिया है, उनका दुरुपयोग नहीं किया गया है। क्योंकि ये कर देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक प्रगति के नाम पर लगाये जा रहे हैं।

संघ राज्य-क्षेत्र—विधेयक के बारे में

†**गृह कार्यमंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : मैं चाहता हूं कि इस विधेयक को संयुक्त समिति के सुपुर्द कर दिया जाय और संयुक्त समिति बना ली जाय। इन क्षेत्रों के लोगों की बहुत इच्छा है कि ऐसा विधेयक पारित किया जाय। यह इसी सत्र में पारित किया जाना चाहिए। मैं ने यह भी कह दिया है कि मंत्रणा समिति की बैठक भी अन्तिम हो है। इन क्षेत्रों के लोगों से और प्रतीक्षा नहीं करवाई जानी चाहिए। यदि इसके लिए कुछ अतिरिक्त समय दे दिया जाय तो मैं बहुत आभार मानूंगा। इस विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपा जाय ताकि इस पर वहां पूरी चर्चा हो सके।

†**अध्यक्ष महोदय**: सभा की इस बारे में क्या राय है? क्या सभा यह चाहती है कि हम इस चर्चा को कुछ समय तक जारी रखें, अथवा वह इस सुझाव पर सहमत है कि चर्चा के बगैर ही इसे प्रवर समिति को भेज दें?

†**कुछ माननीय सदस्य** : जी नहीं।

†**अध्यक्ष महोदय** : खैर, इस पर हम कम से कम समय चर्चा करेंगे। क्या इसे कल लिये जाने की सम्भावना है?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मैं तैयार हूं, अतः यह सभा पर निर्भर करता है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : इस प्रस्ताव पर संशोधन भी हैं। इसलिये चर्चा के बगैर हम कैसे पारित कर सकते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : कठिनाई यह है कि राज्य सभा १९ तारीख को स्थगित हो रही है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरि विष्णु कामत** : यदि आवश्यकता पड़ी तो हम कल एक घंटा देर तक बैठ जायेंगे, परन्तु चर्चा अवश्य होनी चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं यह नहीं कह रहा कि चर्चा न हो । मैं तो केवल यह पूछ रहा था कि क्या हम इसे कल ले सकते हैं ?

†**श्री हरि विष्णु कामत** : यदि आवश्यकता हुई तो हम देर तक बैठेंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : तो फिर हम इसे कल लेंगे ।

सामान्य आयव्ययक––सामान्य चर्चा––जारी

श्री ज० ब० सिंह० (घोसी) : अध्यक्ष महोदय, इस बजट के आने के पहले मुझे एक बहुत बड़ी आशा थी और वह आशा इसलिए थी कि इस इमरजेंसी के दौर में हम ने कुछ बातें सीखी थीं और वे बातें ये थीं जब इमर्जेंसी लागू हुई और देश की जनता से पैसा मांगा गया तो देश की जनता ने खुल कर पैसा दिया, और इस बात को सभी लोगों ने माना है कि इस इमरजेंसी में सब से ज्यादा पैसा देने वाले थे किसान, मज़दूर और मध्यम वर्ग के लोग और मेहनतकश लोग, लेकिन बड़े बड़े लोगों ने अपनी तिजोरियां नहीं खोलीं । इस बात को हमारे प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने माना और हर एक राज्य के मिनिस्टरों ने माना है कि इमरजेंसी में सब से ज्यादा पैसा मेहनतकश लोगों ने दिया और बड़े लोगों ने अपनी तिजोरियां नहीं खोलीं । मुझे आशा थी कि श्री मोरारजी देसाई ऐसा बजट लायेंगे कि जिससे वे उन लोगों की तिजोरियां खोलेंगे जिन्होंने खुशी से डिफेंस के लिए पैसा नहीं दिया था । मुझे आशा थी कि जो बजट आयेगा उसमें उन लोगों पर ज्यादा बोझ पड़ेगा जो लोग देश के अन्दर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाते हैं । लेकिन जब मैं ने इस बजट को पढ़ा तो मुझे एक जुमला याद आया और वह जमला यह है :

बेकार हसीनों से उम्मीद वफा करना

मुझे आशा थी कि जो बजट आयेगा उसके कारण बड़े बड़े लोगों की तिजोरियां खुलेंगी, उन पर ज्यादा टैक्स होगा । और देश के डिफेंस के लिए और देश को मजबूत बनाने के लिए, देश के विकास के लिए एक नए किस्म का बजट आयेगा और एक नए तरीके का बजट आयेगा ।

अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बजट से यह शिकायत नहीं है कि इस से २७५ करोड़ का आपने टैक्स लगाया है । आप और भी टैक्स लगा सकते थे । जब देश की ऐसी हालत हो रही है और देश पर हमले हो रहे हैं तो देश की हिफाजत के लिए सब कुछ त्याग किया जा सकता है और करना चाहिए । तो मुझे टैक्स से शिकायत नहीं है । मुझे शिकायत दूसरी है । मुझे शिकायत यह है कि आप ने कहा कि मैं तो ऐसा बजट अब की लाया हूं कि सब पर बराबर बोझ पड़ता जायगा, और देश के सब लोग किसान और पूंजीपति, यह महसूस करेंगे कि देश की रक्षा करना हमारा कर्त्तव्य है और देश की रक्षा के लिए सब कुछ त्याग देना चाहिए ।

मैं पहली बात जो अध्यक्ष महोदय, आप के ज़रिए पेश करना चाहता हूं वह यह कि आप देखें कि आप का बजट और आप का टैक्स किस तरह का टैक्स है ? आप कहते हैं कि हम ने सब पर दबाव डाला है । किसी पर सुपर प्राफ़िट टैक्स लगाया है तो किसी पर कुछ अन्य टैक्स लगाये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

हर तरीक़े के टैक्स लगाये हैं । मैं टैक्सों का जिक्र करना चाहूंगा क्योंकि यहां आंकड़े और बाज़ चीज़ें पेश हुई हैं । आप ने पांच रुपया जो किसान . . . . .

अध्यक्ष महोदय : यह सारा इल्ज़ाम मुझ पर तो न लगाइये कि मैं ने यह सब टैक्स लिये ?

श्री ज० ब० सिंह : आप के ज़रिए मैं वित्त मंत्री को कहना चाहता हूं । अगर टैक्स वग़ैरह का काम आप के हाथ में रहता तो शायद इस तरह से यह टैक्स न होते ।

अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ़ किसानों की बात करना चाहता हूं । मैं उन ज़िलों से आ रहा हूं जिन उत्तरप्रदेश के पूर्वी ज़िलों की चर्चा बराबर की जाती है । एक किसान जो ५ रुपया मालगुज़ारी देगा ५० परसेंट मजबूरन उसे जमा करना पड़ेगा । यह कम्पलसरी सेविंग्ज़ स्कीम जिसे आप कहते हैं उस के अधीन उसे जमा करना पड़ेगा । इसी तरह एक ज़मीदार जो पुराना ज़मींदार है, आज किसान का नाम धारण किए हुए है, ५०० रुपये मालगुज़ारी देता है उसे भी ५० परसेंट जमा करना पड़ेगा । यह आप का इक्विटेबुल टैक्स है । यह ५ रुपया मालगुज़ारी देने वाला जिस के कि ढाई रुपये अनिवार्य बचत योजना के मातहत चले जायेंगे उस ग़रीब काश्तकार का गुज़ारा कैसे चलेगा ? अब ५०० रुपये की मालगुज़ारी देने वाला यदि ५० परसेंट सेविंग स्कीम में दे देता है तो भी उस के पास काफ़ी पैसा बच रहता है जिस में कि वह खा सकता है, पहन सकता है और ज़िन्दा रह सकता है ।

श्री अशोक मेहता की रिपोर्ट आप देखिये पूर्वी उत्तरप्रदेश के ज़िलों के बारे में उन्होंने लिखा है, आज़मगढ़ के बारे में उन्होंने साफ़ तौर से लिखा है कि एक आदमी को रोज़ाना ३ छटांक खाना मिलता है । अब वित्त मंत्री महोदय स्वयं सोच सकते हैं कि ४ छटांक खाने वाले किसान से जोकि एक, डेढ़ या दो एकड़ भूमि को जोतने वाला है उस पर भी क्या वे उतना ही टैक्स लगा सकते हैं जितना कि वे ५०० या १०० रुपया लगान देने वाले पर लगाते हैं ? क्या इसी के लिए आप कहते हैं कि यह बिलकुल इक्विटेबुल टैक्स है और सोशलिस्टिक टैक्स है । अगर यही आप की सोशलिज्म है तो क्या है ऐसी सोशलिज्म पर से । यह सोशलिज्म क़तई नहीं है । अगर आप ने यह टैक्स इस तरह से लगाया होता कि ५०० रुपया या १०० रुपया लगान देने वालों से टैक्स नहीं लिया जायगा लेकिन १००० से ऊपर जो देगा उस को ५० परसेंट जमा करना पड़ेगा, तो मैं समझता कि आप का दृष्टिकोण, आप का नज़रिया ऐसा है जिस से कि आप चाहते हैं कि पैसा उन लोगों से लिया जाय जिन के कि पास काफ़ी आमदनी है और जिन के कि पास काफ़ी मुनाफ़ा है ।

दूसरी बात मिट्टी के तेल के बारे में कहनी है । मिट्टी के तेल पर १० नये पैसे प्रति बोतल या ७ नये पैसे प्रति बोतल और पड़ जायेंगे । मिट्टी के तेल के दाम में वृद्धि करने का आर्गुमेंट यह दिया जा रहा है कि साहब इससे फ़ौरेन एक्सचेंज हमारे देश को बहुत ज्यादा मिल जायगा । बाहर के मुल्कों से ज्यादा तिजारत होगी और देश को आर्थिक फायदा होगा । मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि मिट्टी के तेल का इस्तेमाल कौन करता है ? यहां दिल्ली विशेष कर नई दिल्ली में तो मिट्टी के तेल का कोई इस्तेमाल करता नहीं है, थोड़ा स्टोव्स में अलबत्ता जलता है लेकिन आप देहातों में चले जाइये हर एक घर में मिट्टी का तेल इस्तेमाल होता आप को मिलेगा । अगर किसान मिट्टी का तेल इस्तेमाल नहीं करेगा तो वह सरसों के तेल का इस्तेमाल करेगा जो उससे भी ज्यादा कीमती है और जिस से कि वह परेशान है । गांवों में मुख्य रूप से मिट्टी का तेल ही इस्तेमाल होता है ।

अब अगर वह मिट्टी के तेल आदि से अपनी झोंपड़ी को और घर को किसी तरह से रौशन करना चाहता है तो उलटे उसे कुछ मदद देते आप उस के घर के चिराग़ को ही गुल कर देना चाहते

[श्री ज० ब० सिंह]

हैं। फौरेन एक्सचेंज के नाम पर आप यह चीज़ कह रहे हैं जबकि दूसरे तरीक़ों से भी आप इस को कर सकते हैं। लेकिन वैसा न कर उस गरीब की झोंपड़ी के चिराग़ को गुल कर के आप कहते हैं कि हमारा बजट इस तरह का बजट है जोकि समाजवाद की तरफ हमें ले जायेगा।

आप कहते हैं कि जो लोग कम्पलसरी सेविंग्ज़ स्कीम में पैसा जमा करेंगे उन को आप ४ फ़ीसदी का इंटरेस्ट देंगे। ठीक बात है चार फ़ीसदी बचत पर देंगे। लेकिन यह जो सोना चोर हैं और गोल्ड बौण्डस जो आप इन को देंगे तो उस पर आप इन को साढ़े ६ परसेंट सूद देंगे। यह है आप का समाजवादी बजट ? अगर आप पैसा ही लेते हैं तो जो लोग १०० रुपये तक लगान देते हैं, २०० रुपये तक लगान देते हैं, उन को आप कहते कि हां साहब तुम्हें साढ़े ६ फ़ीसदी ब्याज दिया जायगा। उससे ज्यादा पर २ फ़ीसदी दिया जायगा या ३ फ़ीसदी दिया जायेगा। अगर इस तरह से किया जाता तो मेरी समझ में यह आता कि आपका बजट वाकई एक प्रोग्रेसिव बजट है।

अभी हमारे एक दोस्त बोल रहे थे और इसे प्रोग्रैसिव बजट वह बतला रहे थे। हां, प्रोग्रैसिव इस माने में है कि वह तबक़ा, वह हिस्सा देश का, जोकि देश को ऐक्सप्लाएट करता है, जो दूसरों के मुनाफ़े पर ज़िंदा रहता है उस को आप ने बख्श दिया है। अगर प्रोग्रैसिव का यही मतलब है तो इस माने में यह बजट ज़रूर प्रोग्रैसिव है और मैं भी कहता हूं कि यह प्रोग्रैसिव बजट है।

एक बात मैं और आप के जरिए पेश करना चाहता हूं। हमारे वित्त मंत्री महोदय ने इनकम-टैक्स की ऐसी व्यवस्था रक्खी है कि ५,००० रुपये सालाना आमदनी वाला व्यक्ति जोकि पहले करीब करीब ४२ रुपये बतौर इनकमटैक्स के पे करता था, उसे अब २४१ रुपये पे करने पड़ेंगे। लेकिन १ लाख जिस की सालाना आमदनी होगी उसे करीब ७ परसेंट देना होगा। ५,००० रुपये की सालाना आमदनी वाले का इनकमटैक्स जहां अब करीब ४७५ फ़ीसदी बढ़ेगा, वहां १ लाख रुपये की जो सालाना आमदनी करेगा उसका इनकमटैक्स करीब ७ परसेंट ही बढ़ेगा। अब इस टैक्सेशन को अगर आप कहें कि प्रोग्रैसिव है तो मैं इसे कैसे प्रोग्रैसिव टैक्सेशन मान सकता हूं ?

यह सही बात है कि हमारे वित्त मंत्री महोदय बड़े क़ाबिल आदमी हैं। हम लोगों को बड़ा अच्छा जवाब भी दे देंगे और अपने पक्ष में बहुत अच्छे आंकड़े भी पेश कर देंगे लेकिन मैं एक बात उनसे अवश्य निवेदन करना चाहूंगा कि आज देश में इमरजेंसी चल रही है और देश की सुरक्षा करनी है यह भी सही बात है लेकिन मैं उन से पूछता हूं, अपने पूर्वी उत्तरप्रदेश की बात लाता हूं, उत्तरप्रदेश के उत्तर में वह चीनी हमलावर खड़े हैं जबकि दूसरी तरफ़ देखें तो पूर्व में उधर नैपाल मौजूद है। पूरी सरहद इस तरह से घिरी हुई है। अब सुरक्षा की दृष्टि से ऐसे महत्वपूर्ण इलाके के लिये मुझे बतलायें कि पहली, दूसरी या तीसरी पंचवर्षीय योजना में इन इलाकों के अन्दर आप ने कौन सी इंडस्ट्रीज लगाई है और किस तरह से उन की आमदनी बढ़ाई है ? हां, अलबत्ता इनकम बढ़ाने का एक तरीका आप का यह है कि खाद ज्यादा डालिये। अब खाद कौन ज्यादा डाले ? पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो वे जानते ही हैं कि औसतन ८० फ़ीसदी लोगों के पास एक, डेढ़ या दो एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं है। वे बेचारे कहां से खाद डालेंगे और कहां से सा लायेंगे ? जब डिफैंस की बात आती है तो मैं पूछना चाहूंगा कि डिफैंस के लिए यह जरूरी नहीं है कि उन इलाकों के अन्दर नई नई इंडस्ट्रीज लगाई जायं जिस से उन की आमदनी बढ़े ? जाहिर है कि जो जनता सन्तुष्ट नहीं होती है और परेशानी होती है वह जनता मजबूती के साथ डिफैंड नहीं कर पाती है। इसलिये मैं कहता हूं कि आप उन क्षेत्रों की तरफ ध्यान दीजिये। वे क्षेत्र जो कि सचमुच में डेंजरस हैं और काफी अविकसित हैं उन को अगर आप

विकसित करें, विकास व्यवस्था ऐसे पिछड़े क्षेत्रों के लिये चालू करें तो सुरक्षा की दृष्टि से भी यह लाभकर होगा क्योंकि विकास और डिफैंस यह दोनों वास्तव में एक दूसरे से मिले हुए हैं। बगैर विकास किए आप अपने मुल्क को मजबूती से बचा नहीं सकते हैं। उन इलाकों में जो कि अविकसित हैं नई इंडस्ट्रीज लगाइये उनको डेवलप कीजिये जहां पर कि खतरा है। जहां पर उत्तर में इस तरफ तो चीन है और दूसरी तरफ का बहुत बड़ा एरिया हमारा नेपाल की सरहद से मिलता है। जब सरकार इन एरियाज को नेलेक्ट करती है, तो फिर उस को इन एरियाज पर—आजमगढ़, बलिया और उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों पर—टैक्स लगाने का क्या नैतिक अधिकार है। उन इलाकों के बारे में हमारे एक दोस्त ने बताया था कि चूंकि वहां के लोगों को खाने को नहीं मिलता है, इस लिये वे गोबर में से दाने बीन-बीन कर खाते हैं। उन इलाकों की इतनी दयनीय दशा है, लेकिन फिर भी सरकार उन पर टैक्स लगायेगी और वे लोग उन टैक्सिज को देंगे।

मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि वह इस बात का मूल्यांकन करे कि इमर्जेन्सी पीरियड में विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने डिफैंस के लिये क्या योगदान दिया है। हम लोगों का दावा है कि पूर्वी जिलों के लोगों ने डिफैंस फंड में डट कर और मजबूती के साथ पैसा दिया है —वह पैसा चाहे उन्हों ने घर बेच कर दिया हो, गहने बेच कर दिया हो, जैसे भी दिया हो। देवरिया, आजमगढ़, बलिया, सभी जिलों ने खूब पैसा दिया है। इसलिये सरकार को पूर्वी इलाकों की तरफ ध्यान देना चाहिये।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह से सब लोगों पर टैक्स लगा देने से और खाली समाजवाद का नारा लगा देने से समाजवाद आने वाला नहीं है। देश में समाजवाद को स्थापित करने के लिये यह मूल सिद्धान्त सामने रखना चाहिये था कि जिस की आमदनी ज्यादा हो, उस पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स हो और जिसकी आमदनी कम हो, उसकी आमदनी को बढ़ाने का कोई तरीका निकाला जाए। यह नहीं होना चाहिये था कि सब को एक लाठी से हांका जाय।

जब इमर्जेन्सी शुरू हुई तो यू० पी० एसेम्बली में हमारे साथियों ने कहा कि लगाओ जमीन पर टैक्स, हालांकि उस से पहले हम लोगों ने उस की मुखालफत की थी। उधर वह टैक्स लग गया और इधर केन्द्रीय सरकार ने यह टैक्स लगा दिया। इस प्रकार उन लोगों पर दोहरा टैक्स लग जाएगा। और किसान तथा मजदूर त्राहि-त्राहि करेंगे, जब कि वे देश की सुरक्षा के लिये खुशी से पैसा देने के लिये तैयार हैं। मेरा कहना है कि यह टैक्स गरीबों के लिए परेशानी पैदा करेगा और उन के जीवन को और कठिन बना देगा।

जहां तक सुपर प्राफिटस टैक्स का सवाल है, पूंजीपतियों और धनी वर्ग पर जब भी कोई टैक्स लगाया जाता है, वे चिल्लाना शुरू कर देते हैं। उन के पास अखबार हैं, सब साधन हैं और उन सब का वे प्रयोग करते हैं। इस की तुलना में इस टैक्स के अधीन मिडल क्लास के १४५ रुपये पाने वाले को भी उतना ही देना पड़ेगा और ५०० रुपये पाने वाले को भी उतना ही देना पड़ेगा, जिस की वजह से वे लोग परेशान हैं। इस के बावजूद उन की आवाज, किसान और मजदूर की आवाज, उठती नहीं है—वह आवाज सरकार तक पहुंचती ही नहीं है वह आवाज माननीय मंत्री के दिल को नहीं हिला पाती है। हमें खुशी है कि हमारे कुछ दोस्तों ने कहा कि सुपर प्राफिट्स टैक्स लगने से कोई नुकसान नहीं होगा, फायदा होगा, कुछ बचत होगी। जो गरीब लोग हैं, जो किसान मजदूर हैं, उन के लिये तो बचत का सवाल ही नहीं है। उन के पास जो कुछ है, वह सब निकला जा रहा है और उन को कहीं से कुछ मिलने की आशा नहीं है।

सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने पूर्वी उत्तरप्रदेश की हालत को जानने के लिये एक कमीशन भेजा था। प्रश्न यह है कि यह सरकार कहां की हालत नहीं जानती है। माननीय मंत्री मोटर पर चढ़ कर घूम आयें और सब जगहों की हालत उन को मालूम हो जायेगी। उन को पता लग जायेगा कि वहां पर लोग कैसे रहते हैं और कैसे जिन्दा हैं। हमने देखा है कि विवियन बोस की रिपोर्ट के आने में सात आठ बरस

[श्री ज० ब० सिंह]

लगे। इसलिये मैं समझता हूं कि इस कमीशन की रिपोर्ट आने में दस बरस लगेंगे और इन दस बरसों में संकट और क्राइसिस पैदा होंगे, लोग भूखों मरेंगे और फिर वही टांय टांय फिस—कुछ भी नहीं होगा।

मैं कहना चाहता हूं कि यह बजट गरीबों के गले को घोंटता है और पूंजीपतियों के उस तबके को बचाना चाहता है, जिस को हमारे फिनांस मिनिस्टर साहब बचाना चाहते हैं। इस में उन की नीयत की कोई बात नहीं है। जो टैक्स लगाए गए हैं, उन से तो यही मालूम होता है कि वह उस तबके को बचाना चाहते हैं और सारा बोझ उन तबकों पर लादना चाहते हैं, जो कि सही मायनों में देश की रक्षा के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं, जैसा कि इमर्जेंसी ने साबित कर दिया है।

मेरा निवेदन है कि अगर रुपया लेना था, तो क्यों नहीं बैंक्स को नैशनेलाइज कर दिया गया? इस में क्या मुश्किल या परेशानी है? जब बर्मा ने यह कदम उठा लिया है, तो फिर यह सरकार किस से डरती है। इस के पीछे तो बड़ी ताकत है। जो शिपिंग कम्पनीज हैं और जो फारेन ट्रेड हैं, सरकार उन को अपने हाथ में क्यों नहीं ले लेती है। उन को नैशनेलाइज करने में सरकार क्यों घबराती है? इस के अलावा प्रिवी पर्सिज के लिए सरकार के दिल में साफ्ट कार्नर क्यों है? उन को बन्द कर देने से कोई भूखों मरने वाला नहीं है। उन के पास इतनी रकम है—यहां भी और फारेन बैंक्स में भी—कि कोई भूखों मरने वाला नहीं है। इसलिये कम से कम इमर्जेंसी पोरियड के लिये प्रिवी पर्सिज को क्यों नहीं बन्द कर दिया जाता है?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को मालूम नहीं है कि महारानी साहब उन के पीछे बैठी हुई हैं।

श्री ज० ब० सिंह० अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि उन मैं से भूखों मरने वाला कोई नहीं है। जो भूखों मरने वाले हैं, वे मर रहे हैं और अगर सरकार की यही नीति रही, तो वे भूखों मरते रहेंगे।

मैं समझता हूं कि अगर फारेन ट्रेड को नैशनेलाइज करने और प्रिवी पर्सिज को खत्म करने में सरकार में हिचकिचाहट इसलिये है कि ऐसा करने से वह तबका सरकार से खफा हो जायगा, जो कि इस के जरिये से करोड़ों लूट रहा है। सरकार को यह कदम उठाना चाहिये और मिट्टी के तेल को उसे छोड़ देना चाहिये। वह उन झोंपड़ों को तबाह न करे, जो कि इस देश की बुनियाद हैं, जिस के ऊपर आज देश खड़ा है। सरकार को टैक्स लगाने के लिये तम्बाकू, सिगरेट, बीड़ी आदि चीजें ही मिलती हैं। वह हर मर्तबा इन्हीं चीजों पर हाथ साफ करती है, जिस का नतीजा यह है कि आज लोगों के लिए मुश्किल पैदा हो गई है। यह सोचना गलत है कि इन टैक्सिज से लोग सिगरेट-बीड़ी पीना बन्द कर देंगे। सारा हिन्दुस्तान महात्मा नहीं बनने वाला है। अगर माननीय मंत्री कोई खेत खोदते तो हम देखते कि वह बीड़ी-सिगरेट पीते हैं या नहीं। खेत में काम करने से आदमी एक घंटे में थक जाता है। वहां चाय नहीं मिलती है, इसलिये लोग चोटा, मौलेसिज का शर्बत, पीते हैं। आजमगढ़ में हम ने कमीशन को उस की एक बोतल प्रेजेन्ट की थी और कहा था कि यह हमारे इलाके का तोहफा है, वह इस का मुलाहिजा करें।

अध्यक्ष महोदय : थकावट को दूर करने के लिये सिगरेट ही चाहिये?

श्री ज० ब० सिंह : अगर चाय मिल जाये, तो अच्छा है। लेकिन वहां पर चाय नहीं मिलती है। यहां पर चाय मिल जाती है और वहां पर बीड़ी और तम्बाकू से काम चलाया जाता है। इसलिये इन चीजों को रिलीफ देना चाहिये।

मैं माननीय मंत्री से कहना चाहता हूं कि वह उन लोगों को मजबूत करें, जो कि उनके साथ हैं और जो देश के लिये सब कुछ करेंगे, पैसा, धन-जन सब कुछ सैक्रीफाइज करेंगे, हर चीज का त्याग करेंगे। आज मोर्चे पर कौन लड़ रहा है? पूंजीपतियों के लड़के नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि किसान और मजदूर के लड़के लड़ रहे हैं। जो बड़े लोगों के लड़के हैं, सरकार जरा उन के इतिहास को देखे कि वे कहां रहे हैं और उन्होंने क्या काम किया है। वे कभी नहीं लड़ेंगे। जो त्याग कर रहे हैं, जो मर मिट रहे है, सरकार को उन्हें नहीं दबाना चाहिये, यही मेरा निवेदन है। मैं आशा करता हूं कि सरकार इन बातों पर और कम से कम मिट्टी के तेल जैसी चीजों को छोड़ देगी।

†**श्री नाथ पाई** (राजापुर): चूंकि हम अपनी स्वतन्त्रता को बनाये रखने और देश की रक्षा करने का संकल्प ले चुके हैं, इसलिये विदेशी आक्रमणकर्ता का सामना करने के उद्देश्य से रक्षा के लिये साधन जुटाना आवश्यम्भावी है। चीन के आक्रमण के फलस्वरूप हमें उन साधनों को रक्षा कार्यों में जुटाना पड़ रहा है जिन का प्रयोग दरिद्रता को दूर करने के लिये किया जाना था। स्वभावतः चीन की विस्तारवादी नीति से एशिया का विकास मध्यम पड़ गया है।

यदि हम गत १० वर्षों में देश के रक्षा संबंधी कार्यों की अवहेलना न करते आज हमें यह प्रयास न करने पड़ते और हमारी प्रतिष्ठा भंग नहीं होती।

चीन के पास इस समय २ करोड़ ३० लाख सेना तैयार है। २ करोड़ २० लाख रक्षित सेना और लाखों की संख्या में नागरिक सेना है। उन की नौसेना में ६६,००० व्यक्ति हैं और ३० पनडुब्बियां हैं। उन की वायु सेना में ७५,००० सैनिक हैं और ३,००० बायुयान हैं। सार्वजनिक सुरक्षित सेना में १,८५,००० व्यक्ति है और रेलवे बल में ७८,००० व्यक्ति। इस के अतिरिक्त, चीन को रूस से काफी मात्रा में आर्थिक तथा सैनिक सहायता मिली हुई है। चीन की अर्थ-व्यवस्था में भारत की अपेक्षा तिगुनी गति से विकास हुआ है। चीन में कोयले का उत्पादन ३,००० लाख टन है। इस्पात का १४० लाख टन और विद्युत उत्पादन भारत से तिगना है।

देश की रक्षा संबंधी व्यवस्था का अर्थ व्यवस्था से घनिष्ठ संबंध है। चीन की अर्थ व्यवस्था और सैनिक शक्ति का उल्लेख मैंने किया है। अब उस की अपेक्षा यदि हम अपनी स्थिति पर नजर डालें तो विदित होता है कि हमारी अर्थ व्यवस्था दुर्बल है और प्रशासन व्यवस्था भी उसी ढंग की है। अतः अधिक बोझ सहना हमारी अर्थ व्यवस्था के बस का नहीं है।

तृतीय योजना में हमारी अर्थ-व्यवस्था का विकास निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार नहीं हो रहा है। हम ने इस विकास का लक्ष्य ५ और ६ प्रतिशत निर्धारित किया था परन्तु अब तक केवल २॥ प्रतिशत तक ही विकास हो पाया है।

कृषि सम्बन्धी स्थिति भी इसी प्रकार है। वर्ष १९६१–६२ में कृषि उत्पादन १९६०–६१ से कम था, और १९६२–६३ में यह १९६०–६१ की सीमा से बढ़ नहीं सका। कृषि एक देश की अर्थ व्यवस्था का आधार मात्र होती है। यदि हम कृषि क्षेत्र में विकास नहीं कर सके तो विदेशी मुद्रा नहीं बचा सकेंगे और आत्म-निर्भर नहीं हो सकेंगे। यदि कृषि उत्पादन में हम सुधार नहीं कर पाये तो चीन के साथ मुकाबला किस प्रकार कर पायेंगे।

इस्पात हमारे उद्योगों की आधार वस्तु है। देश के उद्योगीकरण के स्वप्न तभी पूरे हो सकते हैं जब हम इस्पात के उत्पादन में अग्रसर हों। इस्पात का लक्ष्य, तृतीय योजना काल में, ७० लाख टन का था, परन्तु अभी हम द्वितीय योजना के लक्ष्यों को ही प्राप्त कर सके हैं। कोयले के

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नाथ पाई]

क्षेत्र में विशेष तौर से हम चीन की अपेक्षा विकास नहीं कर सके। चीन के साथ हमारा युद्ध प्रत्येक क्षेत्र में लड़ा जाना है। वित्तीय आंकड़े दे कर देश में आत्मतुष्टि और सुरक्षितता की झूठी भावना उत्पन्न करना सर्वथा अनुचित है।

नाइट्रोजन का लक्ष्य ८,००,००० टन का था परन्तु आज हम केवल २,२०,००० टन उत्पादन कर रहे हैं। भारी मशीनरी का निर्माण का लक्ष्य १९७० तक का १५०० करोड़ रुपये का है परन्तु आज केवल ३०० करोड़ रुपये की मशीनरी तैयार होती है। हमारी सभी बड़ी बड़ी परियोजनाओं में अत्यधिक गति से विकास हो रहा है, जैसे कोयला खान यंत्र परियोजना और भारी बिजली का सामान सम्बन्धी-परियोजना, आदि आदि। इन सब में हम अपने निर्धारित लक्ष्यों से ३ वर्षा पीछे हैं।

अब मैं निर्यात की चर्चा करूंगा। हम ने निश्चय किया था कि वर्ष १९७० के अंत तक हम १४०० करोड़ रुपये के मूल्य की वस्तुओं का निर्यात करेंगे। अभी केवल ७०० करोड़ की वस्तुओं का निर्यात हो रहा है। इस प्रकार धीमी गति से विकास हुआ तो हमें विदेशी मुद्रा कहां से मिलेगा।

हम ने सोचा था कि देशीय उत्पादन की वस्तुओं में वर्ष १९७० तक १६ से १७ प्रतिशत तक की बचत हो सकेगी, परन्तु अभी केवल ९ प्रतिशत ही बचत हो पाई है। यह हमारी अर्थ व्यवस्था में प्रगति का एक दुस्साहित करने वाला चित्र है।

अब आप करों को लीजिये। प्रो० कालडोर ने हाल ही में बताया है कि अधिक विकसित देशों में सकल राष्ट्रीय उत्पाद का २५ से ३० प्रतिशत ले लिया जाता है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना में ६ प्रतिशत, दूसरी में १० प्रतिशत और तीसरी में १३ प्रतिशत ही लिया गया। यदि हम अपनी आवश्यकताओं और अन्य देशों के कार्य-सम्पादन को देखें तो हमें अपने देश में विकास की गति में मन्दता का आभास मिलेगा। हमारी कर व्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुसार नहीं है।

कर अपवंचन की समस्या हमारे देश में काफी भीषण है। आप पूंजी कर को लीजिये। वर्ष १९५७–५८ में कुल ४०५ कर दाता थे जिन से केवल ४ लाख रुपया एकत्रित किया गया। वर्ष १९५८–५९ में करदाता ६१८, और १९५९–६० में यह बढ़ कर ८१७ हो गये और आज इन की संख्या केवल १२०० से १३०० तक है। क्या केवल इतने कर दाता वास्तव में हैं? यह अवस्था शोचनीय है।

इसके साथ ही आप सम्पदा-शुल्क को लीजिये। गत वर्ष इस शुल्क के रूप में ४ करोड़ रुपया एकत्रित किया गया। और चालू वर्ष में भी इस शुल्क के रूप में प्राप्त होने वाली राशि का अनुमान ४ करोड़ का ही है। मालूम होता है कि यह अनुमान ज्योतिष के आधार पर लगाये गये हैं न कि अर्थशास्त्र के आधार पर। इन अनुमानों में और प्राप्त सम्पदा शुल्क में घोर अनियमितता दिखाई पड़ती है।

यही दशा आय कर के सम्बन्ध में है। २४० करोड़ रुपये की राशि के आयकर का कम निर्धारण किया गया है। कर एकत्रित करने के प्रयास निरुत्साहित करने वाले हैं।

जो धन हमें विदेशों से प्राप्त होता है उस को आप देखें। अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकार द्वारा सड़कों के विकास के लिये हमें २८ करोड़ रुपया दिया गया। उस में से अभी केवल २॥ करोड़ रूपये प्रयोग में लाये गये हैं, हालांकि सड़क परिवहन योजनाओं में शीघ्र प्रगति की आवश्यकता है।

विश्व बैंक द्वारा कलकत्ता पत्तन तक इसका लाईन के विकास के लिये हमें १० करोड़ रुपया दिया गया जिस में से केवल ५० लाख ही व्यय किये गये हैं। रूस द्वारा ऋण के रूप में ९.५२ करोड़ रुपये दिये गये जिन में से केवल १।। करोड़ ही प्रयोग में लाये गये हैं। कर लगाने का हम में साहस नहीं है। कर एकत्रित करने की शक्ति हम में नहीं है और जो सहायता हमें दी जा रही है उसका उचित उपयोग करने की भी कुशलता नहीं है। जब सभी क्षेत्रों में हमें असफलता का सामना करना पड़ रहा है तो मिट्टी के तेल पर कर लगा दिया गया है जिस से केवल गरीब ग्रामवासी बुरी तरह से प्रभावित होंगे।

अधिलाभ कर का मैं समर्थन करता हूं परन्तु मेरा निवेदन है कि इस का बोझ छोटे और मध्यम श्रेणी के उद्योगों पर नहीं पड़ना चाहिये। इस के लिये परिव्यय लेखे के कुछ सिद्धान्त होने चाहिये ताकि ऐसा न हो की ईमानदार व्यक्ति फंस जायें और बेईमान इस से बच निकलें।

मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि संयम का नाम ले कर लोगों को पान-बीड़ी और लालटैन से वंचित न किया जाय।

इस समय जनता की आवश्यकताओं के अनुसार ही कार्य करने चाहियें, अतः भारत सेवक समाज और खादी सम्बन्धी संस्थाओं पर किये जाने वाले व्यय में भी बचत करनी चाहिये।

नशेबन्दी के सम्बन्ध में भी हमें अपनी नीति में परिवर्तन लाना होगा। इस से देश को केवल हानि ही हो रही हैं, अतः साहस दिखा कर सरकार को इस ओर कुछ परिवर्तन लाने चाहिये।

राजकोषीय प्रयासों के साथ साथ यह आवश्यक है कि सरकार के प्रशासनिक ढांचे में विभिन्न स्तरों पर संघटन में, कार्यान्विति में और कुशलता में सुधार हो। कई समितियां सरकार द्वारा इन बातों की जांच करने के लिये बिठाई गई है परन्तु उन के परिणामों पर भी किसी प्रकार का सुधार नहीं लाया जा सका। इसका मुख्य कारण यह है कि प्रशासन ढांचा वही पुराना है परन्तु आज हम कल्याणकारी समाज की स्थापना के लिये इसी पुराने, निर्बल और मन्द गति के ढांचे को माध्यम बना रहे हैं। स्वभावतः, जब तक इस शासन तंत्र में परिवर्तन न लाये जायें तब तक यह नवीन उत्तरदायित्वों को निभाने में असफल रहेगा। इसी पुराने ढांचे के कारण आज कार्यक्रमों को कार्यान्वित नहीं किया जाता और उत्पादन लक्ष्यों के अनुसार नहीं हो पाता। रूरकेला संयंत्र को चालू न करने पर १५ लाख प्रति दिन घाटा हो रहा है। आपात काल में भी हमें इसी ढील ढाल के उदाहरण मिलते हैं। इस प्रकार की अकुशलता को दूर करने के लिये शीघ्र ही कार्यवाही करनी पड़ेगी।

आज संयम की चर्चा बहुत की जाती है, परन्तु यह संयम केवल झोपड़ियों में रहने वाले गरीबों, और किहानों के लिये हैं। प्रशासन और मंत्रालयों के लिये यह संयम आवश्यक नहीं हैं। मंत्रियों के बिजली और पानी के अत्याधिक बिल इस तथ्य का उदाहरण हैं।

इस समय हमारी असैनिक सेवाओं में एक नई भावना और एक नये दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

अन्त में मेरा निवेदन है कि हमें अपने देश की रक्षा को प्राथमिकता देनी है। हमें यह देखना है कि सीमान्त क्षेत्रों में खड़े, और लड़ने वाले, सिपाही को युद्ध सामग्री मिलती रहे। विरोधी ऋतु और शत्रु का सामना करने वाले सिपाही को खाने पीने की हर वस्तु सुविधा से मिले। और साथ ही जो उस के परिवार वाले पीछे रह गये हैं उन्हें भी सभी सुख सुविधायें प्राप्त हों, ताकि वह सिपाही निश्चित लड़ सके। मेरा निवेदन है कि उस के परिवार वालों की रोटी, बीड़ी और मिट्टी के तेल की लैम्प से बंचित न किया जाय।

† **श्री पें० वेंकटासुब्बया** (अडोनी) : बजट प्रस्तावों पर श्री प्र० के० देव के वक्तव्य को सुन कर मुझे ऐसा लगा कि वह बड़े बड़े उद्योग पतियों और जमींदारों के अधिकारों की रक्षा कर रहे हैं, और में समझता हूं कि स्वतंत्र दल, जो कि जमींदारों के अधिकारों की रक्षा कर रहा है हमें चीनी खतरे से नहीं बचा सकेगा ।

करों में सब से अधिक विवादास्पद अधिलाभ कर है जिस के सम्बन्ध में काफी चर्चा हो चुकी है। परन्तु में इस सम्बन्ध में केवल श्री सी० डी० देशमुख के शब्दों का उल्लेख करूंगा। उन्होंने कहा है कि :

> "करारोपण से अधिक उत्पादकता की उत्तेजना नष्ट हो जाती है, यह बात नहीं की जानी चाहिये और उद्यमी को अपने आप को राष्ट्रीय धन का अढ़तिया समझना चाहिये । बढ़ते हुये राष्ट्रीय धन पर केवल ३ प्रतिशत लाभ एक उद्यमी के लिये बहुत काफी है ।"

इस कथन से अधिलाभ कर के विरुद्ध सभी तर्कों का समाधान हो जाता है

वित्त मंत्री जिन करों का प्रस्ताव किया गया है वह हमारी आवश्यकताओं के अनुकूल ही है। विदेश से आक्रमण होने पर हमारे देश की स्वतन्त्रता को खतरा हो गया है। इस के साथ साथ हमारे पड़ौसी देश पाकिस्तान ने भी चीन के साथ गठबन्धन कर के एक नया खतरा उत्पन्न कर दिया है। जब हमारे देश के जवान आज सीमान्त क्षेत्रों में हर कठिनाई का सामना कर रहे हैं तो हमें भी किसी तरह के बलिदान करने में और आर्थिक व अन्य कठिनाइयों का सामना करने में संकोच नहीं होना चाहिये। इस देश के उद्योगपतियों को आज १५ वर्षों से रियायतें और संरक्षण दिये जाते रहे हैं परन्तु आज उन्हें अधिक कर देने में संकोच नहीं करना चाहिये। अधिलाभ कर इन दृष्टियों से समर्थनीय है ।

खेती करने वाले हमारे इश में बहुत बड़ी संख्या में हैं और सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधायें उन तक नहीं पहुंच पाती। राज्यों द्वोरा भी उन पर अधिक कर लगाये गये हैं और वह गरीबी के बोझे के नीचे दबे हुये हैं। यदि आप उन से अनिवार्य बचत के लिये कहते हैं तो यह उन के लिये असह्य होगा। मेरा निवेदन है कि उन काश्तकारों को जो १० रुपये अथवा इस से कम भूराजस्व दे रहे हैं इस अनिवार्य बचत से छट दी जाय।

मिट्टी के तेल पर कर कम होना चाहिये ।

[डा० सरोजिनी महिषी पीठासीन हुए]

गत १५ वर्षों से भरसक प्रयासों के परिणामस्वरूप हम अपनी अर्थ व्यवस्था में सुधार कर सके हैं, बेशक हमें असफलताओं का सामना भी करना पड़ा है, और हम में त्रुटियां भी पाई जाती हैं। मेरा निवेदन है कि गांवों में जल संबंधी सुविधायें सरकार द्वारा उचित प्रकार उपलब्ध नहीं की गई हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ५०००० से ६०००० लोगों के लिये जल-सम्भरण व्यवस्थ नहीं है। जल के लिये उन्हें मीलों मील चलना पड़ता है। अतः इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिये ।

आंध्र प्रदेश राज्य में बीमारियां बहुत फैलती हैं। हम ने कई बार आवाज उठाई है, तिनिधित्व किये हैं परन्तु कुछ परिणाम नहीं निकला। हाल ही में बीमारी खत्म करने के प्रयोजनार्थ एक अग्रिम परियोजना केन्द्रीय सरकार ने स्वीकार की थी, परन्तु खेद है कि केन्द्रीय

---

†मूल अंग्रेजी में

सरकार ने इसके लिये धन के रूप में सहायता नहीं दी। मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि २१ करोड़ रुपया जो योजना आयोग द्वारा कृषि उत्पादन के लिये निर्धारित किया है उस में से कुछ राशि आंध्र प्रदेश में बीमारी खत्म करने के कार्यक्रम के लिये दी जाय।

अतिरिक्त भूमि पर सिंचाई करने पर भी तृतीय योजना में खाद्यान्न उत्पादन नहीं बढ़ा है। ऐसा प्रतीत होता है कि या तो इस समस्या के प्रति दृष्टिकोण में कोई त्रुटि हैं अथवा प्रशासनिक तंत्र में कोई कमी है। यह भी कहा जाता है कि इस बारे में राज्य सरकारों और केन्द्र में समन्वय नहीं पाया जाता। प्रधान मंत्री ने कई बार कहा है कि खाद्यान्न में हमें आत्मनिर्भर होना चाहिये। उन्होंने यह भी कहा था कि खाद्य विभाग को मुख्य मंत्रियों द्वारा अपने हाथ में लेना चाहिये। परन्तु मेरे राज्य में मुख्य मंत्री ने यह विभाग अभी तक अपने हाथ में नहीं लिया। इस के अतिरिक्त, बहुत से सिंचाई साधनों का प्रयोग नहीं किया गया है। खेती करने वालों की समस्या को समझ कर उन्हें अतिरिक्त सुविधायें आदि देने की बजाय हम उन पर करों और अतिरिक्त अधिभारों का बोझा डाल रहे हैं। खाद्यान्न की समस्या को सुलझाने के लिये यह आवश्यक है कि हम खेती करने वालों की समस्याओं को समझ कर उन्हें उचित सुविधाय उपलब्ध करें।

अन्त में मैं विभिन्न राज्यों के साथ भेद भाव की नीति की चर्चा करूंगा, विशेषतया आंध्र प्रदेश के साथ। केन्द्रीय सरकारी परियोजनाओं के लिये १२०० करोड़ रुपया निर्धारित किया गया है जिस में से आंध्र प्रदेश के लिय केवल ४०,५० करोड़ रुपया ही निर्धारित किया गया है। विकास सभी क्षत्रों में एक सा होना चाहिय। अत: मेरा अनुरोध है कि इस प्रकार का भद भाव नहीं होना चाहिये।

श्री म० ला० द्विवेदी (हमीरपुर) : सभानेत्री जी, वित्त मंत्री ने १९६३-६४ के लिये जो आय-व्यय के अनुमान प्रस्तुत किय हैं, उन के संबंध में मेरी प्रतिक्रिया सहानुभूतिपूर्ण है, लेकिन कुछ बातें ऐसी अवश्य हैं, जिन की तरफ ध्यान देना होगा।

मैं जानता हूं कि जिस परिस्थितियों में यह अनुमान बनाए गए हैं, वे हमारे देश के लिये विषम हैं। हमें चीनियों का मुकाबला करना है और हमारे सामने जो संकट आना है, उस के लिये तैयारी करनी है। इस लिए मैं इन प्रस्तावों का समर्थन करता हूं। मैं इन का समर्थन इस लिये कर रहा हूं, क्योंकि भारतवासियों का चरम लक्ष्य यही है कि हम इस संकट का सामना वीरता और बहादुरी से करे।

यह प्रजातन्त्र है और प्रजातन्त्र में शासनकर्ता जनता के ही प्रतिनिधि होते हैं। इसलिये शासनकर्ता और जनता में अन्तर नहीं आना चाहिये था। किन्तु जब शासितों के संबंध में कठोरता से काम किया जाता है, तो शासन कुछ भिन्न स्थिति में आ जाता है और इस स्थिति के लिय हमारे एक लेखक ने लिखा था,

> जनपद हितकर्ता द्वेषताम् याति राजे
> नरपति हितकर्ता द्वेषताम् याति लोके।

यानी यदि हम जनता के समर्थन में बात करते हैं, तो शासनकर्ता हम से कुछ द्वेष करने लगते हैं और जब कभी हम इस के विपरीत आचरण करते हैं तो लोगों में उस की निन्दा होती है। चूंकि यह प्रजातन्त्र है, इस लिये जिस परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं, उस में सरकार और हम को जनता के साथ मिल कर काम करने की आवश्यकता है और विशेषकर उस जनता के साथ, जो कि इस देश में अस्सी प्रतिशत है। अस्सी प्रतिशत जनता वह है, जो गरीब है, जो कि देहातों में रहता है, जो निरीह और मूक है और सरकार के सामने तेजी से नहीं आ सकती है।

[श्री म० ला० द्विवेदी]

हम ने देखा है कि आज-कल के समय में कुछ ऐसी बात हो रही है कि हमारा रुझान पूंजीवाद की तरफ ज्यादा है और गरीब तबके की तरफ कम है। मैं इस सदन से यह पूछना चाहता हूं कि श्री जान मथाई और श्री मोरारजी देसाई के बजटों में क्या अन्तर है। जान मथाई भी कामन मैन के लिये, साधारण व्यक्ति के लिय, वही काम करते थे, जो कि आज श्री मोरारजी भाई ने किया है। मैं यह जानता हूं कि उन को धन की आवश्यकता थी और जहां तक गरीब जनता का प्रश्न है, वह तो प्राण देने के लिय भी तैयार है, धन तो क्या चीज है। अगर इससे भी ज्यादा कर लगाय जाय, तो हम और जनता उनके लिय तैयार होंगे। लेकिन यह देखना चाहिये कि कौन कितना देने के काबिल है। यदि सरकार अमीर तबकों से अधिक वसूल करे और उपेक्षाकृत गरीबों से उतना मांग, जितना कि वे दे सकते हैं, तो समझ में आता है कि उस के हृदय में समानता और न्याय का कुछ स्थान है। लेकिन जब वह गरीब तबके को सताती जाती है, तो कठिनाई का सामना करना पड़ता हैं।

बुलसार के सेनानी के इस सदन में आने के पश्चात् हम में से बहुतों को यह आशा बंधी थी कि दिवंगत सरदार पटल की क्षति की शायद पूर्ति हो सकेगी। हमें यह पता नहीं था कि स्वतन्त्रता-संग्राम के दिग्गज, जिन्हे साबरमती के महावत के अंकुश से आगे बढ़ने को प्रोत्साहन मिलता था, उस अंकुश के उठ जाने पर सामने के शत्रुओं को देख कर पीछे लौट पड़ेंगे। सामने के शत्रु कौन हैं? सामने के शत्रु हैं सचिवालय-सुन्दरी के कलम-कटाक्ष, उस के सम्मोहन-वाण, पूंजीपतियों की फूलकारे, भ्रष्टाचार और दफ्तर की गलत किस्म की कार्यवाहियों का समर्थन। इन शत्रुओं को देख कर हमारे दिग्गज पीछे लौट कर अपनी ही सेना को रोंद रहे हैं। कौन है हमारी सेना? जनता-जनार्दन ही हमारी सेना है। उस सेना को वह रोंदना चाहते हैं। कहा गया है कि कायर हाथी जब दुश्मन से भयभीत हो जाता है, तो वह अपनी फौजों पर पैर रखता है और उन को तहस नहस कर डालता है।

मेरे पीछे एक सदस्य हैं। उन्होंने विगत एक दिन साबरमती के सन्त का जिक्र किया और उस के साथ ही बुलसार के सन्त का भी जिक्र किया। इस पर पहले तो मुझे कुछ आश्चर्य हुआ लेकिन बाद में मेरी समझ में आया कि वर्तमान परिस्थितियों में सन्त की परिभाषा भी तो बदल सकती है। साबरमती का सन्त शत्रुओं का मुकाबला करने के लिये लोगों को जेल भेजता, जब कि आज का सन्त दो दो हजार रुपये महीने वाली कोठियों के वातानुकूलन में निवास करता है और लोगों को वातानुकूलन में बन्दी करने के लिये भेजता है। आज का सन्त विद्युत्-चालित अगणित अग्नि-मंजूषिकाओं की गर्म रौशनी में तपस्या करना चाहता है, भले ही उन में गर्म रौशनी पैदा करने में जनता के संकड़ों रुपये बर्बाद होते हों, परन्तु निर्धन के अंधेरे का जो सहारा दिया है, उसे भी वह उस के हाथ से छीन लेना चाहता है। हम हजारों बत्तियों के बीच में रहना चाहते हैं लेकिन निर्धन गरीब के चिराग के लिये जो मिट्टी का तेल मिलता है, उस पर भी हम प्रति-वर्ष कर लगाते चले जाते हैं। पिछले वर्ष जब माचिस का जिक्र आया, तो श्री मोरारजी देसाई ने कहा कि मैं छः पैसे में माचिस खरीद कर लाया हूं, जब कि मैं इसी संसदे-भवन में से एक माचिस खरीद कर लाया सात पैसे में और उस माचिस पर लिखा था, "सात पैसे"।

मुरारजी भाई ने उस वक्त मेरी बात नहीं मानी थी लेकिन आज आप देहात में चले जायें और वही माचिस चपको आठ नए पैसे में मिलेगी। जितना हम कर लगाते हैं, उस कर के बाद जितना मूल्य किसी वस्तु का बढ़ना चाहिये, उतना नहीं बढ़ता है, उससे कहीं ज्यादा बढ़ जाता है, उस कीमत पर तो वह वस्तु मिलती ही नहीं है, न शहरों में और न ही देहात में। इस बात

को आपको मानना पड़ेगा। हर बार आपकी तरफ से कहा जाता है कि मूल्य अधिक न बढ़ने पायें, इसकी व्यवस्था की जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं गया है। मूल्य बढ़ जाते हैं सरकार दृढ़ता से काम नहीं लेती है। जो लोग तेज मूल्यों पर वस्तुयें बेचते हैं, उनको पकड़ सके, उनको अन्दर कर सके, उनको धर सके, उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही कर सके, ऐसा कुछ सरकार की तरफ से नहीं किया जाता है। जिस हद तक कर लगाये जाते हैं, उस हद तक मूल्य बढ़ें तब भी कुछ बात है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मूल्यों पर कोई नियन्त्रण ही नहीं लगाया जाता है। यह बड़े ही खेद की बात है। यह भी कम परेशानी की बात नहीं है कि करों का सारा बोझ केवल दीन हीन जनता पर ही डाला गया है, उस पर ही अधिक डाला गया है। इस देश की रीढ़ की जो हड्डी है, इस देश का जो किसान है, जो सब कुछ पैदा करता है, जिस के बल बूते पर यह सरकार तथा दूसरी सरकारें बनती हैं, उस किसान की प्रत्येक आवश्यकता की चीज के मूल्य तो निरन्तर बढ़ते जाते हैं लेकिन वह जो पैदा करता है, जो उसकी फसल होती है, उसके दामों पर नियन्त्रण करने की बात सरकार निरन्तर सोचती रहती है और कहती है कि उसकी फसल के दाम न बढ़ने पायें। गेहूं के दाम न बढ़ने पायें, जो उत्पादन खेत में होता है, उसके दाम न बढ़ने पायें। लेकिन किसान को जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है, उसके दाम बढ़ जायें, इसकी कभी चिन्ता सरकार को नहीं होती है।

मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में तथा बिहार में सन् १९५९-६० में जो लगान लिया जाता था, उससे आज दुगुना लगान लिया जा रहा है। वहां की सरकारों ने लगान की दरें बढ़ा दी हैं। अब केन्द्रीय सरकार ने ५० प्रतिशत १९५९-६० के लगान पर अनिवार्य बचत योजना भी लागू करने का विचार किया है। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश और बिहार के किसानों पर ढाई सौ प्रतिशत का बोझा पड़ गया है। मैं वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या किसान के उत्पादन में ढाई सौ प्रतिशत की वृद्धि हुई है? यदि नहीं हुई है तो हम उसकी स्थिति में कैसे सुधार कर सकते हैं, कैसे उसकी गरीबी को दूर कर सकते हैं और कैसे हम उससे आशा कर सकते हैं कि वह अपने बच्चों को पढ़ाये, कैसे हम उसके रहन सहन के स्तर को ऊंचा कर सकते हैं।

हम कहते हैं कि हम ने बड़ा भारी विकास किया है। मैं मानता हूं कि विकास खंड गांव गांव के लिये बनाये गये हैं। लेकिन मुझे क्षमा किया जाय अगर मैं यह कहूं कि विकास खंडों के अधिकारियों के बंगले बनने के पश्चात् और उसके आसपास कुछ हरी भरी सब्जियां लग जाने के पश्चात् वहां पर जहां पहले धूल उड़ा करती थी, अब भी धूल ही उड़ती है। मैं मानता हूं कि प्राथमिक पाठशालायें गांव गांव में खोली गई हैं और शिक्षा का प्रसार हुआ है। लेकिन जहां तक उसके आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने की बात है, देहातों का आर्थिक स्तर ऊंचा नहीं उठा है। उनका जो माल है, वह सस्ता बिकता है और उन को चीजों की जरूरत होती है, वे मंहगी खरीदनी पड़ती हैं। आप देखें कि किस प्रकार से उनके साथ न्याय हुआ है और किस प्रकार शहर वालों के साथ न्याय हुआ है। पैट्रोल शहर वाला इस्तेमाल करता है। पैट्रोल के दाम तो बढ़े हैं दो आने यानी नौ आने लिटर से बढ़ कर ग्यारह आने लिटर आ है, लेकिन मिट्टी के तेल का दाम २८ नये पैसे फी बोतल से बढ़ कर ३८ नये पैसे फी बोतल कर दिया गया है। करों का भार भी शहर के लोगों पर कम डाला जाता है और देहात के लोगों पर अधिक डाला जाता है। जीवन की जितनी भी आवश्यक वस्तुयें हैं, उन पर जो कर लगे हैं, उनका भार शहर के लोगों पर कम और देहात के लोगों पर अधिक डाला गया है। यह तब है जब कि ८५ प्रतिशत जनता देहात में रहती है।

मैं यह नहीं कहता हूं कि शहर वालों के लिये कुछ न किया जाये। उनके लिये भी जो कुछ आप उचित समझ कर, उनकी भी आप देखरेख करें। लेकिन आप देखें कि देहातों में हालत क्या है।

[श्री म० ला० द्विवेदी]

जमींदार ने अपनी जायदाद दो लड़कों में बांट दी, और उन दो लड़कों में से एक लड़के ने उस जमीन को बेच करके शहर में दस बीस मकान खरीद लिये या बना लिये, वह तो बड़े आराम से रह रहा है लेकिन जिस लड़के ने अपने पास उस जमीन को रखा है खेती करने के लिये, वह आज अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ा पा रहा है । देहातों में आज हर प्रकार की सुरक्षा है । वहां पर गुंडागर्दी का बोल बाला है। वहां पर न्याय की कोई व्यवस्था आप नहीं कर पाये हैं। सुरक्षा की व्यवस्था भी आप वहां नहीं कर पाये है। कोई भी उनकी वहां जायदाद छीन सकता है, उनको मार सकता है, और यहां तक कि हर वक्त उनको धमकी के अन्दर रहना पड़ता है : उसके आराम की बात तो कम सोची जाती है, उस पर नित्य ति खर्च बढ़ाने की बात ज्यादा सोची जाती है। २७५ या ३०० करोड़ रुपये के नये कर अब लगा दिये गये है। मैं मानता हूं कि आपको धन की आवश्यकता है। आप तीन सौ के बजाये चार सौ करोड़ के कर भी लगा सकते थे। लेकिन आपको यह तो देख लेना चाहिये था कि जो पन्द्रह बीस या पच्चीस बड़े-बड़े पूंजीपति हमारे देश में हैं, जो क रोड़पति हमारे देश में हैं, क्या उन से यह तीन चार सौ करोड़ की राशि इकट्ठी नहीं हो सकती थी ? आप उन से यह धन ले सकते थे और जनता जनार्दन को छोड़ सकते थे। मैं यह नहीं कहता हूं कि हमेशा के लिये ही जनता जनार्दन को छोड़ दिया जाय। लेकिन उस वक्त तक तो छोड़ दिया जाना चाहिये, जब तक कि उसका स्तर उंचा नहीं हो जाता। यदि उसकी आमदनी में सौ प्रतिशत वृद्धि हो जाये, तो आप ५० तिशत या ७५ तिशत या ९९ प्रतिशत भी कर लगा सकते हैं और ऐसा अगर आप करते हैं ता कम से कम उसकी आमदनी एक प्रतिशत तो बढ़ती है। लेकिन उसकी आमदनी बढ़ती न हो, दिन प्रति दिन घटती जाती हो, तब फिर जब कर लगाये जाते हैं तो कठिनाई का अनुभव होना स्वाभाविक है, तब उनके लिये अपना गुजारा करना भी कठिन हो जाता है। वह मूक है कुछ कह नहीं सकती है। मैं चाहता हूं कि उसको नजरों से ओझल न किया जाये।

हमारा मंत्रीमंडल है, निर्माण विभाग हैं तथा दूसरे अनेकों विभाग हैं, उन में जितनी कमियां है, क्या उनको दूर कर दिया गया है ? उन में जो धनराशियां खर्च होती हैं, उन में कमी करने का क्या कोई प्रयत्न किया गया है। वहां पर इस आपतिकालीन परिस्थिति का क्या कोई असर पड़ा है ? कुछ भी नहीं पड़ा है। आप किसी भी सचिवालय में चले जाय, किसी भी दफ्तर में चले जाये, किसी भी मन्त्री के घर चले जायें, आप कह नहीं सकते हैं कि आपतकालीन परिस्थिति में से हमारा देश गुजर रहा है। किसी प्रकार से भी खर्च में कोई कमी नही आई है। आपको भी चाहिये कि आप त्याग करने के लिये तैयार हों। अभी कल हमारे मेहर चन्द खन्ना साहब ने बताया कि मिनिस्टर्स सेलेरीज एक्ट के अनुसार कोई कटौती नहीं की जा सकती है। में पूछना चाहता हूं कि यह एक्ट कब बना था ? क्या यह एक्ट अपातकालीन परिस्थिति में बना था या तब बना था जब शांति की स्थिति थी। आज शांति की स्थिति नहीं है। आज आपतकालीन परिस्थिति है। इस परिस्थिति में हमें भी चाहिये कि हम थोड़ा सा त्याग करें और थोड़ा सा आगे बढ़ें। यदि हम ने ऐसा किया तो जनता को हमें यह कहने का मौका मिलेगा कि मंत्रीमंडल, सचिवालय तथा हमारे अन्य विभाग भी आज त्या ग करने के लिये तैयार है और तुम्हें भी तैयार होना चाहिये। में ेश भषा का विरोधी नहीं हूं। कौन कैसी वेशभूषा पहने है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। लेकिन जनता जनार्दन जिस ेश भूषा में रहती है, जिस स्थिति में रहती है क्या हमें सचिवालय में या दूसरी जगहों पर वैसे लोग देखने को मिलते हैं। बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। यह चीज सरासर गलत है। विषमता की परिस्थिति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जो नीचे हैं वे और नीचे जा रहे हैं और जो ऊपर हैं ं और ऊपर उठते जा रहे हैं। जब इस प्रकार की परिस्थिति देश में उत्पन्न हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि हम जनता के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। गरीब तो त्याग करना चाहता है और त्याग करेगा भी और आखिरी दम तक त्याग करेगा। वह त्याग करता आभी रहा है। जनता आप की मर्जी के अनुसार चलेगी और जिस हद तक आपको सहयोग

दे सकती है देगी और हम भी उसको ऐसा करने के लिये प्रोत्साहित करेंगे। लेकिन सोचने की बात यह है कि हम और आप क्या उसके साथ न्याय करते हैं या नहीं करते हैं और नहीं करते है तो हमें चाहिये कि हम उसके साथ न्याय करें।

आप किन-किन वस्तुओं पर टैक्स लगा रहे हैं? मिट्टी के तेल पर आप टैक्स लगा रहेहै। अब मिट्टी का तेल गरीब आदमी ही तो इस्तेमाल करता है। आप डीजल आयल पर टैक्स लगा रहे है जिससे ट्रेक्टर आदि चलते है और थोड़ी सिंचाई की व्यवस्था हो जाती है। आप साबुन पर टैक्स लगा रहे है, जो कि गरीब जनता की आम स्तेमाल की चीज है। जो भोग विलास की अच्छी अच्छी सामग्रियां हैं, जो पूंजीपतियों की बड़ी बड़ी आराम की चीजें हैं, उनके पास जो बड़ी बड़ी धन राशियां हैं, उन पर इन टैक्सों का असर कम पड़ता है। आप दस हजार से एक लाख तक समान रूप से कर लगाते हैं। कोई फर्क नहीं दिखाते हैं। बचत में भी यही हालत है। गरीब किसान से जो आप पचास प्रतिशत लेंगे, वही बड़ी आसानी से भी लें। जिस का पांच सौ या पांच हजार रुपये लगान है, उन दोनों से आप समान रूप से लेंगे। एक आदमी ो ज्यादा पैदा कर सकता है, ज्यादा दे सकता है लेकिन दूसरा न ज्यादा पैदा कर सकता हैं और न ज्यादा दे सकता है लेकिन यहां पर दोनों को समान रूप से त्याग करना पड़ेगा। इस तरह की चीजें जो हैं, उनकी तरफ माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान जाना चाहिये।

हम लोग आपका समर्थन करते है, कांग्रेस-जन-जनता जनार्दन भी आप का साथ देते हैं और जहां यह सब कुछ है, वहां पर आपके लिये विचारणीय प्रश्न यह भी है कि आप काल्पनिक संसार में कब तक रहेंगे? आज तक आप ऐसी ही दुनिया में रहते आये हैं जिस का न ीजा यह हुआ है कि जनता और सरकार के बीच सामन्जस्य स्थापित नहीं हो पाया है। आप ऐसे कर लगाते हैं जिन के बारे में या तो आप सोचते नहीं है और अगर सोचते हैं तो जानबूझ कर ऐसे तबकों को बचाते हैं जो सम्पन्न हैं और ऐसे तबकों पर कर लगाते है जो निर्धन हैं, अपंग हैं, साधनहीन हैं। इन परिस्थितियों मैं क्या कोई ीच का रास्ता निकल सकता है। मैं समझता हूं कि इन टैक्सों के बारे में हमें फिर से विचार करना चाहिये और फाइनेंस बिल के आने के पेश्तर ही विचार करना चाहिये। वे कर जो जन साधारण को नुकसान पहुंचाते है, हानि पहुंचाते है, उसके जीवन को दूभर बनाते है, कि नाइयां उसके सामने उपस्थित करते है, उसका गुजारा मुश्किल से हो सके, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं, उन को या तो कम करना चाहिये या बिल्कुल निकाल देना चाहिये। जो कर साधारपण तौर से निकाले जा सकते है, उनको निकाल ो देना चाहिये और जो कम किये जा सकते है, उनको कम कर दिया जाना चाहिये। इस पर यदि हम गम्भीरतापूर्वक विचार करें, तो ऐसा करना हमारे लिये मुश्किल नहीं होना चाहिये। आपको बहुत से ऐसे साधन मिल सकते है, जहां से आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है।

मेंने पिछली बार भी वित्त मं ी जी से कहा था और आज फिर में उसको दोहराता हूं कि हम संसद सदस्य जो देहातों से या दूसरे निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित हो कर आते है, उनसे बजट के बारे में कोई राय नहीं ली जाती है, किस प्रकार के कर लगाने चाहिये, इसके बारे में हमारी कोई राय ही नहीं ली जाती है। हम नहीं कहते हैं कि हम जो कुछ कहें, उसको आप स्वीकार ही कर लें, उस के अनुसार ही आप चलें, लेकिन राय तो आप हमारी अवश्य ले सकते है। अब भी बजट के सम्बन्ध में जो स्पीचिज यहां हम कर रहे हैं और भारत भर के निर्वाचित प्रतिनिधि जो बात आप से कहते है, उनका असर आपके बजट पर सीधा नहीं पड़ता है और पड़ता भी है तो बहुत ही कम, बहुत ही सूक्ष्म पड़ता है और प्रभावोत्पादक नहीं होता है। में देख रहा हूं १९४७ से ले कर आज तक जितने भी बजट बनाये गये है, साल पर साल, हर बजट के बारे में जनता की तिक्रिया यह रही है कि हम तो सरकार का साथ देते रहे हैं, जनता तो सरकार का साथ देती रही है लेकिन सरकार सदा साधारण लोगों पर चोट ही करती रही है, उन को चोट ही पहुंचाती रही है और बड़े लोगों को बचाती रही है। आज भी यही

[श्री म० ला० द्विवेदी]

हालत इस बजट की है। जब यहां पर जान मथाई साहब या दूसरे मंत्री थे जिनका सम्बन्ध पूंजीपतियों से था, तब तक तो कोई आपत्ति नहीं की जा सकती थी लेकिन आज जब मुरारजी देसाई जो कि हमारे बीच के आदमी हैं, जनता जनार्दन के बीच से आये हैं और जो जनता की हालत को समझते हैं और जानते हैं, और उनको पता है कि उसकी आय इतनी नहीं है कि वह करों के भार को वहन कर सके, जब वह इस तरह के टैक्स लगा देते हैं तो आश्चर्य होता है। यह हमला जनता पर बराबर हो रहा है। इसको रोका जाना चाहिये।

अब में दो तीन सुझाव ही आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला सुझाव तो मेरा यह है कि जो अनिवार्य बचत योजना है, इस में उन लोगों को छोड़ दिया जाय जिन की आमदनी तीन हजार या चार हजार या पांच हजार तक की है। उस के बाद जो अनिवार्य बचत है वह ली जाये। उसके नीचे के तबके अगर सम्पन्न हैं और दे सकते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो निर्धन हैं उन्हें उस से दूर रखा जाये।

मिट्टी के तेल पर कर लगाया ही न जाय, और अगर लगाया जाय तो बहुत ही सूक्ष्म लगाया जाय।

पोस्ट कार्ड, बुक पोस्ट, तार आदि जितने जनता जनार्दन के पास सुख दुःख की खबरें भेजने के साधन हैं उन के जो मूल्य बढ़ाये जा रहे हैं वे न बढ़ाये जायें। अगर कोई संसद् सदस्य दूसरे ७५० सदस्यों को कोई सूचना भेजना चाहे कि बजट पर हम कोई विचार विमर्श करना चाहते हैं तो ७५ रु० लगेंगे तब कहीं ७५० सदस्यों के पास उसे भेज पायेंगे। साथ ही यदि अपनी कांस्टिटुएन्सी के प्रत्येक परिवार को मैं एक एक पत्र लिखूं पांच साल के अन्दर तो २,००० रु० लगेंगे नये आंकड़ों के अनुसार। इतना व्यय कर के ही हम एक पत्र लिख सकेंगे। ऐसी स्थिति में दूसरे देशों में न जाने क्या क्या सुविधायें होती हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपना व्यय सम्भालिये और पोस्टकार्ड, बुक पोस्ट और जो साधारण तार हैं —जो ऊंचे किस्म के तार हैं उन पर आप चाहे जितना बढ़ा दीजिये, लेकिन जो जनता के तार हैं, जिन से मरने, जीने और बीमारी की खबर हम दे सकते हैं, उन के रेट न बढ़ाइये। जनता यह चाहती है कि शुद्धता आ जाय शासन में। जो रीजनल इम्बैलेन्स हैं, जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं वह पिछड़ते जा रहे हैं और बड़े बड़े लोग बढ़ते जा रहे हैं। आप पिछड़े हुए लोगों का सुधार कीजिये ताकि पिछड़े क्षेत्र आगे बढ़ सकें।

जो करप्शन अर्थात् भ्रष्टाचार है, उसका निर्मूलन कीजिये और जो टैक्स की वसूली है वह दृढ़ता से कीजिये। यह नहीं होना चाहिये कि बड़ा आदमी तो रिश्वत दे कर बच जाय और छोटे आदमियों पर अनाप शनाप कर लग जायें। उसे आप दृढ़ता से वसूल करें। साथ ही साथ जो आप की आर्थिक अवस्था है उसको ऐसा बनायें जिस में सभी लोग पूरी तरह से पनप सकें।

इन शब्दों के साथ मैं इन सुझावों को मानने के लिये कहता हूं। साथ ही साथ कहता हूं कि इन परिस्थितियों में मैं बजट का समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि यह परिस्थितियां बदलें। लेकिन जो सुझाव और विचार मैंने दिये हैं उन पर आप विचार करें और जनता को राहत पहुंचायें तो देश का बड़ा भारी कल्याण होगा।

श्री काशी राम गुप्त (अलवर) : सभापति महोदय, यह जो वर्तमान बजट है यह कांग्रेस सरकार की उन भूलों का परिणाम है जो वह स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से अब तक करती रही है। दुर्भाग्य से बात यह है कि हमारे प्रधान मंत्री जी एक ओर तो कहते हैं कि उन से भूलें हुई हैं

होती रहेंगी, किन्तु वे यह बतलाने की कृपा नहीं करते कि वे कौन सी भूलें हैं जो उन से हुई हैं दूसरी ओर यदि कोई उन को बतलाने की बात कहे तो उस को वे मानने को तैयार नहीं होते। क्या वे अपने हृदय को टटोलेंगे और देखेंगे कि कितनी बड़ी बड़ी भूलें उन से अब तक हुई हैं। पहली भूल उस समय हुई जब पाकिस्तान बनाया गया, यह ढिंढोरा पीटा गया था कि अब हम सुख और शांति से रह सकेंगे। लेकिन सुख और शांति के बजाय हमें अशांति के युग में रहना पड़ रहा है। दूसरी भूल उस वक्त हुई जब कि काश्मीर का प्रश्न यू० एन० ओ० के सामने ले जाया गया, जिस का नतीजा आज हम भोग रहे हैं। तीसरी भूल उस समय हुई जब आज दी प्राप्त होने के बाद हम ने अपनी सीमाओं के बारे में जानकारी भी नहीं की, और उस का नतीजा यह हुआ कि आक्साई चिन रोड पर चीन का कब्जा होने के तीन साल बाद यह हमें मालूम हो सका है। जो सरकार इस प्रकार की भूलें करे वह उस का नतीजा न भोगे यह सम्भव नहीं होता है। उससे आगे चल कर यह भी भूल हुई कि एक ओर पाकिस्तान बराबर अपनी फौजी तैयारी करता रहा, चीन अपनी फौजी तैयारी करता रहा और हम शांति के नाम पर डिफेन्स के नाम पर अपनी तैयारी न कर के केवल इस तरह की बातें करते रहे जिस से हमारी झूठी शान दुनियां में बढ़े, हम दूसरों के पंच बनें और अपने घर का दिवाला निकालते रहें।

यह परिस्थितियां हैं जो हमारे देश में आज हैं। इस की जिम्मेदारी जिस सरकार पर है उस सरकार की पार्टी का इन पन्द्रह वर्षों में क्या हाल हुआ, वह पतन की तरफ गई या उत्थान की तरफ, यह सब के सामने रोशन है। उस के भीतर भी क्या दशा है वह आज इस बजट अधिवेशन में हमारे सामने आ रहा है। समाजवाद का नारा लगाने वाली यह सरकार और यह पार्टी है और उस के भीतर किस प्रकार के नमूने हैं और कैसा यह चिड़ियाघर बना हुआ है, यह बजट के बहस के दौरान उन के सदस्यों से मालूम हो जाता है। जो पूंजीपति सदस्य हैं वे कहते हैं कि सुपर टैक्स नहीं लगना चाहिये, जो गरीबों की वकालात करते हैं वे कहते हैं कि जरूर लगना चाहिये। तीन पूंजीपति सदस्य बोले। एक इस प्रकार से बोले कि १० परसैंट से ज्यादा के ऊपर यह लगना चाहिये और उस से भी आप को ४० करोड़ रुपये मिल जायेंगे। दूसरे कहते हैं कि २५ करोड़ नहीं इस से ७५ करोड़ रु० मिलेगा और इस लिये सारी पूंजी की व्यवस्था गड़बड़ हो जायेगी, यह इस वक्त नहीं लगनी चाहिये। तीसरे आज इस की वकालात करने लगे तो कहा कि इस से कोई नुक्सान नहीं होने वाला है, सब कुछ ठीक होगा, लेकिन आखिर में सब पर पानी फेर दिया। श्री मोरारजी आखीर में यह कह गये कि फिर उनकी बारोइंग कैपेसिटी जो है यानी वर्किंग कैपिटल में जरूर मुश्किल पड़ेगी। इसलिये इस में उस का इन्तजाम करना होगा। हमें बजट के लिये रुपये की जरूरत है और वे हम से इन्तजाम करवाते हैं और उन को देने के लिये। यह सारा चक्रव्यूह क्या है? चक्रव्यूह यह है कि वास्तव में हम सोचते हैं कि अगर इमर्जेन्सी है, या आपातकाल है तो हमारा यह बजट डिफेन्स बजट है। अगर हम यह मान कर चलते हैं कि यह डिफेन्स का बजट है, तो निश्चित रूप से हमें यह कुर्बानी करनी पड़ेगी। जो पुराने सिद्धान्त लागू किये जाते हैं कि कैपिटल जो है वह सामने नहीं आयेगी और हम रिएम्प्लाय उसे नहीं करेंगे, अमुक बात नहीं होगी, यह दलीलें आज नहीं दी जानी चाहियें।

आश्चर्य की बात तो यह है कि सरकार तो कहती है कि २५ करोड़ रु० आ जायेगा। सरकार के आंकड़े जो अच्छे और सही होने चाहियें, और हमारे पूंजीपति वर्ग के भाई कहते हैं कुछ और। कोई कहता है कि ७५ करोड़ रु० आयेगा, कोइ कहता है कि ५० करोड़ रुपया आयेगा, कोई कहता है कि कुछ नहीं आयेगा, और इस तरह से आंकड़ों की गड़बड़ में हमें फंसाया जाता है हम को सरकार की बात माननी चाहिये। अगर हम सरकार की बात मानते हैं तो २०० करोड़ रु०

[श्री म० ला० द्विवेदी]

की आमदनी में से यह जो २५ करोड़ रु० आता है वह उनकी आमदनी में से जाने वाला है जो कि शेअर होल्डर्स हैं। इस के माने यह हैं कि १५० करोड़ रु० ऐसा रह जाता है जो लगभग ६ परसेंट वालों के पास रहेगा औसतन। इस के साफ अर्थ यह होते हैं कि टोटल को अगर यह मिलेगा, किसी को कम और किसी को ज्यादा, तो यह ८ परसेंट उन को मिलेगा। लेकिन वास्तविकता इस में यह नजर आती है कि कुछ कम्पनियों को थोड़ा मिलता है और कुछ को बहुत ज्यादा मिलता है। जो बहुत ज्यादा लेने वाले हैं वे सशक्त हैं और उन कमजोर लोगों को भी खींचते हैं आवाज उठाने के लिये और अपने बचाव के लिए यह माया जाल फैलाते हैं। जहां तक मेरा विचार है वह यह है कि इस में कोई हानि होने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार को चाहिये कि वह यह स्पष्ट करे कि इमर्जेन्सी पीरियड का टैक्सेशन है न कि हमेशा लगने वाला है। साल दो साल में किसी कम्पनी का कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन जिसको लांग टर्म्स पालिसी कहते हैं उस में जरूर इस से अड़चन पहुंचने वाली है। इसलिये इस के बारे में हमें जरूर स्पष्ट करना चाहिये कि डिफेन्स बजट के लिये जो कुछ किया जा रहा है वह कोई विशेष कुर्बानी नहीं है।

दूसरी बात मैं कम्पलसरी सेविंग्स स्कीम के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। हम तो कुछ दिनों से यह आशा करते थे कि यदि कोई स्कीम इस तरह की होगी तो ऐसी होगी जिस से कुछ बड़े बड़े लोगों पर असर पड़ेगा। उन से कहा जायेगा या जो लोग डिफेंस फंड में नहीं देते हैं उन से कहा जायेगा कि वे इस कानून के जरिये से दें। लेकिन हुआ क्या? ४० करोड़ रु० जो कम्पल्सरी सेविंग्स से आयेगा उस में से १२ करोड़ रु० इनकम टैक्स वालों से आयेगा और २८ करोड़ रु० दूसरे लोगों से आयेगा। इससे अच्छा तो यह होता कि आप सेविंग्स सर्टिफिकेटस में लेते और १०० करोड़ के बजाय १४० करोड़ रुपये यों ही हो जाते। आखिर कम्पल्सरी सेविंग का अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय अगर लोगों को शिक्षत करना है तो जमा करने के लिये तो इस के लिये यह वक्त नहीं है, और अगर अभिप्राय यह है कि वास्तव में लोगों से योगदान लिया जाय तो ४० करोड़ रु० का योगदान इस प्रकार से लेना अक्लमन्दी की बात नहीं है।

कल मेरे मित्र श्री भगवत झा आजाद यह कह रहे थे कि आप बतलाइयेगा कि आप के क्या सुझाव हैं। मेरा सुझाव यह है कि इस कम्पल्सरी सेविंग्स स्कीम के साथ साथ कम्पल्सरी डिपाजिट स्कीम भी जरूरी होनी चाहिये, और उसमें जो लोग वैल्थ टैक्स देते हैं या जिन कम्पनियों पर वेल्थ टैक्स लगता था, और वह हट गया और उन से कम्पल्सरी डिपाजिट इस प्रकार से लिया जाता है यह २८ करोड़ रु० बहुत आसानी से बिना किसी प्रकार का भार डाले हुये मिल सकता है इस में दो मत नहीं हैं। इस लिये कम्पलसरीसेविंग स्कीम के साथ साथ, जो कि मैं समझता हूं कि इनकम टैक्स पेयर्स के अलावा और किसी पर लागू नहीं होनी चाहिये, कम्पलसरी डिपाजिट की स्कीम होनी चाहिये। जहां तक कम्पलसरी सेविंग स्कीम को किसानों पर लागू करने का सवाल है न तो यह सिद्धांततः सही है और न अमल में यह पूरी होने वाली है। लैंड रेवेन्यू स्टेट सबजेक्ट है और उस पर टैक्स लगाना संविधान के अनुकूल भी है या नहीं इसमें संशय है और अगर संविधान उसके बीच में न भी आता हो तो यह कोई बचत की चीज नहीं है। पांच रुपये लगान देने वाला किसान कितना बचाता है? पांच रुपये लगान देने वाले किसान की आमदनी २५ या ३० रुपये महीने हो सकती है। जिस किसान की आमदनी सवा सौ रुपये न हो उससे आपको यह यांगने का अधिकार नहीं है, औह सवा सौ एक किसान की आमदनी तब हो सकता है जबकि उसके पास २० एकड़ जमीन हो जो कि इर्रीगेटेड हो, और वह सौ रुपये लगान देता हो। इसलिये जहां तक किसान से लेने का प्रश्न है

यह सैद्धांतिक रूप से और व्यवहारिक रूप से दोनों तरह से गलत है, और जब आज के युग में हम समाजवाद का नारा लगाते हैं, तब तो इस प्रकार की उससे मांग करना उन सारे सिद्धांतों के विपरीत पड़ता है। इसलिये यह २८ करोड़ रुपया जो आप इस तरह से लेना चाहते हैं, इस तरह से न लें और जैसा मैंने सुझाव दिया है उस तरह से लें तो किसी को भी तकलीफ नहीं होगी।

एक तरफ हमने देखा कि बिड़ला जी ने ५० लाख रुपया डिफेंस फंड में दे दिया लेकिन दूसरी तरफ उनकी कम्पनियों में और निजाम में इतनी शक्ति नहीं है कि सरकार को ४ परसेंट पर रुपया दे दें। ये बहुत सीधी सी बातें हैं। लेकिन समझ में नहीं आता कि जब हमारे वित्त मंत्री जी करों का ढांचा बनाते हैं तो कौन उनको सुझाव देता है या उनको अन्तरात्मा में स्वयं सुझाव आते हैं।

फैक्टरीज रिस्क इंश्योरेंस स्कीम और गुडस रिस्क इंश्योरेंस स्कीम के अन्तर्गत २७ से ३३ करोड़ रुपया आयेगा। लेकिन इस रुपये को आमदनी में मानना सबसे बड़ी भूल है। अगर सरकार यह मान कर चले कि कोई लड़ाई नहीं होने वाली है और कोई खतरा नहीं होने वाला है, तब तो इसको आमदनी में मान सकती है। लेकिन अगर लड़ाई नहीं होने वाली है और खतरा नहीं है तब तो इन स्कीमों को जारी रखने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। यह रुपया तो इसलिये रखा गया है कि यदि दैव गति से किसी पर आपत्ति आवे तो जिस पर आपत्ति आवे उसको इसमें से रुपया दिया जाये। इसमें से उसको भुगतान कर दिया जायेगा। तो जो भुगतान की रकम है उसको आमदनी मानना सबसे बड़ी भूल की बात है। लेकिन वास्तविकता यह नजर आती है कि हम हर चीज को आमदनी का सीगा बनाना चाहते हैं। इस चीज को आमदनी मानना भूल है। इसे या तो हटा देना चाहिये या इसे आगे के लिये सुरक्षित रखना चाहिये ताकि जब समय आवे तो इसका उपयोग किया जा सके।

एक बात सुन कर मुझे आश्चर्य हुआ। अभी तक तो कांग्रेस पार्टी के लोग भी सुबह से शाम तक यह कहते थे कि फैमिली प्लानिंग होना चाहिये और बर्थ कंट्रोल होना चाहिये और जनसंख्या नहीं बढ़नी चाहिये। लेकिन कल श्री हनुमन्तैया जी ने कहा कि अगर हमको चीन से मोर्चा लेना है तो हमको भी धड़ाधड़ जनसंख्या बढ़ानी चाहिये। मेरी समझ में उनकी बात नहीं आयी। क्या वे इस देश की जन संख्या बढ़ा कर ७० करोड कर देना चाहते हैं। और अगर वह ऐसा चाहते हैं तब तो हमको चीनियों से दुगनी स्पीड से जनसंख्या बढ़ानी चाहिये और उसके लिये जरूरी हो जाये कि ७०, ७५ और ८० वर्ष के बूढ़ों तक को बच्चे पैदा करने चाहिये नहीं तो हम चीन का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। उनका गणित क्या है मैं समझ नहीं पाया। अगर उनकी दलील यह है कि चीन की तीन करोड़ की सेना है हमको भी इतनी सेना चाहिये, तो हम अपनी आबादी में से जो कि ४४ या ४५ करोड़ की है, दो तीन करोड़ की सेना बना सकते हैं। यह मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर वह यह दलील दें कि जिस प्रकार चीनी अपने आदमियों को भेड़ बकरियों की तरह मरवाते हैं उसी तरह हमको भी अपने आदमी मरवाना चाहिये. तो मैं निवेदन करूंगा कि यह कोई बहुत विद्वता की बात नहीं है, बल्कि यह कोई अक्ल की बात भी नहीं हो सकती। तो मैं जानना चाहता हूं कि यह जो कांग्रेस का चिड़ियाघर है इसके जो माननीय सदस्य यहां आकर बोलते हैं वे पार्टी के नाते बोलते हैं या अपने व्यक्तिगत विचार यहां रखते हैं। अगर उनको अपने व्यक्तिगत विचार यहां रखने की इजाजत है तो मेरा सुझाव है कि उन पर व्हिप नहीं होना चाहिये। हम देखते हैं कि चाहे जो बोल जाते हैं लेकिन जब राय देने का सवाल आता है तो हमारी तरफ नहीं आते और राय व्हिप के अनुसार देते हैं। तो मेरा कहना यह है कि या तो वे व्यक्तिगत बात न रख कर पार्टी की बात रखें, और अगर वे अपनी व्यक्तिगत बात रखते हैं तो उन पर व्हिप नहीं होना चाहिये।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अब समाप्त करें।

श्री काशी राम गुप्त : सब जगह एक्सप्लायटेशन होता है, हमारा भी होता है। नेता लोग ज्यादा समय ले जाते हैं और हम जैसे रह जाते हैं। मुझे थोड़ा सा समय और दिया जाये।

मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जिनकी आमदनी १५०० रुपये है उनसे आप ३ परसेंट कम्पलसरी डिपाजिट लेना चाहते हैं। जिसको १३० रुपये मासिक दिल्ली में मिलता है उसके खर्चे का मैंने हिसाब लगाया है। अगर वह रूखी रोटी खाय, मोटा कपड़ा पहने, बच्चों के लिये मामूली किताबें खरीदे, तो उसका खर्चा १४५ रुपये महीना होगा। चालीस रुपये का तो वह अनाज ही खा जायेगा, १५ रुपये मकान का किराया देगा, अगर उसके पास सरकारी मकान है, पांच रुपये की रोशनी जलायेगा, तेल साबुन का कुछ खर्च होगा, साग सब्जी, नमक का कुछ खर्च होगा, मसालों का कुछ खर्च होगा, कुछ चाय चीनी का खर्च होगा, कुछ बीमारी का खर्च होगा। तो इस तरह उसका १४५ रुपये खर्च होगा जो कि उसकी आमदनी से १५ रुपये ज्यादा होगा। वह इस कमी को उधार लेकर, जिसको वह कभी कभी नहीं वापस करता, पूरा करता है, या ब्याज के नीचे पिसता रहता है,। इस तरह वह अपना काम चलाता है। और उससे आप कहते हैं कि हमें बचाकर दे।

इसके बाद मेरा निवेदन है मिनिस्टरों के बारे में। मेरा इस संबंध में औरों से मतभेद है। मेरा तो यही कहना है कि अगर इनको इन्हीं बंगलों में रहना है तब तो इनके खर्चे में कोई कमी होने वाली नहीं है, क्योंकि इनका स्टाफ उनमें रहेगा, सिक्योरिटी का बड़ा प्रबन्ध रहेगा और दूसरे खर्चे रहेंगे। लेकिन अगर इनको समाजवादी तरीके से रहना है तो उनको वैसा करना चाहिये जैसा दूसरे मुल्कों में होता है। एक जगह सब के लिये फ्लैट बनवा लें जिससे सबकी सिक्योरिटी एक साथ हो सके और ये फ्लैट तीन तीन चार चार कमरों के हों, रिफरीजरेटर्स और एयरकंडीशनिंग को विदा कर दिया जाय, तो बचत हो सकती है। वरना हम इनकी नुक्ताचीनी करते रहेंगे और ये सफाई देते रहेंगे। इससे कोई लाभ नहीं होगा।

नेशनल डिफेंस फंड के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि सरकार का हाल यह है कि जो भी काम उसके अफसरों के हाथों में दे दिया जाता है उसी में गड़बड़ी होने लगती है। एमरजेंसी के शुरू के दस दिनों में तो काम उत्साह से चला और लोगों ने पैसा खुशी से दिया। लेकिन उसके बाद टारजेट फिक्स किये गये और लोगों से जबरदस्ती वसूल किया गया और यहां सवाल किये जाते तो कहा जाता था कि कुछ शिकायतें आयी हैं। पर मेरा कहना है कि पिछले दो महीनों में जो वसूली हुई है उसमें ८० फीसदी दबाव के कारण हुई है। इसके अलावा कुछ बात नहीं है।

अन्त में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो रकम आपने बजट में रखी है उससे ज्यादा भी ले सकते हैं लेकिन किसानों पर कम्पलसरी सेविंग स्कीम लागू न की जाये। इसको आप बड़े बड़े पूंजीपतियों, राजा महाराजाओं और करोड़ पतियों से कम्पलसरी डिपाजिट द्वारा लें और सुपर प्राफिट्स टैक्स छोटी कम्पनियों से न लिया जाये, बड़ी कम्पनियों से वसूल किया जाये।

आपने मुझे समय दिया इसके लिये धन्यवाद देते हुये समाप्त करता हूं।

†**श्री श० ना० चतुर्वेदी** (फिरोजाबाद) : सभापति महोदया, इस बजट से हमें आपातकाल की झलक मिलती है। यह अनिवार्य है कि ऐसे समय में भारी कर लगाये जायें और धनिक और निर्धन दोनों वर्ग यह भार वहन करें। वित्त मंत्री ने इस भार को यथा संभव न्यायसंगत रूप से वितरित करने का प्रयास किया है। प्रतिरक्षा और विकास की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये इतने बड़े प्रयास की आवश्यकता थी।

---

†मूल अंग्रेजी में

स्वतंत्र दल का विचार है कि अपने आंग्ल-अमरीकी मिलों से प्रतिरक्षा कार्य में हाथ बंटाने के लिये कहा जाये। जब चीन ने आक्रमण किया था तब इस दल ने यह आलोचना की थी कि सरकार राष्ट्र की रक्षा के लिये तैयार नहीं थी। किन्तु अब जब प्रतिरक्षा की तैयारी के लिये आवश्यक धन प्राप्त करने के लिये कर लगाये जा रहे हैं तब यह दल उसकी भी आलोचना करता है। वह इस बात को भूल रहे हैं कि जब तक हम स्वयं अपनी रक्षा के लिये प्राण पण से कटिबद्ध न हों कोई भी अन्य राष्ट्र सहायता के लिये प्रस्तुत नहीं होगा।

बजट प्रस्तावों पर कई आपत्तियां उठाई गयी हैं। जीवनोपयोगी वस्तुओं पर कर लगा दिये गये हैं। इससे सामान्य लोगों के लिये बहुत बड़ी कठिनाई उपस्थित हो जायेगी।

दूसरा प्रश्न यह है कि क्या नये करों से मूल्य रेखा स्थिर रह सकेगी? यह बात कई करों के बारे में लागू होती है। इसके लिये आवश्यक उपाय किये गये हैं किन्तु जब तक बहुत बड़े उपाय नहीं अपनाये जाते मूल्य रेखा को स्थिर रखना कठिन ही होगा।

अधिलाभ कर से केवल उन्हीं औद्योगिक उपक्रमों को हानि होगी जिनके पास पर्याप्त रक्षित निधि नहीं है। दूसरा सन्देह यह है कि जब ब्याज की साधारण दर ८ अथवा ९ प्रतिशत है तब क्या ६ प्रतिशत लाभांश पर नये उपक्रमों के लिये पूंजी उपलब्ध हो सकेगी?

चीन ने हमें सैनिक ही नहीं अपितु सैद्धांतिक चुनौती भी दी है। हमारी विचार शैली और जीवन पद्धति को चुनौती दी है। हमें दोनों बातों में अपनी उत्कृष्टता दिखानी है। हमें यह सिद्ध करना है कि तानाशाही की अपेक्षा प्रजातंत्र में जनता का कल्याण और उसकी समद्धि अधिक अच्छी तरह सुनिश्चित की जा सकती है।

हमें यह देखना है कि क्या हमारी अर्थ-व्यवस्था यथेष्ट प्रगति कर रही है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सके हैं और तृतीय पंच वर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों में भी प्रगति की गति उत्साहवर्धक नहीं है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

कृषि उत्पादन अधिकतर मानसून के रुख पर निर्भर करता है। औद्योगिक उत्पादन में न्यूनता का कारण है विद्युत्, परिवहन साधनों, कोयला, इस्पात और आयात की जाने वाली सामग्रियों में कमी। प्रति व्यक्ति आय में हुई वृद्धि मल्य वृद्धि के कारण व्यर्थ हो गयी है। बेरोजगारी की समस्या को भी हल नहीं किया जा सका है।

हमारी अर्थ-व्यवस्था में क्या दोष है? मैं समझता हूं कि ग्राम्य पंचायत, खंड समितियों, ज़िला परिषद्, राज्य विधान सभाओं और संसद् के द्वारा हम जिस पंचस्तरीय राज्य का निर्माण कर रहे हैं उसमें अवक्षय, अकुशलता और अपव्यय आदि दोनों की भरमार है। निर्वाचनों में बहुत सा समय नष्ट होता है इसके बाद याचिकाओं पुनर्निर्वाचन, फिर याचिकाओं का चक्र चलता रहता है और इस प्रकार कार्य करने के लिये बहुत कम समय रहता है। कार्य से अधिक मूल्य बातें बनाने का होता है। पंचायत या तो निष्क्रिय हैं अथवा दलबंदी और दुर्भावनाओं का शिकार बनी हुई हैं। इन समितियों का गठन इस प्रकार का है कि इसमें किसी का उत्तरदायित्व निश्चित नहीं है। इसका परिणाम यह हुआ है कि साधारण व्यक्तियों में सुरक्षा की भावना नहीं है।

प्रशासन तन्त्र के कार्य में भी मन्थरता अवक्षय और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। सेवा और इसकी सामग्री में कुल राजस्व का ५० प्रतिशत व्यय होता है। इसके अतिरिक्त बहुत से अनुचित करों ने साधारण मनुष्यों के कष्ट को बढ़ा दिया है। इसलिये प्रमुख प्रश्न यह है कि इन परिस्थितियों में क्या यह पंचस्तरीय ढांचा व्यवहार्य है।

[श्री श० ना० चतुर्वेदी]

साधारण मनुष्य अपने को उतना ही असहाय अनुभव करता है जितना स्वाधीनता के पूर्व। ऐसी परिस्थिति में हम लोगों को वह शक्ति और उत्साह कैसे प्राप्त कर सकते हैं जो हमारी अर्थ-व्यवस्था को गतिशील कर दे। ऐसी अर्थ-व्यवस्था किस काम की है जिसमें साधारण व्यक्तियों को पीसा जाता है ; जबकि कर अपवंचक और चोरबाजारी करने वाले फलते–फूलते हैं। मैं निवेदन करता हूं कि इस आपात काल में हम प्रशासन में अधिक कार्य कुशलता और ईमानदारी लाने की व्यवस्था करें। तभी हम देश की प्रतिरक्षा करने के लिये अपने आप को समुचित रूप से तैयार कर सकेंगे और अपनी पंचवर्षीय योजनाओं की पूर्ति इस ढंग से कर सकेंगे कि साधारण व्यक्ति की हालत भी सुधरे ?

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान्, यह मेरा ११वां अवसर है जब मैं वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट प्रस्तावों पर चर्चा सुन रहा हूं और जब मुझे माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये कुछ प्रश्नों का उत्तर देने का सम्मान प्राप्त हुआ है। इसलिये जब माननीय सदस्य बजट प्रस्तावों पर अपना मत अभिव्यक्त करते हैं तब मैं उनके वास्तविक दृष्टिकोण को समझ लेता हूं ।

मैं समझता हूं कि इस वर्ष माननीय सनस्य वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट से सहमत हैं और उत्कट रूप से यह अनुभव करते हैं कि इसका कोई विकल्प नहीं है । कुछ माननीय सदस्यों ने तो यह भावना भी व्यक्त की है कि विकास और प्रतिरक्षा दोनों के लिये केवल इसी प्रकार का बजट बनाया जा सकता था और सभा के सम्मुख प्रस्तुत किया जा सकता था। उन सदस्यों ने भी जिन्होंने इसके सम्बन्ध में दोषान्वेषण, आक्षेप और आलोचना करने की चेष्टा की इसे कुछ संकोच के सहित स्वीकार कर ही लिया। अब भी उन्होंने अपने विचारों को प्रकट करने और इसकी आलोचना करने की उत्कट चेष्टा की, उनकी अभिव्यक्ति में गड़बड़ाहट और तर्कहीनता आ गई; क्योंकि जहां एक ओर वह यह कह रहे थे कि देश को अपनी प्रतिरक्षा को मजबूत बनाना और संसाधनों को उपलब्ध करना चाहिये वहां दूसरी ओर वह वित्त मंत्री और सरकार द्वारा किये गये प्रयासों की निन्दा भी करने लग गये। इसलिये मेरा कार्य कुछ कुछ सरल हो गया है क्योंकि आलोचनायें न तो युक्तियुक्त हैं और न तीव्र और अब मेरा कार्य यह रह गया है कि मैं इनकी अतार्किकताओं अथवा अतर्कसंगत आलोचनाओं को तथा साथ ही जो सामान्य और तीक्ष्ण आक्षेप किये गये हैं उनमें अन्तर्भूत भ्रान्तियों को प्रकट करूं।

जिन प्रश्नों का माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया था उनमें से पहला प्रश्न जो मैं उठाना चाहता हूं वह श्रमिकों के भविष्य निधि में अंशदान के विषय में है। इस सम्बन्ध में श्री रेणु चक्रवर्ती ने और विरोधी पक्ष के सदस्य श्री इन्द्रजीत गुप्त ने बहुत ही सुबुद्ध और तथ्यपूर्ण भाषण दिया किन्तु यह कहते हुये उन्होंने कुछ अनभिज्ञता का भी आभास दिया है कि "आप अंशदायी भविष्य निधि का अंशदान क्यों नहीं बढ़ा देते ?" दूसरी सभा में भी उनके दल से सम्बन्धित सदस्यों ने यह प्रश्न उठाया था। उन्होंने यह सुझाव दिया था कि इसे बढ़ा कर ८ प्रतिशत कर दिया जाये। जैसाकि सभा को ज्ञात है। अधिनियम में ऐसा उपबन्ध भी है और सदन द्वारा पारित विधान के अनुसार भी, भविष्य निधि का अंशदान बढ़ाने से पूर्व प्रत्येक उद्योग के सम्बन्ध में पूछ-ताछ की जाती है । हमने ४ उद्योगों––सिगरेट, इंजीनियरिंग, इस्पात और लोहा और हाथ से बने हुये कागज के अतिरिक्त अन्य कागज––के सम्बन्ध में पूछताछ की है। इन चार उद्योगों में १ जनवरी, १९६३ से अंशदान को ८ प्रतिशत तक बढ़ाने की आज्ञा दे दी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** (कलकत्ता-दक्षिण पश्चिम) : मैंने भी यही कहा था कि ४ उद्योगों के सम्बन्ध में जांच की गई है ।

†**श्री ब० रा० भगत** : २० अन्य उद्योगों के सम्बन्ध में तेजी से जांच की जा रही है और बहुत शीघ्र जांच समाप्त होने पर, इस सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा। पहले से ही, जैसाकि माननीय सदस्य को ज्ञात होगा, कोयला खानों में १-१०-६२ से यह बढ़ा कर ८ प्रतिशत कर दिया गया है ।

इसके पश्चात् श्री अ० प्र० जैन ने यह कहा कि अधिभार अनुपार्जित आय के पक्ष में विभेद करता है और नये अतिरिक्त अधिभार, यदि पूर्ण रूप से अर्जित हों तो, ५११९ रुपये और पूर्ण रूप से अनुपार्जित हों तो ३९८१ रुपये होते हैं। यह सच है किन्तु यह कहना कि हम अर्जित आय के विरुद्ध विभेद कर रहे हैं ठीक नहीं है। जब हम कुल कर आभार का, उस विशेष स्थिति में अर्थात् २ लाख रुपये पर कुल कर के आभार का, उल्लेख करते हैं, तो यदि यह पूर्णरूप से अर्जित है, तो, १,४२,८२६ रुपये और यदि यह अनुपार्जित है तो इससे भी अधिक १,५३,०७५ रुपये, होता है। इस प्रकार कोई विभेद की बात नहीं है और उनकी आलोचना मिथ्या है।

श्री इन्दुलाल याज्ञिक ने कहा है कि पूर्णतः व्यक्तिगत आय पर, आय कर १९५७ और १९६१ के बीच कम उगाहा गया है। वह यह सिद्ध करना चाहते थे कि सारी कर व्यवस्था पश्चाद्गामी है और व्यक्तिगत आय पर अंशदान कम हो रहा है। संभवतः यह उद्धरण उन्होंने प्रोफेसर गाडगिल के एक प्रकाशित लेख से दिया है क्योंकि आंकड़े वही हैं। और उस लेख में यह बताया गया है, उन्होंने भी यही कहा था, कि आय कर से प्राप्त जो १९५६–५७ में १६३ करोड़ रुपये भी कुछ बढ़ कर १५२ करोड़ रुपये हो गई। इसका अर्थ यह हुआ कि वृद्धि कुल ११ करोड़ रुपये की थी। किन्तु इसमें एक भूल है क्योंकि इसमें इस तथ्य की अवहेलना की गई है कि कुल निगम-कर में जैसाकि सभा को ज्ञात है, गत २ वर्षों में मौलिक परिवर्तन हुआ है और १५२ करोड़ रुपये के जो आंकड़े उद्धृत किये गये हैं उसमें समवायों के लाभ पर आय कर भी सम्मिलित हैं जोकि गत २ वर्षों में किये गये सुधार के फलस्वरूप अलग कर दिये गये हैं और इसलिये आज के अर्थात् १९६२–६३ के आंकड़ों में जो १६३ करोड़ रुपये हैं उसमें समवायों के लाभ पर आयकर सम्मिलित नहीं है। इसलिये हमें १५२ करोड़ रुपये और १६३ करोड़ रुपये के आंकड़ों में तुलना नहीं करनी अपितु ११६ करोड़ रुपये, जिसमें समवायों के लाभ पर कर सम्मिलित नहीं है, और १६३ करोड़ रुपये में करनी है। इसलिये वृद्धि ४० प्रतिशत है न कि ७ प्रतिशत जैसाकि माननीय सदस्य ने बताने का प्रयत्न किया है ।

अब मैं उस प्रश्न को उठाता हूं जिसका बहुत से माननीय सदस्यों ने उल्लेख कर किया था। यह प्रश्न सरकारी औद्योगिक उपक्रमों में लगाये गये रुपये पर लाभ के सम्बन्धित में है। वह यह कहते हैं कि इसकी दर बहुत कम है। कई बार यह आलोचना की गई है और हमने इसका स्पष्टीकरन करने का प्रयास किया है। इस वर्ष बजट सम्बन्धी कागजों और व्याख्यात्मक ज्ञापन में स्थिति को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने की चेष्टा की है। कई प्रकार के उद्योग हैं; कुछ का निर्माण हो रहा है, कुछ का निर्माण हो गया है किन्तु अभी उत्पादन आरम्भ नहीं हुआ और कुछ उत्पादन कर रहे हैं। उन सब को एक साथ मिला कर कुल विनिधान की राशि पर लाभ की गणना करना ठीक नहीं है। इसलिये, जैसाकि व्यख्यात्मक ज्ञापन में स्पष्ट रूप से दिया हुआ है, यह इस प्रकार होना चाहिये। कुल विनिधान की राशि में से १४४ करोड़ रुपये की लागत के उद्योगों का अभी

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बा० रा० भगत]

निर्माण किया जा रहा है। उन पर लाभ की गणना करना व्यापारिक प्रथा नहीं है। केवल १८३ करोड़ रुपये ही उन उपक्रमों में लगाये गये हैं जिनमें उत्पादन किया जा रहा है। १९६१–६२ में इन उपक्रमों का शुद्ध लाभ ८·४६ करोड़ रुपये था जो ४·६२ प्रतिशत होता है। इसमें से सरकार को कुल १·६६ करोड़ रुपये मिले और शेष उनकी रक्षित निधियों को बढ़ाने के अथवा विस्तार के कार्यक्रमों में लगाये गये। इसी प्रकार दूसरे उपक्रम हैं जिनमें काफी लाभ हुआ है—राज्य व्यापार निगम में २·०२ करोड़ रुपये का, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स में १·२८ करोड़ रुपये का और हिन्दुस्तान एन्टिबायोटिक्स में ७७ लाख रुपये का लाभ हुआ। यदि आप दूसरे उपक्रमों को भी सम्मिलित करें तो आप यह नहीं कह सकते कि उनके लाभ की मात्रा उपेक्षनीय थी। यह सच है कि इन उपक्रमों से लाभ अथवा संसाधन हमारी आशा के अनुकूल प्राप्त नहीं हुये। किन्तु लाभ की मात्रा बढ़ रही है और उनके प्रशासन में कुशलता और तत्परता लाने के और इस सब निर्माण कार्य क्रम के पूर्ण होने के, पश्चात् उनके लाभ की मात्रा उतनी ही होगी जिसकी तृतीय योजना काल में आशा की जाती थी। किन्तु तृतीय योजना के अन्त में उनसे जितने लाभ की आशा की जाती है उसकी तुलना आज प्रारम्भिक अवस्था के लाभ से करना उचित नहीं है।

बाहरी सहायता के धीमे उपयोग किये जाने के विषय में भी कहा गया था। एक माननीय सदस्य, श्री देव ने तो यहां तक कह दिया था कि जहां तक सैनिक सहायता का प्रश्न है हमें यह एक बड़े पैमाने पर लेना चाहिये किन्तु जहां तक आर्थिक सहायता का प्रश्न है, उन्होंने कहा, यदि हम सारी बाह्य सहायता का उपयोग करने लगें तो हमें विदेशी सहायता की आवश्यकता नहीं। यह माननीय सदस्य का अथवा उनके दल का दोहरा व्यक्तित्व है कि एक ओर जहां वह बड़े पैमाने पर सैनिक सहायता के पक्ष में हैं, वहां दूसरी ओर आर्थिक सहायता के विरोध में हैं। किन्तु स्थिति ऐसी नहीं है।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि हमने ७०० करोड़ रुपये का ऋण लिया, यह द्वितीय योजना का शेष है, और तृतीय योजना के प्रथम वर्ष के अन्त में अनुपयोजित बाहरी सहायता ८३० करोड़ रुपये की थी। द्वितीय योजना के प्रथम नौ महीनों में, अर्थात् १९६२–६३ में, ४५० करोड़ रुपये की और स्वीकृति की गई है और यह कहा जाता है कि यदि हम तेजी से इसका उपयोग करें तो और सहायता की आवश्यकता नहीं होगी। किन्तु यह धारणा गलत है क्योंकि सहायता का स्वरूप ही ऐसा है कि इस के स्वीकार किये जाने और इस के उपयोग किये जाने में कुछ समय लगता है। यह सहायता किसी परियोजना, जैसे रूरकेला संयंत्र अथवा भिलाई संयंत्र के सम्बन्ध में है। भिलाई कार्यक्रम के विस्तार के लिए एक करार पर हस्ताक्षर किये गये। यह कार्यक्रम ४ अथवा ५ वर्ष के लिये है। एक बार करार पर हस्ताक्षर लेने के बाद वह सहायता और उसकी राशि स्वीकृत हो जाती है। किन्तु यह नहीं कहा जाता कि इसका तुरन्त उपयोग किया जायेगा। ऐसा नहीं किया जा सकता। इस प्रकार यह परियोजनाओं संबंधी सहायतायें उस परियोजना संबंधी सहायता के पूर्ण होने तक की अवधि के लिये हैं। इसी प्रकार ऐसा भी व्यवस्था है कि सहायता देने वाले देश पहले ही वचन लेते हैं। विभिन्न परियोजनाओं के सम्बन्ध में इस से प्राप्त कुछ सहायतायें तृतीय पंचवर्षीय योजना की परियोजनाओं के लिये हैं। द्वितीय योजना में भी सहायता का कुछ भाग तृतीय योजना की परियोजनाओं के लिये था और उसका विनियोग निश्चित समय पर ही किया जा सकता है। केवल इसी कारण कि इनकी घोषणा हो गयी है अथवा इस के लिये वचन-बद्ध हो गये हैं इनका प्रयोग नहीं किया

जा सकता । किन्तु अब इनका उपयोग तेजी से किया जा रहा है । और सहायता का एक बड़ा भाग ब्याज मुक्त ऋण है। आमामी वर्षों में अपनी विदेशी विनिमय की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये ब्याज-मुक्त ऋण के और निर्बन्ध ऋण के, यदि इसका तुरन्त उपयोग किया जाये, उपयोग में कोई कठिनाई नहीं । इस में कोई समय को बाधा नहीं इसलिये विदेशी सहायता का तेजी से उपयोग किया जाता है।

उदाहरणार्थ १९६१–६२ में २४८ करोड़ रुपये का उपयोग किया गया । चालू वर्ष के प्रथम नौ महीनों में २२९ करोड़ रुपये का उपयोग किया गया । इसलिये सहायता का, विभिन्न शर्तों का ध्यान रखते हुये, तेजी से उपयोग किये जाने का सब प्रकार से प्रयास किया जा रहा है ।

श्री रामनाथन् चेट्टियार ने कहा कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में १९६१–६२ में १९.४७ करोड़ रुपये की हानि हुई है, यद्यपि यह कहा गया है कि तीनों इस्पात संयंत्रों में उत्पादन में वृद्धि हुई है। यह सच है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने राजकोषीय वर्ष १९६१–६२ में अपने लेखे में १९·४७ करोड़ रुपये की हानि दिखाई है । इसका मुख्य कारण यह है कि उत्पादन में वृद्धि के फलस्वरूप आय के बढ़ने से इसने प्रथम बार मूल्य ह्रास निधि के लिये व्यवस्था की है। पिछले वर्ष १९६१–६२ में के संचय के कारण २७ करोड़ रुपये मूल्य ह्रास के लिये रखे गये जबकि १९६०–६१ में ४·९ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी। इस कारण हानि दिखाई गई थी। यह नाम मात्र की हानि है ; क्योंकि एक ओर उत्पादन बढ़ रहा है और साथ ही साथ ही हानि भी दिखाई जा रही है।

इसके अतिरिक्त जो कुल राशि १८.८७ करोड़ की है, वह तो मुख्यतः पुराने बकाया है। इसका मुख्य कारण अवक्षयण है। इस तरह २७ करोड़ एक और १९ करोड़ एक , ये दो राशियां रक्षित कोष में डाली गयीं । इस सब से यह बिलकुल स्पष्ट है कि सरकार को काफी अच्छी आय हुई है। यह भी स्पष्ट ही है कि १९६१–६२ में काफी आय हुई है और १९६२–६३ में बहुत अच्छी आय होने की संभावना है । १९६३–६४ के आय-व्ययक में इस बात का श्रेय लिया गया है कि १७·८६ करोड़ रुपया उगाहा लिया गया है। यह सरकार द्वारा दिये गये कुल कर्जे पर ५ प्रतिशत के रूप में ब्याज लिया गया । अतः इस दिशा में भयभीत होने का कोई कारण नहीं है।

श्री याज्ञिक जी ने कहा है कि जिस अनुपात में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष करों की वृद्धि हुई है, उस अनुपात से सामान्य व्यक्ति की आय में वृद्धि नहीं हुई है। मतलब यह है कि कर बढ़ रहे हैं और आय कम हो रही है। हमें एक बात समझ लेनी चाहिये कि विकसित हो रही अर्थ-व्यवस्था में ऐसा होता है। हमारी विकासोन्मुख अर्थ-व्यवस्था में, कर राजस्व की राष्ट्रीय आय के अनुपात में वृद्धि करनी है। इस पर आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं । परन्तु जैसे कहा गया है वृद्धि की वह मात्रा सही नहीं है । बहुत से अन्य देशों के मुकाबले में हमारे देश में प्रत्यक्ष करों का भार कम है। हमने १९६१–६२ की राष्ट्रीय आय को सामने रख कर १९६३–६४ के करों का निर्णय किया है । राष्ट्रीय आय १९५६–५७ में ७·९ प्रतिशत थी, जबकि १९६१–६२ में यह ११ प्रतिशत हो गयी थी। यह भी गलत बात है कि केन्द्र में प्रत्यक्ष करों में ७५ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अन्य देशों के मुकाबले में स्थिति कोई खराब नहीं है। जापान और बर्मा में अप्रत्यक्ष कर राष्ट्रीय आय का ११.९ प्रतिशत है, आस्ट्रेलिया में १४·१ प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश में १६.९ प्रतिशत है । फ्रांस में २२.९ प्रतिशत है। भारत में १९६१–६२ में ६·९ प्रतिशत हैं। कुछ बड़ा है परन्तु अप्रत्यक्ष करों का भार बहुत कम है।

आय कर के बकाया के बारे में भी उल्लेख हुआ है । कहा गया है कि सरकार ने राजस्व का जानबूझ कर कम अनुमान लगाया है। इस बारे में मेरा निवेदन यह है कि यह सरकार ने

[श्री बा० रा० भक्त]

राजस्व का कम अनुमान लगाने का जानबूझ कर प्रयत्न नहीं किया है। यह तो पहिले से चलता आया है। यदि कोई हमारे आय व्ययक की जटिलताओं और अन्य मामलों पर ध्यान दे तो उसे पता लगेगा कि ये भिन्नतायें बहुत अधिक नहीं हैं। देश में जो स्थिति चलती है, उसके अनुसार कुछ परिवर्तन तो होते रहते हैं। गत छः वर्षों के हिसाब को आप देखिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि सरकार ने यदि कोई कर लगाया तो वह आनावश्यक था। समय समय के दरों में परिवर्तन होने पर कुछ अन्तर जरूर पड़ता है। कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जिनका पहिले अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इस वर्ष के आय-व्ययक में २२ करोड़ का घाटा दिखाया गया है। १९२ करोड़ रुपये के कुल अप्रत्यक्ष कर हैं। एक मास की वसूली १६ करोड़ फैलती है, क्योंकि यह कर २८ फरवरी से ही आरम्भ हो जाती है। अतः १६ करोड़ घाटा कम हो गया, परन्तु इसका अनुमान पहिले नहीं लगाया जा सकता।

प्रत्यक्ष करों के बारे में मेरा निवेदन है कि अधिक से अधिक मामलों को निपटाने का यत्न किया जा रहा है। यद्यपि इस मामले में जल्दी की जा रही है और राजस्व एकत्र करने के मामले में यह बड़ी बात है, परन्तु १२, १५ मास में इस बारे में कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। १९५६–५७ में अनुमान ५१२ करोड़ था, परन्तु वसूली ५६८ करोड़ की थी, १९५७–५८ में यह ६५१ करोड़ के मुकाबले में ६८७ करोड़ थी। १९५८–५९ में अनुमान से १७ करोड़ कम वसूली हुई। यह परिवर्तन ऐसे हैं जिनका अनुमान नहीं लगाया जा सकता, ये तो विशेष हालत के प्रभाव से हो जाते हैं।

बचत का प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रत्येक वर्ष यह आता है और अब तो इसका महत्व और भी बढ़ गया है। सरकार को मालूम है कि व्यय को कम करने और अपव्यय को समाप्त करने के लिये निरन्तर और जोरदार प्रयासों की आवश्यकता है। इस संबंध में किसी को असैनिक व्यय को भारों के साथ नहीं मिलाना चाहिये। प्रशासनिक भारों में सब से अधिक वृद्धि पुलिस व्यय के अन्तर्गत की गयी है। इसका कारण आज की स्थिति है और इसकी आवश्यकता सीमान्त क्षेत्रों में अधिक पुलिस कार्यों की आवश्यकता के कारण हुई है। सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिये सभी प्रकार के प्रयत्न किये हैं। इस प्रकार का पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि व्यय कम से कम हो। भवन निर्माण तथा तत्सम्बन्धी सभी अनावश्यक काम समाप्त कर दिये गये हैं। तीसरी तथा चौथी श्रेणी की सेवाओं में १५ प्रतिशत कमी कर देने का प्रस्ताव किया गया है।

सरकार मूल्यों को बढ़ने न देने की दिशा में बहुत ही प्रयत्न शील है। आज तो इसकी बहुत ही आवश्यकता है परन्तु हम तो इस पर काफी देर से जोर दे रहे हैं। तीसरी योजना में तो इस पर बहुत ही जोर दिया है। दूसरी योजना में यह अनुभव हुआ था कि कीमतें ३० प्रतिशत तक बढ़ गयीं।

इन परिस्थितियों में सरकार मूल्यों के स्थिरीकरण के प्रश्न को सब से अधिक महत्व दे रही है। सरकार को यह धारणा नहीं प्रत्युत दृढ़ संकल्प है कि मूल्य कर सीमा से परे न जाने पाये। बहुत सी बातें लोग कहते हैं, परन्तु यह बात सत्य नहीं कि आय-व्ययक की प्रस्थापनाओं के कारण ही कीमतें बढ़ गयी हैं। अन्य कारण भी है। सरकार ने इस बात का प्रयत्न किया है कि खपत की आवश्यक वस्तुओं के मूल्य एक उचित स्तर से ऊपर जाय। इस बात का भी ध्यान रखा जाय कि इस स्तर को निर्धारित करते समय लोगों की आर्थिक स्थिति को भी सामने रखा जाय। गत दो वर्षों का अनुभव यह बताता है कि मूल्यों का स्तर ठीक रहा है। वर्तमान अवस्था में खाद्यान्नों के थोक मूल्य सूचक तीसरी योजना के आरम्भिक सूचक से अधिक नहीं था। अनाज का

देशनांक १०१.७ का जिससे यह पता चलता है कि वर्ष १९५१–५३ से, जिसे कि आधार वर्ष माना जाता है अनाज की कीमतें केवल १·७ प्रतिशत ही बढ़ी। इस संबंध में मेरा निवेदन इतना ही है खाद्यान्नों जैसी मूल उपभोक्ता वस्तुओं के संबंध में कई वर्षों तक एक उचित स्थिरता रखी गयी थी। मेरे विचार में यह सब से बड़ी सफलता है। सरकार निस्सन्देह मूल्यों के बारे में असन्तुष्ट नहीं है। खाद्यान्नों के मूल्य समुचित सीमा से आगे नहीं बढ़ने दिये गये।

इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि २३ फरवरी १९६३ को थोक मूल्य सूचक १२६·२ है, जब कि तीसरी योजना के आरम्भ में १२७.६ है। कुछ माननीय सदस्यों ने "इक्नोमिस्ट सर्वे" के लेख का उल्लेख किया है। उसके अनुसार मूल्य स्तरों में ६·१ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यदि यह ठीक भी हो तो हमें इस तरह से परिणाम नहीं निकालने चाहिये। हमें केवल उन महीनों की ही बात नहीं करनी चाहिये जब कि कीमतें बढ़ जाती हैं, उन महीनों की कीमतें भी सामने रखनी चाहिये जब कि कीमतें गिर जाती है। वैसे सरकार यह भी नहीं चाहती कि निराशा की भावना फैल जाये। माननीय सदस्यों को भी पूर्ण जागरूकता से बात करनी चाहिये। जिस भी देश की अर्थव्यवस्था विकसित अवस्था में होगी, वहां कीमतें घटती बढ़ती रहती है। यह बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिये। हमारी परिस्थिति तो और भी जटिल है। हम अपने औद्योगिक तथा कृषिक विकास में से निकल रहे हैं। हमें यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिये कि कीमतों के निर्धारण का अर्थ क्या है।

अन्तिम बात जो मैं कहने जा रहा हूं वह असमानताओं के बारे में है। यह कहना बिल्कुल गलत है कि असमानतायें बढ़ रही हैं। यह ठीक है कि ऊस बात के प्रयत्न करने के बावजूद कि असमानतायें हट जायें, अभी भी असमानतायें पायी जाती हैं। सरकार जिस नीति पर चल रही है वही ठोस नीति है। माननीय सदस्यों ने कहा है कि देश की ६० प्रतिशत आबादी २५ रुपये मासिक पर गुजारा कर रही है। दूसरी ओर देश के सारे धन का ३४ प्रतिशत, गैर सरकारी क्षेत्र के दस व्यक्तियों के पास है। इस बारे में मैं इतना ही कह सकता हूं कि देश की विकास की ओर चल रही गतिविधियां इस दिशा में काफी कार्य कर रही है। हमारी अर्थ व्यवस्था ही ऐसी है कि हमें अपेक्षित परिणाम लाने के लिये निरन्तर प्रयत्न करना होगा। कोई सन्देह नहीं कि असमानतायें हैं। परन्तु यह कहना ठीक नहीं है कि औद्योगिक वर्ग के पास ही सारा धन केन्द्रित हो रहा है। कुछ समय पूर्व रक्षित बैंक द्वारा किये गये सर्वेक्षण से इस बात का पता चलता है कि अंशों के स्वामित्व में परिवर्तन आ रहा है, अतः यह कि अधिकतर अंश केवल उच्च मध्यम वर्ग के पास नहीं थे बल्कि निम्न मध्यम-वर्ग के लोग भी उनका स्वामित्व प्राप्त कर रहे हैं। हमारा यही प्रयास होना चाहिये कि विकास की गति को तीव्र किया जाय।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** (मन्दसौर): माननीय वित्त उपमंत्री ने कहा कि वे धन को व्यर्थ नहीं जाने देते। उनका यह कहना ठीक नहीं है कि सरकारी क्षेत्र में विनियोजन का फल अच्छा रहा है। ४३ सरकारी कम्पनियों में ९२०·४२ करोड़ रुपये के विनियोजन से केवल ०·९३ प्रतिशत लाभ हुआ। इन आंकड़ों से पता चलता है कि अधिक सफलता नहीं मिली है।

हर एक चीज के राष्ट्रीयकरण की मांग ठीक नहीं है। जिन चीजों का राष्ट्रीयकरण हमने किया है वहां से सफलता नहीं मिली है।

मिट्टी का तेल अधिकतर गरीब लोग इस्तेमाल करते हैं। ऐसी वस्तुओं पर कर लगाने से गरीबों पर प्रभाव पड़ेगा।

अनिवार्य बचत योजना का नाई, कुली पनवाड़ी, स्कूटरवालों, रेढ़ीवालों और टांगा वालों इत्यादि पर प्रभाव पड़ेगा। उनकी आय को जाचंना मुश्किल होगा। इस तरह से भ्राष्टाचार

†मूल अंग्रेजी में

बढ़ेगा, क्योंकि सरकारी कर्मचारी जो इस काम के लिये नियुक्त किये जायेंगे वे भ्रष्टाचार के प्रतीक बन जायेंगे ।

अधिलाभ-कर से पूंजी लुप्त हो जायेगी । जब धनी व्यक्ति देखेंगे कि केवल ६ प्रतिशत लाभ होगा तो वे लोग धन नहीं लगायेंगे । कम्पनियों के पास रक्षित धन नहीं रहेगा और सरकार अथवा निगमों द्वारा दिया गया ऋण अदा नहीं किया जा सकेगा । छोटे व्यवसाय वाले लोगों पर अधिक प्रभाव पड़ेगा । सरकार को इन सब मामलों की ओर ध्यान देना चाहिये ।

राजस्व की काफी चोरी होती है । आयकर की बकाया राशि काफी है । राजस्व की चोरी को रोकने, घाटे तथा अपव्यय को खत्म करना चाहिये ।

मुझे कुछ और समय के लिये बोलना है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** तो वे अपना भाषण कल जारी रखें । अब हम गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर चर्चा करेंगे ।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

पन्द्रहवां प्रतिवेदन

†**श्री हेम राज** (कांगड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी पन्द्रहवें प्रतिवेदन से जो १३ मार्च, १९६३ को सभा में उपस्थापित की गई थी, सहमत है" ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के पन्द्रहवें प्रतिवेदन से जो १३ मार्च, १९६३ को सभा में उपस्थापित की गई थी, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

आर्थिक शक्ति के केन्द्रीकरण के बारे में संकल्प

†**उपाध्यक्ष महोदय :** सभा श्री भगवत झा आजाद द्वारा ७ दिसम्बर, १९६२ को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर अग्रेतर चर्चा करेगी :—

"इस सभा की यह राय है कि चीनी आक्रमण का मुकाबला करने के लिये देश की प्रतिरक्षा को मजबूत बनाने के लिये कोई कसर न उठा रखी जाये और इस के साथ ही अर्थ शक्ति तथा धन के केन्द्रीकरण, आय की वृद्धि, और मूल्यों में वृद्धि की संभावना को रोकने के लिये निरन्तर सतर्कता से काम लिया जाये जिससे हमारे समाजवादी समाज की स्थापना के संकल्प को धक्का पहुंच सकता है।"

---

†मूल अंग्रेजी में

दो घण्टे निर्धारित किए गए हैं। ४ मिनट हो चुके हैं? १ घण्टा और ५६ मिनट शेष हैं।

†**श्री म० ला० द्विवेदी** (हमीरपुर) : संकल्प बहुत महत्वपूर्ण है। अतः इस पर चर्चा का समय बढ़ा दिया जाना चाहिये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : हम अभी चर्चा जारी रखेंगे, फिर देखेंगे।

†**श्री भागवत झा आजाद** : (भागलपुर) देश में प्रतिक्रियावादी तत्व हैं जो कि संकल्प का विरोध कर रहे हैं। वे योजनाओं का विरोध कर रहे हैं और अर्थ शक्ति के केन्द्रीकरण में वृद्धि के लिये देश में संकट कालीन अवस्था का दुरुपयोग करना चाहते हैं। वे योजनाओं का विरोध कर रहे हैं। उनकी इच्छा है कि योजनाओं को समाप्त कर दिया जाये और एकाधिकारी पूंजी की स्थापना हो जाए। मैं यह इस अभिप्राय से लाया हूं कि अर्थ शक्ति कुछ धनियों के हाथमें एकत्रित नहीं होनी चाहिये और आय विषमता न बड़े।

श्री वित्त उपमंत्री ने आंकड़े दे कर बताया कि अर्थशक्ति का केन्द्रीरकरण भी हुआ है। परन्तु समवाय अधिनियम, १९५६ के कार्यकरण के सम्बन्ध में प्रतिवेदन में दिए गए आंकड़ों से पता चलता है कि जब कि समवायों की संख्या में अधिक वृद्धि नहीं हो रही है, अधिकृत और प्रदत्त दोनों प्रकार की पूंजी से काफ़ी वृद्धि हो रही है। यद्यपि सरकार का यह लक्ष्य है कि समाजवादी समाज की स्थापना की जाए परन्तु अर्थ शक्ति का केन्द्रीयकरण और आय में विषमता बढ़ रही है। छोटी छोटी कम्पनियों को तो दबाया जा रहा है और बड़ी कम्पनियों को प्रोत्साहन मिल रहा है। इस प्रकार से बड़ी कम्पनियों के नियन्त्रण के अधीन एककों की संख्या और उन में विनियोजित पूंजी बढ़ रही है। इन्जीनियरिंग उद्योगों में बहुत केन्द्रीकरण हुआ है, विशेष कर मशीनों और बिजली के यंत्रों के उद्योगों में। सब से ऊपर की जो दल है वे मशीनों के और बिजली के यंत्रों के कुल उत्पादन का ८८ और ५१ प्रतिशत करते है। इस से पता चलता है कि केन्द्रीकरण बढ़ रहा है।

साधारण मनुष्य की ओर देखिये। श्रमिकों की वास्तविक आय कम हो रही है। कृषि श्रमिकों की मजूरी में १९५१ तक १९५६ के मुकाबले में १० प्रतिशत की कमी हुई है। कृषि श्रमिकों की मजूरी दिन प्रति दिन कम हो रही है।

औद्योगिक श्रमिकों की आय और भी अधिक कम होगी। आय के वितरण में बहुत विषमता है।

एकाधिकार प्राप्त समाचार पत्र जनता को बहुत गलत समाचार देते है। उदाहरणतः 'स्टेटसमैन' और "टाइम्स आफ इण्डिया' के कोलम्बो प्रस्तावों के विषय में सभा में जिन लोगों ने भाषण दिए उनके सम्बन्ध में ठीक प्रकार से समाचार नहीं दिए। ये पत्र यह जाहिर कर रहे हैं कि अर्थ शक्ति का केन्द्रीकरण नहीं हो रहा है। यह महलानोबिस प्रतिवेदन से यह पता चलने की आशा है कि धन का केन्द्रीकरण बढ़ रहा है।

भूमि भी कुछ लोगों के हाथ में केन्द्रित है। जबकि कुल जनसंख्या के २० प्रतिशत लोगों के पास ०·७९ प्रतिशत भूमि है, दूसरे २० प्रतिशत लोगों के पास यह ६९.९७ प्रतिशत से भी अधिक है।

†मूल अंग्रेजी में

हम ने जनसंख्या के बड़े भाग को जिन पर देश की प्रतिरक्षा इत्यादि का बहुत बड़ा भार है यह प्रतिज्ञा दी हुई है कि आज की असमानताओं को कम किया जाएगा। सरकार को पुनः आश्वासन देना चाहिये कि धन के केन्द्रीकरण और आय के विषमता को न्यूनतम करने के लिये कदम उठाए जायेंगे।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** संकल्प प्रस्तुत हुआ :—

"इस सभा की यह राय है कि चीनी आक्रमण का मुकाबला करने के लिये देश की प्रतिरक्षा को मजबूत बनाने के लिये कोई कसर न उठा रखी जाये और इस के साथ ही अर्थ शक्ति तथा धन के केन्द्रीकरण, आय की विषमता में वृद्धि और मूल्यों में वृद्धि की संभावना को रोकने के लिये निरन्तर सतर्कता से काम लिया जाये जिस से हमारे समाजवादी समाज की स्थापना के संकल्प को धक्का पहुंच सकता है।"

इस पर दो संशोधन हैं। क्या माननीय सदस्य उन्हें प्रस्तुत कर रहे हैं।

†**श्री राम सेवक यादव** (बाराबंकी) : मैं अपना संशोधन संख्या १ प्रस्तुत करता हूं :

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** (नवादा) : मैं अपना संशोधन संख्या २ प्रस्तुत करता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** मूल संकल्प और संशोधन सभा के सामने प्रस्तुत हैं। माननीय सदस्य जो इस चर्चा में भाग लेना चाहते हैं ५ से ८ मिनट सकते है।

श्री रामेश्वर टांटिया (सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री भगवत झा आजाद ने जो प्रस्ताव रक्खा है उसके बारे में विरोध करने की कोई बात नहीं है। जहां तक मेरा ख़याल है शायद स्वतन्त्र पार्टी को छोड़ कर और सभी पार्टियों को उससे सहमति होगी।

आज अगर कंसनट्रेशन आफ पावर हो रहा है तो वह हमारी इस समाजवादी व्यवस्था के लिये उचित नहीं है। परन्तु जहां तक मैं समझता हूं मुझे यह कहना है कि सरकार का इस में कोई भी ऐसा हाथ नहीं है या सरकार की ऐसी कोई इच्छा नहीं है जिससे कंसनट्रेशन आफ पावर हो।

इनकमटैक्स के बारे में जो उन्होंने कहा तो मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि कंसनट्रेशन आफ़ पावर में रुपये की दरकार होती है, तो सरकार ने आमदनी पर काफ़ी टैक्स लगाया हुआ है। अगर किसी की आमदनी दो लाख रुपये है और उस के पास तीस लाख रुपये की सम्पत्ति है, नक़दी, मकान और जेवरात की शक्ल में इतनी सम्पत्ति है तो उस पर २ लाख १० हजार रुपये इनक्लूडिंग वेल्थ टैक्स, कर लगता है। इतना अधिक टैक्स के रहते कंसनट्रेशन आफ़ पावर तो नहीं हुआ।

इसी तरह से प्रस्तावक महोदय ने सुपर प्राफिट टैक्स का भी जिक्र किया। अब सुपर प्राफिट टैक्स के बारे में मुझे यह कहना है कि उस के कारण कंसनट्रेशन आफ़ पावर नहीं हो पाता है। आज जो कम्पनियां हैं वे केवल टाटा, बिड़ला या खटाऊ की ही नहीं है। लाखों शेयर होल्डरों की भी वह कम्पनियां है जिनमें कि रिटायर्ड लोग हैं, विधवाएं हैं ट्रस्ट्स हैं और बहुत से अन्य गरीब लोग भी उन के शेयरहोल्डर्स हैं और इस के रहते वहां पर भी कंसनट्रेशन आफ पावर का सवाल नहीं रहता है। अब सुपर प्राफ़िट टैक्स आदि को अगर और बढ़ाया जाता है तो ख़ाली मैनेजिंग डाइरेक्टर्स ही उससे ऐडवर्सली एफैक्टेड नहीं होंगे। उनको तो जो धक्का पहुंचेगा और नुक्सान होगा वह तो उसे सह

---

†मूल अंग्रेजी में

सकेंगे यह तो ठीक है परन्तु आप को यह नहीं भूलना चाहिये कि खाली मैनेजिंग डाइरैक्टर्स के इससे एफैक्टेड होने का सवाल नहीं है बल्कि दूसरे लाखों साधारण आदमी जिन्होंने कि अपनी थोड़ी थोड़ी पूंजी शेयर्स की शक्ल में इनवैस्ट की हुई है वे भी ऐडवर्सली एफैक्टेड होंगे।

और ज्यादा समय न लेते हुये केवल यही कहूंगा कि उन्होंने जो इनकमटैक्स या सुपर प्राफिट टैक्स के बारे में कहा है और कंसनट्रेशन आफ पावर को खत्म करने के लिये सरकार को कहा है तो जहां यह मेजर्स उन थोड़े मैनेजिंग डाईरेक्टर्स को एफैक्टेड करेंगे और वह उस धक्के और नुक्सान को बर्दाश्त भी कर लें। लेकिन इससे जो लाखों साधारण आदमियों पर असर पड़ेगा जो कि उन कम्पनियों के शेयरहोल्डर्स हैं, वे शायद इसको सह न सकेंगे।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** मैंने अपने संशोधन में सुझाव दिया है कि संसद सदस्यों की एक समिति नियुक्त की जाए जो योजना आयोग के साथ सम्पर्क कायम कर और उस सम्बन्ध में इस कार्यों का समय समय पर पुनर्विलोकन करे।

देश में विभिन्न वर्ग की आय में बहुत अन्तर और विषमता है। ज्यों ही मजदूरी में कोई वृद्धि होती है, उस के तुरन्त बाद ही मूल्य बढ़ जाते हैं और परिणामस्वरूप यह विषमता आती रहती है। सरकार को इस विषमता को दूर करने के लिये कड़ी कार्यवाही करनी चाहिये।

प्रतिशत आधार पर आय कर का लगाया जाना उचित नहीं है। इस से गरीबों पर अधिक बोझा पड़ता है। धनी लोगों पर कम भार पड़ता है।

मूल्यों पर नियन्त्रण रखा जाना चाहिये। मूल्यस्तर को स्थिर रखा जाए। जब मूल्य किसी एक स्तर से आगे बढ़ जाएं तो समभाजन का कोई तरीका और वितरण पर किसी प्रकार का नियन्त्रण होना चाहिये। मूल्यों का इस प्रकार से नियन्त्रण होना चाहिये कि उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों के हितों की रक्षा की जाए।

श्री रामसेवक यादव (बाराबांकी') : उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव मेरे मित्र, श्री भागवत झा आजाद ने रखा है, मैं उस का समर्थन करता हूं। लेकिन इस के साथ साथ मैं उन से एक तो यह निवेदन करूंगा कि मैं ने इस में जो संशोधन जोड़ा है, उसे भी वह स्वीकार करें और दूसरा निवेदन यह है कि वह अपने मूल प्रस्ताव को कायम रखें, उस को वापस न लें।

मेरे संशोधन का आशय यह है कि सरकारी नौकरों की तन्ख्वाहों में एक और दस का अनुपात रखा जाए और किसी की तन्ख्वाह सौ रुपये से कम न हो और एक हजार रुपये से ज्यादा न हो। मेरे संशोधन का दूसरा भाग यह है कि जितने बैंक्स और निजी उद्योग इस देश में हैं, उन सबका राष्ट्रीयकरण किया जाये। मेरे संशोधन का तीसरा भाग यह है कि एक निश्चित दाम-नीति अपनाई जाये जिस में यह खयाल रहे कि जो कम से कम आमदनी के लोग हैं, उन की आमदनी के हिसाब से जिन्दगी की जरूरी चीजों के दाम निश्चित किये जायें, ताकि वे अपनी जिन्दगी चला सकें। समाजवादी योजना मंत्री से मेरा निवेदन है कि वह मेरे संशोधन के साथ इस प्रस्ताव को स्वीकार करें और अपने समाजवादी विचारों का परिचय दें।

कांग्रेस ने समाजवादी समाज की रचना की घोषणा की और कांग्रेस के अन्दर श्री भागवत झा आजाद जैसे मित्र हैं, जो शायद इस समाजवाद के लिये लड़ते रहते हैं। और कुछ मंत्री भी हैं समाजवादी, लेकिन उन समाजवादी मंत्रियों से मेरी यह शिकायत है कि जब वे अपने आप को

---

†मूल अंग्रेजी में

समाजवादी कहते है, तो फिर वे किस तरह स सरकार की भाग की मशीन के पु बने हुए हैं और खुद उस का लाभ उठाते हैं।

मैंने इस प्रस्ताव को अच्छी तरह से पढ़ा है। मैंने पाया है कि उस में कोई कन्क्रीट सुझाव नहीं दिया गया है। मैंने प्रस्तावक महोदय के अच्छे भाषण और उन के द्वारा दिये गये आंकड़ों को भी सुना है। फिर जो दूसरे संशोधक महोदय बोले, मैं ने उनके भाषण को भी सुना। उन्होंने भी स प्रस्ताव की ताईद की, लेकिन उन्होंने इस दिशा में कोई सुझाव नहीं दिया कि यह गैर-बराबरी कैसे दूर होगी।

एक माननीय सदस्य : श्री टांटिया भी बोले हैं।

श्री राम सेवक यादव : मैंने श्री टांटिया का भाषण भी सुना। इस देश में बिड़ला जैसे पूंजीपति भी हैं जो कि बड़ी धार्मिक भावना के हैं, लेकिन वह किस तरह का गोल-माल रूबी और एशियाटिक इन्शोरेंस कम्पनीज़ में करते हैं, यह सामने आ गया है। उनका भाषण भी सुना। लेकिन जब तक कोई आपके ठोस कदम समाजवाद की ओर नहीं उठते हैं, तब तक आपका यह नारा केवल नारा मात्र बन कर ही रह जायेगा, गम काटने वाली चीज ही रह जाएगी और समाजवाद की स्थापना की ओर आप अग्रसर हैं, इसके लक्षण नज़र नहीं आयेंगे। इस वास्ते मैं चाहता हूं कि ठोस कदम समाजवाद की ओर उठाये जायें। मैंने सुझाव दिया है कि जो तनख्वाहें हैं उन में एक और दस से अधिक का अन्तर नहीं होना चाहिये। मैं सरकारी नौकरों की तनख्वाह की बात ही करता हूं। तनख्वाहों को आप अगर छोड़ दें और सुविधाओं को लें तो वह वैसी ही बात होगी जैसे "भेंडा मोट भवानी दूभर"। हमारा देश बहुत विचित्र है। तनख्वाहें तो जितनी हैं उतनी हैं ही लेकिन भत्तों के रूप में तनख्वाहों से भी ज्यादा रुपया लोगों को मिल जाता है। अगर किसी की २२५० रुपये तनख्वाह है तो इस से ज्यादा या इतना ही उसका भत्ता बन जाता है। जितने का ढोल नहीं होता उस से ज्यादा कीमत का मजीरा, यह कहावत यहां पर चरितार्थ होती है। मैं तनख्वाहों के बारे में कुछ मिसालें आपके सामने रखता हूं। १९५७–५९ में जो पे कमिशन बैठा था उस ने जो रिपोर्ट दी थी, उसके पेज ८०, पैरा ११ में दिया हुआ है कि यहां पर कितना अन्तर है और विदेशों में तनख्वाहों में कितना अन्तर है। यू० के० जिस की हम बहुत दुहाई देते हैं और जहां की पार्लियामेंटरी पद्धति की हम नकल भी करते हैं और जिसका शिकार मैं होने भी जा रहा हूं, उस की ही बात मैं करता हूं। इन तन्ख्वाहों के मामले में यू० के० की भी हम नकल नहीं करते हैं। वहां पर जो अन्तर है वह एक और पन्द्रह का है। यू० एस० ए०, जो कि घोरतम पूंजीवादी देश है वहां पर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े नौकर की तनख्वाह में जो अन्तर है, वह एक और पांच का है। कनाडा जो कि पूंजीवादी देश है, वहां पर एक और छः का अन्तर है। आस्ट्रेलिया में १ और १३.६ का अन्तर है। जापान जो कि पूंजीवाद के शिकंजे में है वहां पर १.४ और ७ का अन्तर है। हमारे यहां जो अन्तर है वह १ और २४ का है। कैसा यह समाजवाद है, इसको आप देखें। समाजवाद को अगर मूर्तमान करना है तो कम से कम यहां के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह में कोई तालमेल तो आप बिठायें, कोई रिश्ता तो कायम करें।

आपका ही यह नारा था कि सौ से कम और हजार से ज्यादा किसी को नहीं मिलना चाहिये। उसको भी आप चरितार्थ नहीं करते हैं। इसका मतलब यह है कि आपकी कथनी और करनी समान नहीं है। समाजवाद अगर आपको देख लेगा और उसको पता चल जाएगा कि

इतना बड़ा भारी अन्तर है, तो वह आपकी तस्वीर को देख कर ही भाग खड़ा हो जाएगा। हिन्दुस्तान संसार का सब से ज्यादा असमानतम देश है। छोटे और बड़े आदमी की तनख्वाह में यहां पर जमीन आसमान का अन्तर है। इतना भारी अन्तर और किसी देश में शायद ही होगा। इस फर्क को हमारे प्रधान मंत्री जी और मंत्रीगण अधिक बढ़ाते जाते हैं।

यहां पर मजदूर को क्या मिलता है ? आठ आने या बारह आने ही तो मिलते हैं। उसके मुकाबले में दूसरे लोगों को इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें दी जाएं, भत्ते दिये जायें, आराम दिया जाए, यह कौन सी सभ्यता कहती है। मैं समझता हूं कि इस से ज्यादा कोई दूसरा असभ्य काम नहीं हो सकता है। लेकिन यहां तो उलटा चोर कोतवाल को डांटे की कहावत ही चरितार्थ होती है। हमारे प्रधान मंत्री कहते हैं कि समाजवादी बड़े असभ्य हैं। एक तरफ तो लोग भूखे मरते हैं, बीमारी का शिकार होते हैं, मलेरिया का शिकार होते हैं, हैजा की बीमारी से मरते हैं और दूसरी तरफ इतने भारी खर्च हों और प्रधान मंत्री जी समाजवादियों को असभ्य बतायें और स्वयं सभ्यता के सब से बड़े ठेकेदार बनें, यह कहां तक न्यायसंगत है, यह मैं जानना चाहता हूं।

मैं माननीय भागवत झा आज़ाद से तथा सरकार से निवेदन करूंगा कि सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र के जो कारखाने हैं, ज़रा उन कारखानों की तरफ भी नज़र दौड़ानी चाहिये। अगर हम पूंजीपतियों को कोसते हैं और उनको कोसना भी चाहिये, तो हमारे जो सार्वजनिक कारखाने हैं, उनकी तरफ भी हमारी दृष्टि जानी जाहिये। मिसाल के तौर पर मैं रूरकेला के कारखाने को लेता हूं। सौभाग्य से प्रधान मंत्री जी इस वक्त यहां मौजूद हैं। वहां पर स्थिति यह है कि तीन हज़ार मजदूरों पर लगभग तीस लाख रुपया खर्च होता है और एक हज़ार अधिकारियों पर बीस लाख रुपया खर्च होता है। पूंजीपति शायद कम ठा से रहता हो, उन से जो अधिकारी इस कारखाने में काम करते हैं यहां पर अधिकारीगण ठंडे और गर्म मकानों में रहते हैं। अगर समाजवानी कारखानों में चीजों के दाम कम न हों, उनकी लागत कम न हो, उसका लाभ उपभोक्ता और पैदावार करने वाले को को न पहुंचे तो आखिर उस समाजवाद में और पूंजीवाद में क्या अन्तर रह जाएगा। तब सार्वजनिक क्षेत्र के कारखाने में और निजी क्षेत्र के कारखाने में कोई अन्तर नहीं रह जाएगा ।। रूरकेला में जो उत्पादन होता है, वह घट रहा है, यह माननीय सुब्रह्मण्यम साहब ने बताया था और इस पर चिन्ता प्रकट की थी। अब उसकी जांच भी होने वाली है ।

इसी तरह से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो माल वहां पर सरकारी कारखानों में तैयार होता है, उसके दामों पर भी कोई नियंत्रण नहीं है। पिम्परी में तपेदिक की सुइयां बनती हैं। वह सरकारी कारखाना है। प्रधान मंत्री जी उस के भी मालिक हैं। एक सुई दो तीन आने में पड़ती है लेकिन बाजार में वह बारह आने में मिलती है।

यह है सार्वजनिक क्षेत्र का नमूना ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब माननीय सदस्य खत्म करें।

श्री योगेन्द्र झा (मधुबनी) : ऐसे महत्वपूर्ण विषय के लिये तो ज्यादा समय मिलना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : यह नहीं हो सकता है ।

श्री राम सेवक यादव : हमारे योजना मंत्री जी समाजवादी हैं । समाजवादी होने के साथ साथ धर्म पर चलने वाले भी हैं साधू समाज में उनका बड़ा विश्वास है । भारत सेवक समाज जो कि भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, फिजूलखर्ची का अड्डा बना हुआ है, उस में भी वह हैं । ये जो शाही यतीमखाने बने हुए हैं, इनमें भी वे हैं । उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वे निश्चित दामनीति अपनायें और जिन्दगी की जरूरी चीजों के दाम निश्चित करें जिसमें लोगों की आमदनी का ध्यान रखें । कोरे भाषणों से दाम रुकने वाले नहीं हैं । मेरे और भागवत झा आज़ाद जी के दृष्टिकोण में इतना ही अन्तर है कि उन्होंने जो बातें कही हैं उनके निवारण के लिये कोई सुझाव नहीं दिये हैं और मैंने निश्चित सुझाव दिये हैं । उन्होंने कहा है कि गरीबी और अमीरी बढ़ रही है । मैं इससे सहमत हूं । धन शक्ति और सरकारी शक्ति जो दोनों ही एक ही हाथों में एकत्र हो रही हैं, उधर उनका ध्यान नहीं गया है । इसका कारण यह हो सकता है कि उस तरह के लोग आपके बीच में हैं जो धन शक्ति और सरकारी शक्ति पूंजीपतियों के हाथ मे एकत्र कर रहे हैं । मैं समझता हू कि जो तीन ठोस सुझाव मैंने दिये हैं, उन पर, अगर सरकार अमल करे, तो देश का भला हो सकता है । आज जब कि चीनी संकट हमारे सामने है, और ४४ करोड़ जनता का हमें सहयोग लेना है गरीबों का सहयोग लेना है, तो हमको इन तीन ठोस सुझावों को कार्यान्वित करना होगा और अगर ऐसा किया गया तो सही मानों में समाजवादी ढंग के समाज की रचना की बात जनता की भी समझ में आएगी और उस ओर हमारा कदम भी बढ़ेगा ।

मेरा प्रस्तावक महोदय से निवेदन है कि वह मेरे इस संशोधन को स्वीकार कर लें और साथ ही साथ अपने प्रस्ताव पर कायम रहें क्योंकि उन बैंचिज की तरफ से कोई ऐसा बढ़िया प्रस्ताव आता है तो हमेशा भय रहता है कि कहीं वापिस न ले लिया जाए ।

†**श्री कृ० चं० शर्मा** (सरधना) : भारत एक स्थिति में है जब कि इसे निर्णय करना है कि इसने आगे जाना है या भूतकाल की ओर जाना है ।

[श्री तिरुमल राव पीठासीन हुए]

समय आ गया है कि धनी लोगों के शोषण को समाप्त किया जाये । प्रत्येक व्यक्ति के विकास के लिए पूर्ण अवसर होने चाहिएं । जो धनी व्यक्ति अपने श्रमिकों के श्रम के कारण धन कमाते हैं और उन्हें किसी प्रकार की सुविधा भी देते हैं वे समाज के शत्रु हैं ।

समय आ गया है कि मामलों पर प्रगतिशील दृष्टि से देखा जाए । इन शब्दों के साथ मैं संकल्प का समर्थन करता हूं ।

†**श्री काशी राम गुप्त** (अलवर) : सरकार जो कराधान की नीति अपना रही है उस से ऐसा समाज नहीं बन सकता जिस में आर्थिक शक्ति का केन्द्रीकरण न हो । आय और आस्तियों पर सीमा होनी चाहिए ।

मन्त्रियों को चाहिए कि वे अपना व्यय कम करके लोगों के आगे उदाहरण कायम करें । इससे लोगों को भी मितव्ययता के लिए प्रोत्साहन मिलेगा । सरकारी कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों में आय की असमानता का अनुपात १ : १० से अधिक न हो । कम से कम वेतन १०० रुपये होना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कम आय वाले व्यक्तियों की आय बढ़ायी जानी चाहिए। अधिक आय वाले लोगों की आय कम की जानी चाहिए।

सामुदायिक विकास खण्ड योजना में इतनी प्रगति नहीं हुई है। कृषि उत्पादन में वृद्धि का न होना इसका कारण है। भूमि की सुरक्षा में विश्वास के न होने और जिला परिषदों और पंचायत समितियों में राजनीति के हस्तक्षेप से भी इस पर प्रभाव पड़ा है। जब तक हम राजनीति के हस्तक्षेप को नहीं दूर कर सकते, तब तक समाजवादी समाज की स्थापना नहीं हो सकती।

श्री विश्राम प्रसाद (लालगंज) : सभापति महोदय, मैं श्री भागवत झा आज़ाद द्वारा लाए गए प्रस्ताव का हृदय से समर्थन करता हूं, मगर साथ ही साथ डर रहा हूं कि हाउस के अन्दर एक कांसपिरेसी चल रही है और शायद उनको अपना प्रस्ताव वापस लेने को विवश किया जा रहा हो।

इससे पहले कि मैं इस प्रस्ताव पर कुछ कहूं, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आजादी मिलने से पहले के समय की ओर दिलाना चाहता हूं। उस वक्त कांग्रेसी कहा करते थे, और उस सिलसिले में महात्मा गांधी जी का नाम भी लिया जाता था, कि हम देश में राम राज्य कायम करेंगे और हर आदमी के लिए खाने की, रहने की, कपड़े की व्यवस्था की जाएगी। महात्मा गांधी ने शायद स्वयं कहा था कि मैं तो तब खुश होऊंगा जब कि इस देश का राष्ट्रपति झोंपड़ी के अन्दर रहेगा। मैं यह समझता हूं कि वे स्वप्न जो वे लोग उस समय देखा करते थे और वे वायदे जो उस समय किया करते थे उनको वे आज पावर में आ जाने के बाद भूल गए हैं। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि जिस वक्त इस देश को आजादी नहीं मिली थी उस वक्त इस देश में गरीब और अमीर में १०० और ११० का अन्तर था और आज यह बढ़ कर १ और ३२० हो गया है।

योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा) : पहले कितना था और अब कितना हो गया है ?

श्री विश्राम प्रसाद : पहले १ और ११० था जो कि अब बढ़ कर १ और ३२० हो गया है। आप कहिए कि ऐसा नहीं है।

आप कहते हैं कि हम देश में समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते हैं। लेकिन आज एक तरफ लोग खाने बिना मर रहे हैं, महुआ और गुबरहा अन्न खा रहे हैं और दूसरी तरफ लोग महलों में रह रहे हैं। क्या यही आपकी समाजवादी समाज व्यवस्था है ? एक तरफ लोग नंगे रह रहे हैं, उनके पास कपड़ा नहीं, रहने को जगह नहीं, दूसरी तरफ लोग मोटरों में और हवाई जहाजों में चल रहे हैं। क्या यही आपकी समाजवादी समाज व्यवस्था है ? एक तरफ लोगों को मिट्टी का तेल जलाने के लिए नहीं मिलता और दूसरी तरफ मिनिस्टरों के बंगलों में नौ नौ सौ और पांच पांच सौ की बिजली जलती है। क्या यही समाजवादी समाज व्यवस्था है ? एक तरफ अफसरों को तीन तीन हजार वेतन मिलता है और दूसरी तरफ उनके चपरासी को ३० रुपया यानी एक और सौ का अन्तर है, जब कि चपरासी के पांच बच्चे हैं और अफसर के दो ही बच्चे होंगे। चपरासी अपने बच्चों के लिए खाने का, कपड़े का, पढ़ाई का प्रबन्ध नहीं कर सकता। क्या यही आपकी समाजवादी समाज व्यवस्था है ?

आप कहते हैं कि नेशनल इनकम बढ़ी है, लेकिन वह गई कहां ? वह उनके पास गई जिनके हाथ में पैसा है जो कि पैसे का जाल फैलाकर गरीबों और कंज्यूमर्स को लूट रहे हैं। जब किसान के गल्ले के दाम बढ़ाने की बात कही जाती है तो सारी दुनिया चिल्लाने लग जाती है कि खाने की प्राइस बढ़ने लगी, लेकिन किसान तो अपना गल्ला सस्ता बेचता है मगर उसको अपने लिए मिट्टी का तेल, कपड़ा, दवा, कागज, पैंसिल महंगी खरीदनी पड़ती है। जितने भी आपने टैक्स लगाये हैं

वे अधिकतर किसानों और कंज्यूमर्स से वसूल होंगे । किसानों के पास इतना धन नहीं है कि वे बड़े बड़े पैम्फलेट मिनिस्टरों और मेम्बरों के कमरों में जाकर डा लें ताकि वह जाकर हाउस में बोल सकें कि किसानों पर बड़ा टैक्स लगा है । किसानों के पास इस तरह की कोई अपनी संस्था नहीं है जो उनकी आवाज को इस हाउस में पहुंचा सके । क्या यह सही नहीं है कि इस देश में ऐसे लोग हैं जिनकी आमदनी ७ और १० रुपये से कम है । क्या यह सही नहीं है कि इस देश में ६० प्रतिशत से अधिक ऐसे लोग हैं जिनकी आमदनी नेशनल इनकम की आधी के बराबर है । जब इस तरह की विषमता है और आप समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते हैं और चाहते हैं कि विषमता कम हो जाए और लोग खुशहाल रहें और हर आदमी के लिए रोटी, कपड़ा, खाना, रहने का स्थान, शिक्षा और चिकित्सा का इन्तिजाम हो, तो आपको सोचना होगा कि इसका क्या उपाय है कि देश में इक्वालिटी लाई जा सके । लेकिन आप इस तरफ ध्यान न दे कर बड़े मिल ओनर्स को मदद दे रहे हैं, आपने टाटा को बिना सूद के दस करोड़ रुपया दे दिया और उसने आपको १५ लाख इलेक्शन के लिए दे दिया । अगर आपकी ऐसी मनोवृत्ति रहेगी तो चाहे आप समाजवादी समाज व्यवस्था का स्लोगन भले ही लगाते रहें और कहते रहें कि देश में बराबरी हो जाए, लेकिन ऐसा सौ वर्ष में भी नहीं हो सकेगा । जब तक आपका इंटरेस्ट पूंजीपतियों के साथ रहेगा और ये लोग आपकी मदद से फायदा उठाते रहेंगे, तब तक आप चाहें कितना भी चाहे कि देश में बराबरी हो जाए, वह नहीं हो सकती । मुट्ठी भर लोग, चाहे वे पांच हों, १५ हों या १५०० हों, जब तक आपसे अपने पैसे के बल पर चाहे जैसा कानून बनवाते रहेंगे, और जब तक आप उनका साथ देते रहेंगे और उनका प्रभाव पड़ता रहेगा, तब तक देश में बराबरी नहीं आ सकती ।

इन शब्दों के साथ मैं कहता हूं कि श्री भागवत झा आज़ाद जो प्रस्ताव लाए हैं यह बहुत अच्छा है और इसको पास होना चाहिए ।

श्री म० ला० द्विवेदी : सभापति जी, मैं श्री भागवत झा आज़ाद के संकल्प का हृदय से समर्थन करता हूं जो उन्होंने सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया है ।

श्री भागवत झा आज़ाद ने मांग की है कि जहां पर प्रतिरक्षा के काम में किसी प्रकार की कमी न की जाए और मोर्चे पर शत्रु का सामना करने के लिए हर प्रकार के उपाय किए जाएं, वहां उन्होंने सरकार से यह मांग की है कि इस बात से चौकन्ना रहा जाए कि आर्थिक शक्ति कुछ जगहों पर केन्द्रित न हो बल्कि जनता में वितरित हो । धन का एक जगह एकत्रीकरण न हो । आमदनी में जो विषमताएं हैं उनको समाप्त किया जाए और बढ़ती हुई कीमतों को रोका जाए । साथ ही उनका कहना यह है कि जो सोशलिस्ट या समाजवादी ढांचा कायम करने का हमने इस सदन में संकल्प किया है उसे मनसा, वाचा, कर्मणा पूरा किया जाए ।

सभापति जी, मैं जहां इस बात को अच्छी तरह से समझता हूं कि हमारी सरकार के प्रयत्न इस दिशा में पूरे तौर से चालू हैं कि जो हमारी कल्पना है वह समाज में साकार हो और बढ़े और एक समाजवादी संसार हम बना सकें, लेकिन मैं देखता हूं कि हमारी घोषित नीतियों में और हमारे व्यवहार में कुछ अन्तर अवश्य है और यह अन्तर कैसा है इसका मैं उदाहरण देना चाहता हूं । प्रथम मैं यह कहता हूं कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् गरीब और अमीर की जो खाई है वह पट नहीं पाई है बल्कि बढ़ती जा रही है । हमने यह संकल्प लिया था अपने संविधान में कि हम सबको देश में समान अवसर उन्नति के लिए देंगे और समान काम के लिए समान वेतन और समान पारिश्रमिक देंगे, वहां आज यह हो रहा है कि गरीब की गरीबी नहीं मिट रही है, लेकिन अमीर की अमीरी बढ़ रही है ।

एक माननीय सदस्य : अमीर तो गरीबों को नौकर रखते हैं ।

श्री म० ला० द्विवेदी: यही तो मैं कह रहा हूं कि अमीरों की अमीरी बढ़ रही है और विषमता बढ़ रही है । आप उदाहरण के लिए तनखाहों को ले लीजिए । हमारे देश में शिक्षक को, जो कि आज समाज की ५० प्रतिशत जनता का गुरु है, तीस और चालीस रुपये मासिक वेतन मिलता है, लेकिन जो लोग क्लर्की के आधार पर काम करने का दावा करते हैं और उनकी लिखा पढ़ी के ऊपर अफसरी चलाते हैं, उनकी तनख्वाह तीन तीन हजार रुपये से भी ऊपर है । तो समाजवाद का ढांचा कहां दृढ़ हुआ ? हमने कई बार प्रार्थना की नन्दा जी से और सरकार से भी निवेदन किया कि न्यूनतम और अधिकतम वेतन क्रमों को निर्धारित किया जाए, लेकिन इस मामले में हमारी सरकार कोई चेतना प्रकट नहीं कर रही। जब तक हम न्यूनतम और अधिकतम वेतन निर्धारित नहीं करेंगे, ये विषमतायें बढ़ती ही जाएंगी, घटेंगी नहीं कारण कि इनके कारण देश में वैस्टेड इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं जो कि केवल अपना ही हित देखते हैं और देश में जो दीन, निर्धन, गरीब और विषमताग्रस्त लोग हैं उनकी अच्छाई देखना पसन्द नहीं करते । अब आप देखिये कि शहरों में आमदनी बढ़ाई जा रही है । शहरों के हर प्रकार के वर्ग की आमदनी बढ़ाई जा रही है लेकिन ग्रामीण जनता की आमदनी किसी प्रकार से भी नहीं बढ़ती है । मिनिमम वेजेज़ के जो भी कानून बने हैं वे केवल शहरों में काम करने वाले और मिलों में काम करने वाले लोगों के लिए ही होते हैं । उनके वेतनों के लिए एक सीमा निर्धारित की हुई है कि इससे कम उन्हें नहीं दिया जायेगा लेकिन इसके विपरीत जो खेतिहर मज़दूर हैं, कृषि कार्य में लगे हुए हैं उनकी मज़दूरी की सीमा निर्धारित नहीं की है । मिनिमम वेजेज़ ऐक्ट में एग्रीकल्चरल लेबरर्स के लिए निम्नतम मजदूरी की कोई सीमा नियत नहीं की गई है । ग्रामीण संसार में जो लोग रहते हैं उनके बारे में कोई चिन्ता नहीं की जाती है लेकिन चूंकि शहरों के लोग ज्यादा वोकल होते हैं, शोर कर सकते हैं इसलिए उधर सरकार का ध्यान चला जाता है । शहरों के प्रतिनिधि भी जो संसद् में आते हैं वे शहरों के वास्ते शोर करते हैं । दुर्भाग्य इस बात का है कि १५ प्रतिशत शहरों की आबादी के मंत्री भी अधिक होते हैं इसलिए वे शहरों की बात ज्यादा करते हैं और देहातों की बात वे भूल जाते हैं और इस तरह से वे उपेक्षित रह जाते हैं । इस देश की ८०–८५ फी सदी जनता जोकि देहातों में बसती है, जिनके कि आधार पर यह सरकार बनती है, जिन पर कि सारा दारोमदार निर्भर है और जो कि आधार स्तम्भ होते हैं और जिनके कि बलबूते पर हमने स्वतन्त्रता हासिल की थी, वे उसी तरह उपेक्षित रह जाते हैं ।

आप देखिये कि आज क्या कारण है कि गांवों से लोग शहरों की तरफ़ भाग रहे हैं । गांव में खेती बाड़ी के काम से जितना उनको मिल पाता है उससे कहीं ज्यादा वे शहरों में कारखानों आदि में काम करके कमा सकते हैं । अगर कृषि कार्य में से गांव में किसी व्यक्ति को २० रुपया मासिक भी आय होती है तो वही व्यक्ति शहर में नौकरी आदि करके आसानी से ६० या ८०–८५ रुपये महीना कमा सकता है । यह विषमतायें आज तेजी से बढ़ रही हैं जिनकी कि ओर अभी तक हम नहीं देख पा रहे हैं । मेरा कहना यह है कि सरकार शहरों के लोगों की आय को बढ़ाने के प्रयत्न में लगी हुई है । शहरों में सारे विकास कार्य कर रही है और देहातों को ऊंचा उठाने और उनकी आर्थिक अवस्था बेहतर बनाने की ओर ध्यान नहीं दे रही है । इस प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य यह है कि इन विषमताओं को हम दूर करें ।

इसके अतिरिक्त आपको यह भी नहीं भूलना चाहिए कि आज इमरजेंसी चल रही है । देश की बाह्य आक्रमणों से रक्षा करने का सवाल दरपेश है । भारत की स्वतन्त्रता की रक्षा करने के लिए यदि युद्ध होता है तो शहरों के लोग कम लड़ने जायेंगे और देहातों के लोग कहीं ज्यादा

[श्री म० ला० द्विवेदी]

तादाद में लड़ने जायेंगे। सारा दारोमदार देहाती जनता के ऊपर है। सुरक्षा कोष में भी जो रकमें आ रही हैं उस में भी देहातों के लोग शहर वालों की अपेक्षा कहीं अधिक खुले दिल से अपना योग दे रहे हैं।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अब समाप्त करें।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं एक मिनट के अन्दर ही समाप्त किये देता हूं।

जहां तक खाद्यान्नों के मूल्यों का सवाल है मैं कह सकता हूं कि गेहूं आदि अनाज का जहां पहले १० रुपया प्रति मन भाव होता था अब भी उसका भाव १४ या १५ रुपये प्रति मन से अधिक नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि अनाजों के मूल्यों में केवल ५० प्रतिशत की ही वृद्धि हुई है। लेकिन किसानों और ग्रामीण जनता के रोजमर्रा में आने वाली आवश्यक चीजों का जहां तक सवाल है उनमें पहले के मुकाबले ४०० प्रतिशत से लेकर १००० प्रतिशत से भी ज्यादा उनके मूल्यों में वृद्धि हुई है। इसका अर्थ यह हुआ कि ग्रामीण जनता के काम में आने वाली आवश्यक वस्तुओं के दामों में कृषि पदार्थों के मुकाबले कहीं ज्यादा वृद्धि हुई है। अगर कृषि पदार्थों के दामों को गिराये जाने की ओर ध्यान नहीं है तो यह भी भूलना नहीं चाहिए कि वे अधिक बड़े भी नहीं हैं। ऐसी स्थिति में ग्रामीण जीवन अस्तव्यस्त हो रहा है। उसका स्तर ऊंचा नहीं उठ रहा है। सुरक्षा के कामों में आपको ३०–३५ करोड़ ग्रामीण जनता का सहयोग जिस तरह से मिलना चाहिए था वह उनकी आर्थिक अवस्था आदि के कारण मिल नहीं पा रहा है। जैसा मैंने पहले कहा देश की सुरक्षा का दारोमदार इस ८०–८५ फ़ी सदी जनता पर ही है और उनके साथ आज जो उपेक्षा बरती जा रही है और केवल ८ या ९ करोड़ लोगों की ओर ध्यान दिया जा रहा है यह ठीक चीज़ नहीं हो रही है। अगर आप उस ३०–३५ करोड़ जनता का आर्थिक स्तर ऊंचा करेंगे तो आपके सुरक्षा कोष में उनका और अधिक योग हो सकेगा। उसी दशा में हमारे देश का कल्याण होगा और वह बलवान व समृद्ध हो सकेगा। इन शब्दों के साथ मैं श्री भागवत झा आजाद प्रस्ताव का पूरी तरह समर्थन करता हूं।

†**श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा** (आनन्द) : मैं श्री भागवत झा आजाद की यह भ्रांति दूर कर देना चाहता हूं कि मेरा पूंजीपतियों से गठबन्धन है मेरी शिक्षा हेराल्ड लॉस्की के अधीन हुई है और मैं गांधी जी के समाजवाद के सिद्धान्त पर विश्वास करता हूं।

मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि मेरी आय ५०० रु० से अधिक नहीं है। यह कहना गलत है कि उद्योगपतियों और पूंजीपतियों का पक्ष लेते हैं, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि मैं इस संकल्प का विरोधी नहीं हूं। मैं इसका समर्थन करता हूं तथापि मेरा सुझाव है कि समाजवादी समाज के स्थान पर यह गांधीवादी समाज रख दिया जाये।

मैं चाहता हूं कि देश में स्वतन्त्रता रहे किसी प्रकार का बल प्रयोग न हो। मेरे विचार से इसके लिये गांधीवादी सिद्धान्त ठीक रहेगा।

†**श्री पें० वेंकट सुब्बैया** (धडोनी) : मैं यह बताना चाहता हूं कि गरीबी फैलाने से समाजवाद नहीं आ सकता है। इसके लिये अभावग्रस्त जनता की कठिनाइयां दूर करने का प्रयत्न किया जायेगा। अतः हमें यह कोशिश करनी चाहिये कि सम्पत्ति का अथवा राजनैतिक शक्ति का केन्द्रीयकरण नहीं किया जाना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

कई विरोधी सदस्यों ने यह आरोप लगाया है कि पूंजी तथा शक्ति का यह केन्द्रीकरण कांग्रेस प्रशासन का ही परिणाम है ।

हमने इस बात का प्रयत्न किया कि जमींदारियां समाप्त की जायें तथा रियासतें समाप्त की जायें साथ साथ हमने भूमि की अधिकतम सीमा भी निश्चित कर दी । तथापि भूमि सुधार की नीति सफल नहीं रही । इसका कारण यह हुआ कि हमने कई बड़े जमींदारों या राजाओं को जिनके पास हजारों एकड़ जमीन थी भूमि की अधिकतम सीमा से मुक्ति दे दी । मेरा यह सुझाव है कि इसके लिये हमें योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना चाहिये ।

अन्त में मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं कि यह संकल्प बहुत अच्छा है । तथा इस पर सभी पहलुओं से विचार किया जाय । योजना मंत्री समाजवाद के पक्के समर्थक हैं । मैं आशा करता हूं कि इस संकल्प पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे ।

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नंदा) :** मैं प्रस्तावक महोदय को यह संकल्प सभा में प्रस्तुत करने के लिये धन्यवाद देता हूं । यह ऐसा विषय है कि जिस पर वर्तमान स्थिति में बार बार विचार किया जा सकता है । संकल्प में जिस उद्देश्य पर चर्चा की गई है वह कोई नया विषय नहीं है । भारत के संविधान में भी यह उद्देश्य निहित किया गया है तथा सरकार की नीतियों से भी यही आभास मिलता है । तथापि हमें यह देखना है कि हमने इस दिशा में कितनी प्रगति की है ।

किसी भी देश में जब आपात स्थिति उत्पन्न होती है तो थोड़े ही समय में सहकारी व्यय कई गुना बढ़ जाता है । क्योंकि राष्ट्र की सुरक्षा और प्रतिरक्षा के लिये कई कार्य करने होते हैं । तथापि यह स्वीकार करना होगा कि इससे मुनाफाखोरी और माल जमा करने के भी कई मौके सामने आते हैं । अतः ऐसे मौकों पर सम्पत्ति के केन्द्रीकरण की बहुत संभावना रहती है । अतः इस बात को देखते हुए हमें निरन्तर सतर्क रहने की आवश्यकता है क्योंकि अभी खतरा नहीं टला है ।

इस सम्बन्ध में हमारा पुराना अनुभव यह है कि १९४५-४६ में सरकारी व्यय १९३९–४० की अपेक्षा १६ गुना हो गया था । द्वितीय महायुद्ध में घाटे की अर्थव्यवस्था को अपनाने के कारण कीमतों के भाव में काफी वृद्धि हो गई थी फल यह हुआ कि थोक वस्तुओं के देशनांक में तीन गुनी वृद्धि हो गयी थी और इसका आघात निम्न मध्यम वर्गों और निश्चित वेतन वर्गों के कर्मचारियों पर पड़ा ।

इस समय जब कि देश को खतरे का सामना करना है, देश को अजेय बनाने के लिने हमें काफी व्यय करना होगा । अतः इस समय भी वही स्थिति पैदा हो सकती है जो पिछले महायुद्ध में पैदा हुई थी ।

ठीक यही बात तब लागू होती है जबकि एक अविकसित देश विकास का स्तर प्राप्त करना चाहता है । उसका मार्ग खतरों से भरा रहता है । विशेषतः जहां मुक्त व्यापार की छूट होती है वहां बड़ी पूंजी वालों को मुनाफा कमाने के बहुत अवसर रहते हैं ।

मैं गांधीवादी समाजवाद के सम्बन्ध में दो शब्द कहना चाहता हूं । गांधीवादी समाजवाद, विशुद्ध समाजवाद से भिन्न है ।

द्वितीय युद्ध में जो कुछ हुआ था वह इस प्रकार है, १९३८–३९ के आंकड़े इस प्रकार है : कि कुल आय का ३९ प्रतिशत ६७ प्रतिशत व्यक्तियों से प्राप्त होता था जबकि

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नन्दा]

६ प्रतिशत व्यक्तियों से ०.६ प्रतिशत आय होती थी। १९४३–४४ में ६४ प्रतिशत आयकरदाताओं की आय कुल आय का केवल १७ प्रतिशत है। जब कि ०.६ प्रतिशत ३७ प्रतिशत आय के लिये जिम्मेदार हैं। इससे स्थिति स्पष्ट हो जाती है। अतः हमें चाहिये कि हम स्थिति से बहुत सावधान रहें।

इसे रोकने के लिये कई साधन अपनाये गये हैं। उत्पादन और वितरण का विनियमन, वित्तीय तरीके तथा सहकारी पद्धति इत्यादि। तथापि मैं इन बातों पर विस्तार से नहीं जा सकता हूं।

इन बातों से एक बात बहुत साफ है और यह हमारा उद्देश्य भी है कि उत्पादन पर्याप्त होना चाहिये।

संभव है कि हमारे देश में भी कुछ थोड़े लोगों को छोड़ कर बाकी लोगों की आय उनकी आय तथा अन्य व्यक्तियों की आय की कोई तुलना नहीं हो सकती है। इस समय भी देश की वर्तमान अवस्था यह है कि ६० प्रतिशत जनता की प्रति व्यक्ति खपत २५ रु० महीने से भी कम है।

अतः एक ओर तो हमें आप के इस वैषम्य को दूर करना है दूसरे हमें अपनी राष्ट्रीय सम्पत्ति को भी वृद्धि करनी है। क्योंकि यदि अधिकांश जनता की न्यूनतम आवश्यकतायें भी पूरी नहीं होंगी तो वे हमारे बारे में क्या सोचेंगे। वे हमें कभी क्षमा नहीं करेंगे। अतः हमारा उद्देश्य यह होना चाहिये कि हम एक ओर उत्पादन में वृद्धि करें और दूसरी ओर सम्पत्ति का केन्द्रीयकरण न होने देवें।

कांग्रेस सरकार ने धन, आय और आर्थिक शक्ति को केन्द्रित होने से रोकने के लिये कई साधन अपनाये हैं। इस संबंध में कि ये साधन किस प्रकार कार्य कर रहे हैं विभिन्न राय हो सकती है। एक माननीय सदस्य ने यह कहा है कि सरकारी क्षेत्र को कीमतें कम रखना चाहिये। मेरे विचार से उन्हें अवश्य मुनाफा कमाना चाहिये। अन्यथा वे आगे किस प्रकार विनियोग कर सकेंगे। सरकार के पास इतने संसाधन होने चाहियें कि भविष्य में विनियोग को कोई आघात नहीं हो।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

किसी एक तरीके की अच्छाई और बुराई के बारे में कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और भी कई तरकीबें अपनायी गयीं, यद्यपि उनमें से बहुत सी प्रभावहीन सिद्ध हुईं। उदाहरणार्थ भूमि सुधार प्रभावशक्ति सिद्ध नहीं हुए। यद्यपि हम भूमि सुधार संबंधी विधान को लेकर आगें बढ़ना चाहते थे तथापि कई सामाजिक और आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इनका सामना केवल विधान बना कर नहीं किया जा सकता था। इसके लिये समाज में सामानान्तर परिवर्तनों की आवश्यकता होती है अन्यथा कभी कभी समाज पर इसका कुप्रभाव भी पड़ता है।

तथापि भूमि सुधारों में भी हमने प्रसंशनीय कार्य किया है। सभी किसानों को उनकी भूमि पर सुरक्षा प्रदान की गयी है। जमींदारी प्रथा समाप्त हो गयी है। भूमि की अधिकतम सीमा के अमल में उत्तरोत्तर प्रगति की जा रही है।

जहां तक नागरिक जनता का प्रश्न है उन्हें भी आप मुनाफाखोरी करने की स्वतंत्रता नहीं दे सकते हैं।

अब मैं अर्थ व्यवस्था की रूपरेखा को लेता हूं । हमें करोड़ों व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार करने के स्वप्न को सार्थक करना है । यदि माननीय सदस्य के पास कोई ऐसी योजना हो जिससे यह उद्देश्य पूरा हो और उत्पादन पर भी आघात न हो तो मैं उसे स्वीकार करने को तैयार हूं । हम इससे भी कहीं आगे जाने को तैयार हैं केवल देश के आर्थिक और राजनैतिक स्थायित्व पर आघात नहीं होना चाहिये ।

अब मैं नियंत्रण का प्रश्न लेता हूं । नियंत्रण अच्छी चीज़ नहीं है । मैं जनता पर बल प्रयोग के पक्ष में नहीं हूं । तथापि गांधीवादी समाज में कैसे परिणाम प्राप्त होंगे । नियंत्रण का अर्थ यह है कि अर्थ व्यवस्था तथा उत्पादन व्यवस्था को अपनी इच्छानुसार चलायें । वस्तुतः विनियमन ऐसे होने चाहियें कि वे घातक न हों ।

माननीय सदस्य उद्योगों पर लायसेंस लगाने संबंधी नियंत्रण पर आपत्ति करते हैं ;

†**श्री प्र० के० देव** : सभी नियंत्रण ।

†**श्री नन्दा** : इस का अर्थ तो यह है कि इसको गांधियन अर्थ-व्यवस्था से बिल्कुल सदृशता नहीं है । जिस देश में लोकतंत्र और चुनाव हैं और जहां की जनता में अधिकारों के लिये जागरूकता उत्पन्न की जा रही है, यदि गरीबी और बेकारी रहे तो वहां नियंत्रण अथवा अनियंत्रण का प्रश्न नहीं बल्कि जनता के लिये स्वतंत्रता बनाये रखने का प्रश्न बन जायगा । प्रश्न तो इतना है कि क्या शांत और निर्बाध रूप से प्रगति करना सम्भव है अथवा क्या क्रांति शांतिपूर्ण ढंग से होनी चाहिये या किसी अन्य ढंग से । यदि कोई सोचता है कि उद्देश्य की प्राप्ति के लिये कोई अधिक उचित मार्ग है तो उस पर विचार किया जा सकता है, परन्तु हम नहीं चाहते कि आवश्यकता न होने पर भी नियंत्रण लागू किये जायें । यदि नियंत्रण नहीं लागू किये जाते तो मुनाफाखोरी और धन के केन्द्रित होने की मात्रा की कल्पना नहीं की जा सकती, अतः ऐसा करना प्रस्तुत संकल्प के दृष्टिकोण से पूर्णतः विपरीत होगा ।

संकल्प काफी विशाल है, हम इस बात को स्वीकार करते हैं और बहुत से वक्ताओं ने इसका समर्थन भी किया है । विपक्ष में बोलने वाले वक्ताओं का विरोध भी "समाजवाद" शब्द के लिये है । वह हमारे द्वारा आरम्भ किये गये समाजवाद के विचार की बजाय गांधीवाद को लाना चाहते हैं जो अधिक दूरव्यापी और मौलिक है ।

हमें इस बात को देखना है कि क्या गत कुछ वर्षों में स्थिति काफी बिगड़ी है ? मैं इस प्रश्न का उत्तर आंकड़े प्रस्तुत कर के सीधे तौर पर नहीं दूंगा । ऐसी सूचना इस समय मेरे पास है भी नहीं । मेरे विचार में महालानोबीस समिति भी इसका उत्तर इस प्रकार स्पष्ट रूप में नहीं दे सकेगी । गत कुछ वर्षों में जो परिवर्तन हुए हैं उनकी तुलना करना और उन पर ध्यान देना स्थिति को जांचने का युक्तियुक्त तरीका नहीं है । इसका अर्थ यह है कि आरम्भिक अवस्था में, जब कि योजनाओं द्वारा विकास का क्रम शुरू हुआ था, इतना अधिक धन एक वर्गविशेष के पास केन्द्रित था और इतनी असमानता पाई जाती थी कि थोड़े से इधर या उधर होने वाले किसी परिवर्तन का आभास मिलना कठिन है । आप उस परिवर्तन को काफी स्पष्ट रूप में नहीं देख सकेंगे । यह संभव है कि महालानोबीस प्रतिवेदन से यह मालूम हो कि स्थिति में कुछ बिगाड़ हुआ है जिसके लिये कोई चारा नहीं था क्योंकि हमारा उद्देश्य यह था कि विकास निर्बाध रूप से होता रहे । हमारी ओर

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नन्दा]

से सावधानी बरते जाने पर भी किसी हद तक स्थिति में बिगाड़ हुआ । परन्तु सावधानी के बगैर स्थिति शायद बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई होती । यहां आकड़ा दे कर बताया गया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् देश में उच्चतम तथा निम्नतम आय का अनुपात किस सीमा तक चला गया है । मैं उस आंकड़े को स्वीकार नहीं करता क्योंकि जहां तक मैं ने देखा है इस प्रकार के अनुपात विद्यमान नहीं हैं । किन्तु बहुत सी दिशाओं में हम लोगों की कठिनाइयों को कम करने में बहुत हद तक सफल रहे हैं । १९५०–५१ में शिक्षा पर राज्यों तथा केन्द्र द्वारा सम्मिलित रूप से लगभग ६१ करोड़ रुपया राजस्व में से व्यय किया गया था जब कि १९६१–६२ में यह बढ़ कर लगभग २६३ करोड़ हो गया । स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय लगभग २८ करोड़ से बढ़ कर १०१ करोड़ हो गया । अन्य कई दिशाओं में सार्वजनिक व्यय के जरिये इस से भी अधिक कार्य किया जा रहा है । हम करारोपणों ऋणों आदि का प्रयोग बहुप से लोगों के लिये अधिक सामाजिक सेवा की सुविधायें उपलब्ध करने के लिये कर रहे हैं । यदि कपड़े अथवा खाद्यान्न की खपत बढ़ गई है तो वह कहां जा रहा है ? केवल धनी लोग तो इसका उपभोग एक सीमा से परे नहीं कर सकते ।

†**श्री काशी राम गुप्त** : परियोजना संबंधी मूल्यांकन समिति ने स्पष्ट रूप से कहा है कि निम्नतर वर्ग के लोगों को लाभ नहीं पहुंचा ।

†**श्री नन्दा** : मैं इस बात से सहमत हूं कि बहुत सी बातों को हम नापसन्द करते हैं । समाज का ढांचा ही ऐसा है कि अब भी धनी लोग और सामाजिक प्रभाव रखने वाले लोग एक विशेष स्थान रखते हैं और वह हमारे सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों की ओर बढ़ने के प्रयत्नों में बाधक हो सकते हैं । किन्तु साथ ही साथ ऐसी प्रवृत्तियों को विफल बनाने का हम प्रयत्न कर रहे हैं । उदाहरणार्थ, माननीय सदस्य ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को उपलब्ध ऋण सुविताओं का लाभ नहीं हुआ । मैं इस बात को मानता हूं । हम एक अन्य उपचार कर रहे हैं । ऋण प्राप्त करने की योग्यता के प्रश्न को अब एक भिन्न दृष्टिकोण से देखा जायगा । वह लोग जिन्हें साधारण तौर पर ऋण प्राप्त करने योग्य नहीं समझा जाता था उन्हें ऋण दिये जायेंगे और यदि उन में से किन्हीं ने ऋण अदा न किये, तो हम उस बारे में भी, जोखिम से बचने के लिये, उपबन्ध कर रहे हैं । हम सुविधाजनक उपायों का प्रयोग करते रहे हैं और ऐसे और उपायों का हम प्रयोग करने के लिये तैयार हैं ।

इन वर्षों में हो सकता है कि जिस दशा में हम बढ़े उसमें हमें पूर्ण सफलता प्राप्त न हुई हो, किन्तु मुख्य बात यह है कि आरम्भिक अवस्था में, जहां से हम चले थे, अधिक मात्रा में धन केन्द्रित था । ६०, ७० अथवा ९० प्रतिशत में कुछ ही लोगों के पास धन केन्द्रित था, अतः उन की तुलना करना सारहीन है ।

इस संकल्प के माननीय प्रस्तुतकर्ता समवायों में शेयरों के एक वर्ग के पास होने संबंधी आंकड़े दे कर जिस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहते हैं उसकी महत्ता उतनी नहीं है । स्वभावतः यदि उत्पादन बढ़ता है तो अंशधारिता भी बढ़ेगी, परिदत्त पूंजी, आदि, भी बढ़ेंगे । उन्होंने यह बताया है कि समवायों की संख्या कम हो गई है । यदि दो, तीन संख्या होती तो और बात थी, किन्तु यदि सैंकड़ों की संख्या है तो इसका यह अर्थ है कि

†मूल अंग्रेजी में

इन वर्षों में एक सार्थ का आम परिमाण बढ़ाया जा रहा है जो कि एक अच्छी बात है, चाहे यह निजी क्षेत्र में हो चाहे सरकारी क्षेत्र में, जब तक कि काफी संख्या में समवाय रहते हैं ताकि उचित प्रतियोगिता भी रहे और एकाधिपत्य की प्रवृत्ति न बढ़ने पाये । यहां एक पहलू उत्पादन मशीनरी में एकाधिपत्य का है, और दूसरा पहलू वित्तीय एकाधिपत्य का। समवाय आंकड़ों से आप एकाधिपत्य का अन्दाजा नहीं लगा सकते, आपको इस मामले पर अधिक गहरी नजर डालनी चाहिए । हो सकता है कि कई समवाय हों जिनमें आप संकेन्द्रण न पायें, परन्तु अन्त में आप उन्हें भी कुछ व्यक्तियों में हाथों में ही पायेंगे । ऐसा बेशक है, कि अर्थ शक्ति का संकेन्द्रण आप को मिलेगा ही, परन्तु सीधे उत्पादन मशीनरी में नहीं मिलेगा । इस प्रकार बेशक इनमें वृद्धि हुई हो । ऐसा प्रतीत होता है कि गत कुछ वर्षों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हो पाये हैं । यदि इस बारे में कोई अन्य अनुसन्धान किये गये हों तो अलग बात है ।

मैं एक बात और कहना चाहूंगा जो चाहे बहुत सुसंगत न हो किन्तु जिसकी चर्चा माननीय सदस्य द्वारा की गई कि कुछ संस्थाओं के साथ मेरा संबंध है । मैं इस विषय पर कुछ कहने का अवसर प्राप्त करना चाहूंगा ताकि कुछ संस्थाओं के कृत्यों की चर्चा कर के मैं आप के दिलों से संकायें दूर कर सकूं । यदि उन में कोई बुराई पाई जाये तो मेरा विचार है कि उसे ठीक किया जाय और उस का प्रचार किया जाय । परन्तु यदि वह संस्थायें सामाजिक उद्देश्य के लिये लाभदायक हों और यदि उन से जनसमुदाय की सहायता होती हो तो इस ओर अधिक ध्यान दे कर हमें अपना ही नुक्सान नहीं करना चाहिए । मैं यह सिद्ध कर सकूंगा कि स्वच्छिक संगठनों से जिस प्रकार समस्त समुदाय ने लाभ उठाया है यह किन्हीं अन्य किये जा सकने वाले उपायों से तुलना में अधिक है। इसकी चर्चा मैं किसी अन्य अवसर पर करूंगा । किन्तु मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि उच्चतम और निम्नतम में कोई उचित, युक्तियुक्त अनुपात होना चाहिए । हम ने यही विचार योजना बनाते हुए भी सम्मुख रखा है । जहां तक प्रशासन का संबंध है, यह कहना कि सरकारी क्षेत्र में असमानता बढ़ गई है, कि सरकारी क्षेत्र वाले लोग बहुत कुछ पा रहे हैं, गलत है । सच यह है कि सरकारी क्षेत्र से लोग निजी क्षेत्र में जा रहे हैं क्योंकि निजी क्षेत्र की तुलना में सरकारी क्षेत्र में वेतन अधिक नहीं है । यह मिश्रित अर्थव्यवस्था के परिणाम हैं जिनसे आप बच नहीं सकते । मिश्रित अर्थ व्यवस्था को हमें अन्य कुछ कारणों से, जिनका वर्णन मैं कर चुका हूं, त्यागना नहीं है ।

आय तो बढ़ी है, किन्तु निम्न श्रेणी के लोगों की तुलना में प्रशासन के उच्च श्रेणी के लोगों के धन की क्रय शक्ति उतनी नहीं रही है जितनी कि पूर्व में थी । अब भी मैं स्वीकार करता हूं कि असमानता बहुत पाई जाती है और कि अन्य मेरे द्वारा उल्लिखित लक्ष्यों के साथ हमें इस असमानता को कम करने के लिये पग उठाने चाहिएं । मुझे आशा है कि इस संकल्प में दिये गये उद्देश्यों के अनुसार ही हम अधिक से अधिक उन्नति कर के दिखायेंगे ।

मैं इस बात को आवश्यक नहीं समझता कि मैं माननीय सदस्य से कहूं कि मैं इस संकल्प को स्वीकार करता हूं क्योंकि इसे स्वीकार करने की आवश्यकता ही नहीं है ।

मैंने बताया है कि हमारे लक्ष्य एक से हैं और हम इस की ओर अग्रसर हैं तथा ठोस सुझाव भी लिये जा रहे हैं । इसलिये जो कारण मैं ने दिये हैं उनकी वजह से न तो इस संकल्प को और न ही संशोधन को स्वीकार करना आवश्यक है ।

†**श्री भागवत झा आजाद :** मेरे संकल्प का उद्देश्य इस बात की ओर देश तथा इस सभा का ध्यान आकर्षित करना था कि आपात का नाम ले कर कुछ व्यक्तियों द्वारा गलत बातें न की जायें । माननीय मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह इस बारे में सतर्क रहेंगे ; और यह भी कि असमानता को कम करने का प्रयत्न किया जायेगा । इसलिये मैं चाहता हूं कि मुझे अपने संकल्प को वापिस लेने की अनुमति दी जाय ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** क्या माननीय सदस्य, श्री यादव, चाहते हैं कि उन का संशोधन सभा के मतदान के लिये रखा जाय ?

†**श्री राम सेवक यादव :** जी हां ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १ सभा के मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** मैं सभा की अनुमति से अपना संशोधन वापिस लेना चाहता हूं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** क्या माननीय सदस्य को अपना संशोधन वापिस लेने के लिये सभा अनुमति देती है ?

†**कुछ माननीय सदस्य :** जी हां ।

संशोधन संख्या २, सभा की अनुमति से, वापिस लिया गया ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** क्या माननीय सदस्य, श्री भागवत झा आजाद, को अपना संकल्प वापिस लेने के लिये सभा अनुमति देती है ?

†**कुछ माननीय सदस्य :** जी हां ।

संकल्प, सभा की अनुमति से वापिस लिया गया ।

क्षेत्रों के विकास में विषमता के बारे में संकल्प

†**श्री प्र० के० देव** (कालाहांडी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

> "यह सभा सरकार से अनुरोध करती है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों के विकास में विषमता के प्रश्न की जांच करने और इस प्रकार की बढ़ती हुई विषमता को कम करने के मार्गोपायों का सुझाव देने के लिये संसद् की दोनों सभाओं के सदस्यों की एक समिति नियुक्त की जाये ।"

यह एक सीधासादा संकल्प जो सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया जाना चाहिए क्योंकि सरकार स्वयं इस सिद्धान्त पर चलती है कि विभिन्न क्षेत्रों के विकास में विषमता समाप्त हो ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अंग्रेजों ने भारत का विकास एक उपनिवेश के रूप में किया और कलकत्ता, बम्बई, मद्रास आदि स्थानों के, जहां वह पहले दाखिल हुए, विकास की ओर उन्होंने सर्वाधिक ध्यान दिया । परन्तु आज भी हम उसी ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाई गई प्रथा के अनुसार कार्य कर रहे हैं । हम ने पहली और दूसरी योजनाओं को इस आधार पर तैयार किया कि विभिन्न राज्यों का विकास उन की योजनाबद्ध अर्थ व्यवस्था के बोझ सहन करने की क्षमता और उपलब्ध साधनों के अनुसार ही हो । स के परिणामस्वरूप, उड़ीसा, असम और राजस्थान जिन के साधन सीमित थे पीछे रह गये । अतः विषमता को दूर करने के उद्देश्य में हम पूर्णतः असफल रहे हैं । तीसरी पंचवर्षीय योजना में भी हम यही स्थिति पाते हैं ।

सिंचाई को लीजिये : वर्ष १९६०–६१ में पंजाब में १०४ लाख एकड़ सिंचित भूमि थी, १९६५–६६ में यह १२७ लाख एकड़ हो जायेगी । राजस्थान में यह ४६ लाख एकड़ से बढ़ कर ६२ लाख एकड़ हो जायेगी । मध्य प्रदेश में २·६ लाख एकड़ से बढ़ कर ४२ लाख एकड़ हो जायेगी । उत्तर प्रदेश में १७२ से बढ़ कर २१२ लाख एकड़, असम में २६ से ३१ लाख एकड़ और उड़ीसा में ३५ से ४७ लाख एकड़ होगी । इस से हम अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार विकास में विषमता पाई जाती है ।

विद्युत क्षमता को लीजिये : १९६०–६१ में पंजाब के पास २७१० लाख वा स विद्युत थी और तृतीय योजना के अन्त तक वहां ६४७० लाख वा स विद्युत होगी । पश्चिम बंगाल के पास १९६०–६१ में ९८६० लाख वाट्स विद्युत थी और १९६५–६६ में यह बढ़ कर १६०८० लाख वा स होगी । उड़ीसा में १९६०–६१ में २६४० लाख वाट्स थी और यह बढ़ कर तृतीय योजना के अन्त तक ०·३१ वाट्स प्रति १०,००० व्यक्ति होगी ।

इसी तरह उत्तर प्रदेश में प्रति १०० वर्ग मील क्षेत्र में १०·६१ मील सड़क है, बिहार में १०० वर्ग मील क्षेत्र में १०·६२ मील, मद्रास में १०० वर्ग मील क्षेत्र में ३३·३७ मील, और उड़ीसा में प्रति १०० वर्ग मील के लिये ६·३२ मील सड़क है ।

इसी तरह प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में भी अन्य राज्यों की अपेक्षा उड़ीसा सब से पिछड़ा हुआ राज्य है ।

तृतीय योजना की कालावधि के पश्चात् पश्चिम बंगाल के पास प्रति १० लाख जन संख्या के लिये अस्पतालों में ७७९ बिस्तर होंगे, मद्रास के पास ८१६, और उड़ीसा के पास केवल २७१ ही होंगे ।

उद्योगों के विकास के संबंध में भी कुछ राज्यों के साथ सौतेली मां का सा बर्ताव किया जाता है । तृतीय योजना के अन्त तक औद्योगिक उत्पादन में तीन गुना वृद्धि हो जायेगी परन्तु एक विचित्र सत्य यह है कि कारखानों की स्थापना, रोजगार उपलब्ध करने के साधन, कुल लगाई गई ूंजी और वेतनों आदि का जहां तक संबंध है, मेरा राज्य सब से आखिर में आता है । मेरी जानकारी इस प्रकार है कि कारखानों के स्थापित करने में और निधियों के आवंटन में पक्षपात का दृष्टिकोण रहता है न कि किसी क्षेत्र के पिछड़े होने का । यह पक्षपात सभी दिशाओं में विदित है । सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में मेरे राज्य की सर्वथा अवहेलना की गई है । मेरे राज्य में केवल दो सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हैं : रूरकेला इस्पात संयंत्र और रूरकेला खाद संयंत्र । दिल्ली में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम ७ हैं, बिहार में ५, और मैसूर में ४ । इस से मेरे राज्य की स्थिति सुविदित है ।

तृतीय योजना में यह उपबन्ध है कि एक राज्य के अधिक पिछड़े हुए क्षेत्रों की ओर अधिक ध्यान दिया जाये। परन्तु मेरे राज्य में पश्चिमी जिले जो कि पहाड़ी क्षेत्र हैं बहुत पिछड़े हुए हैं परन्तु अब तक उन के विकास की ओर ध्यान नहीं दिया गया। दूसरी योजना में मचकुंड पावर लाईन को हीराकुंद ग्रिड तक ले जाने का उपबन्ध था परन्तु इस कार्य को सम्पन्न नहीं किया गया है। कार्सिगा थर्मल स्टेशन का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है। विद्युत् की कमी के कारण कागज मिल कार्सिगा की बजाय रायगाड़ा में लगानी पड़ी।

जापानी विशेषज्ञों तथा केन्द्रीय सिंचाई तथा विद्युत् प्रयोग स्टेशन ने परादीप में एक बड़े पत्तन के निर्माण के पक्ष में प्रतिवेदन दिये हैं, परन्तु अभी तक उन्हें कार्यान्वित नहीं किया गया है। इस पत्तन के तैयार होने से उड़ीसा राज्य के सभी कच्चे लोहे के निक्षेप जापान भेजे जा सकते हैं और विदेशी मुद्रा कमाई जा सकती है।

इन तथ्यों के आधार पर मैं सभा के ध्यान में और सरकार के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि पिछड़े क्षेत्रों के विकास की ओर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं और विषमता बढ़ती जा रही है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : संकल्प प्रस्तुत हुआ।

श्री कोया का एक संशोधन है। क्या माननीय सदस्य इसे प्रस्तुत करना चाहते हैं ?

†**श्री कोया** (कोजीकोड़) : जी हां।

स्वतंत्र दल के उपनेता द्वारा प्रस्तुत संकल्प का समर्थन करते हुए मैं अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"इस बढ़ती हुई विषमता को कम करने के लिये" के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय :

"दुर्बल और पिछड़े हुए क्षेत्रों को उन्नत क्षेत्रों के स्तर पर लाने के लिये बढ़ती हुई विषमता की जांच करने और यह सुनिश्चित करने के लिये कि भविष्य में समस्त देश में समान आर्थिक विकास हो।"

मैं कुछ पिछड़े राज्यों की स्थिति पर प्रकाश डाल कर विभिन्न क्षेत्रों के विकास में विषमता संबंधी एक संयुक्त संसद समिति की स्थापना की आवश्यकता की चर्चा करूंगा।

इस समय जब कि हम राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं यह आवश्यक है कि देश में आर्थिक असमानता न हो और सब लोग यह महसूस करें कि उन के साथ विकास के बारे में एक सा बर्ताव हो रहा है। इस से प्रादेशिकता और भेदभाव पैदा करने वाली प्रवृत्तियां पनप नहीं पायेंगी। हमारे देश में केवल कुछ राज्य ही पिछड़े हुए नहीं हैं बल्कि कुछ

---

†मूल अंग्रेजी में

विकसित राज्यों में भी कुछ पिछड़े हुए क्षेत्र हैं । अतः मेरा सुझाव है कि उन की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए । उदाहरणार्थ, शिक्षा की दृष्टि से केरल एक विकसित राज्य है परन्तु इस राज्य का मालाबार क्षेत्र पिछड़ा हुआ है ।

केरल से बहुत सी वस्तुयें निर्यात की जाती हैं जिन से काफी विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है । हम चाय, नारियल-जटा, काली मिर्च आदि वस्तुओं का उत्पादन करते हैं । परन्तु इस के बावजूद भी हमारे राज्य में सहकारी क्षेत्र के उद्योग स्थापित नहीं किये गये । तेल शोधन कारखाना कोचीन में स्थापित करने की चर्चा हुई थी परन्तु यह मामला भी अभी उसी तरह पड़ा है । केरल में हालांकि अधिक शिक्षित लोग हैं और बेकारी एक समस्या बनी हुई है फिर भी हमारे राज्य में उद्योग स्थापित नहीं किये जा रहे ।

हमारे राज्य में ५० प्रतिशत लोग काजू कारखानों में काम करते हैं जो कि विद्युत् से नहीं चलते । यह काजू अफ्रीका से आता है । अतः यदि अफ्रीकी स्वयं काजू को विधायित करने लगें तो यह सब लोग बेकार हो जायेंगे । इस प्रकार औद्योगिक श्रमिकों की संख्या केरल में बहुत कम है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (जालोर) : मैं राजस्थान से आता हूं जिसे पिछड़ा हुआ राज्य नहीं कहा जा सकता क्योंकि वहां के लोग बहुत दूरदर्शी हैं ।

मेरा सुझाव है कि जब हम देश में चालू की जाने वाली विकास योजनाओं और कार्यक्रमों पर विचार करें तो समस्त देश के विकास के दृष्टिकोण को सम्मुख रखना चाहिए और किसी क्षेत्र विशेष के विकास को प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिए । विकास इस प्रकार होना चाहिए कि समस्त देश का हित हो ।

इस बारे में विषमता का स्थान नहीं होना चाहिए वरना देश में असन्तोष उत्पन्न होगा । किसी क्षेत्र विशेष के विकास की चर्चा करने का अर्थ समस्त देश का विकास होना चाहिए । और उस विकास में भेदभाव का स्थान नहीं होना चाहिए ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय सदस्य कुछ और समझ लेना चाहेंगे ?

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : जी हां ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : आप अगले दिन भाषण जारी रख सकते हैं ।

इस के पश्चात्, लोक-सभा शनिवार, १६ मार्च, १९६३/२५ फाल्गुन, १८८४ (शक) को ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

शुक्रवार, १५ मार्च, १९६३

२४ फाल्गुन, १८८४ (शक)

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	१७५१—७५
	तारांकित प्रश्न संख्या	
४०९	अमरीका को भारतीय कपड़े का निर्यात . .	१७५१—५३
४१०	भारी विद्युत् उपकरण कारखाने	१७५३—५६
४११	गुड़ के वायदा व्यापार पर प्रतिबन्ध . .	१७५६–५७
४१२	जापान को लौह-अयस्क का निर्यात . . .	१७५७—६०
४१३	औजारी तथा धातु मिश्रित इस्पात कारखाना . .	१७६०–६१
४१४	ऋण गारंटी योजना	१७६१—६३
४१६	इण्डियन आयरण एण्ड स्टील कम्पनी . . .	१७६३–६४
४१८	दक्षिण में इस्पात कारखाना	१७६४–६५
४१९	हस्तशिल्प निर्यात संबर्द्धन योजना	१७६५–६६
४२०	हनुमानगढ़ में उर्वरक कारखाना	१७६६–६७
४२१	कृत्रिम रबड़ कारखाना, बरेली	१७६८–६९
४२२	समवाय अधिनियम का उल्लंघन	१७७०–७१
४२३	कच्चा लोहा	१७७१–७२
४२४	हाई प्रैशर बायलर कारखाना	१७७३–७४
४२५	रूरकेला तथा दुर्गापुर के इस्पात कारखाने . .	१७७४–७५
	प्रश्नों के लिखित उत्तर—	१७७६—९३
	तारांकित प्रश्न संख्या	
४१५	सूत पर मूल्य की मुहर लगाना	१७७६
४१७	विदेशी प्रविधिक कर्मचारी	१७७६
४२७	बर्मा में इमारती लकड़ी का व्यापार . . .	१७७६

विषय पृष्ठ

अतारांकित
प्रश्न संख्या

७६७	बर्मा में इमारती लकड़ी का व्यापार . . .	१७७६–७७
७६८	नमक उपकर	१७७७
७६९	इलायची के दाम	१७७८–७९
७७०	बेंत	१७७९
७७१	आंध्र प्रदेश में कुटीर तथा छोटे पैमाने के उद्योग . .	१७७९
७७२	कागज मिलों में उत्पादन	१७७९–८०
७७३	अमरीका को गुआर के बीजों का निर्यात . . .	१७८०
७७४	आर्थिक तथा प्रतिरक्षा समन्वय मंत्रालय में हिन्दी असिस्टेंट .	१७८०
७७५	ऐंटीबायोटिक्स फैक्टिरियां	१७८१
७७६	भारी मशीन निर्माण परियोजना	१७८१
७७७	निर्यात करने वाली वस्तुओं की लागत घटाने के लिये विशेषज्ञ समिति	१७८२
७७८	स्वच्छता संबंधी सामान के दाम . . .	१७८२
७७९	उत्तर प्रदेश में अखबारी कागज का कारखाना . .	१७८२–८३
७८०	नमक उपकर निधि	१७८३
७८१	केन्द्रीय इंजीनियर और डिजाइन ब्यूरो . . .	१७८३
७८२	खाना पकाने के लिये गैस . . .	१७८४
७८३	हिमाचल प्रदेश में सूती कपड़े की मिलें . . .	१७८४
७८४	सूती कपड़े की मिलों का बन्द हो जाना . . .	१७८४
७८५	पंजाब औद्योगिक सहकारी संस्थाएं . . .	१७८४–८५
७८६	विदेशों में भारतीय माल के प्रदर्शन कक्ष . . .	१७८५
७८७	प्लास्टिक बनाने वाली मशीनों का निर्माण करने की फैक्टरी .	१७८५
७८८	तांबे का उत्पादन	१७८६
७८९	केरल में काजू के छिलके से तेल निकालने की फैक्टरी . .	१७८६–८७
७९०	चैकोस्लोवाकिया के सहयोग से केरल में छोटे पैमाने के उद्योगों की स्थापना	१७८७
७९१	चाय बागानों के लिये वित्त	१७८७
७९२	चैकोस्लोवाकिया के सहयोग से रबड़ तथा चीनी मिट्टी के बर्तन आदि बनाने के कारखाने की स्थापना . .	१७८७––८८

	विषय	पृष्ठ
अतारांकित प्रश्न संख्य		
७९३	'सनफोराइजिंग' प्रक्रिया . . .	१७८८–८९
७९४	भारतीयों के विदेशियों से विवाह . .	१७८९
७९५	सार्थों में विदेशियों की नियुक्ति	१७८९
७९६	अलाभप्रद चाय बागान	१७८९–९०
७९७	केन्द्रीय रेशम बोर्ड	१७९०
७९८	मलाया तथा सिंगापुर के इस्पात तथा अल्युमिनियम के बर्तनों का निर्यात	१७९१
७९९	रूई का आयात	१७९१
८००	जींद में दुग्ध चूर्ण का कारखाना	१७९१–९२
८०१	सोया बीन का तेल	१७९२
८०२	उप-चुनाव	१७९२-९३
८०४	कहवे का उत्पादन	१७९३
८०५	दिल्ली के खादी भंडार में कपड़े का स्टाक . . .	१७९३
निधन सम्बन्धी उल्लेख		१७९४
	अध्यक्ष महोदय ने श्री जय नारायण व्यास, जो भारत की संविधान सभा और अन्तर्कालीन संसद् के सदस्य थे और श्री छेदा लाल गुप्ता के, जो दूसरी लोक सभा के सदस्य थे, निधन का उल्लेख किया	
	इसके पश्चात् सदस्य दिवंगत आत्माओं के सम्मान में कुछ समय तक मौन खड़े रहे	
सभा पटल पर रखे गये पत्र		१७९४–९५
	(१) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६४२ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत, दिनांक २ मार्च, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ३४४ में प्रकाशित कंपनीज (केन्द्रीय सरकार की) सामान्य नियम और प्रपत्र संशोधन नियम, १९६३ की एक प्रति	
	(२) संपदा शुल्क अधिनियम, १९५३ की धारा ३३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत, दिनांक २ मार्च, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ३३७ की एक प्रति	

विषय **पृष्ठ**

(३) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत दिनांक १ मार्च, १९६३ की अधि-सूचना संख्या जी० एस० आर० ३८४ में प्रकाशित केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क (पांचवां संशोधन) नियम, १९६३ की एक प्रति

(४) सीमा-शुल्क अधिनियम, १९६२ की धारा १५९ के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक १ मार्च, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या ३८५

(ख) दिनांक १ मार्च, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या ३८६

(ग) दिनांक १ मार्च, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या ३८७

(घ) दिनांक १ मार्च, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या ३८८

(ङ) दिनांक १ मार्च, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या ३८९

(च) दिनांक १ मार्च, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या ३९०

(छ) दिनांक १ मार्च, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या ३९१

(ज) दिनांक १ मार्च, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या ३९२

(झ) दिनांक १ मार्च, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या ३९३

(ञ) दिनांक १ मार्ज, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या ३९४

(ट) दिनांक १ मार्च, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या ३९५

(ठ) दिनांक १ मार्च, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या ३९६

राज्य सभा से सन्देश १७९५

सचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित सन्देशों की सूचना दी :—

(एक) कि राज्य सभा को लोक-सभा द्वारा ४ मार्च, १९६३ को पास किये गये विनियोग (रेलवे) विधेयक, १९६३ के सम्बन्ध में कोई सिफारिश नहीं करनी है . .

(दो) कि राज्य सभा ने अपनी १२ मार्च, १९६३ की बैठक में भारतीय उत्प्रवास (संशोधन) विधेयक, १९६३ को पास कर दिया है . . .

राज्य-सभा द्वारा पारित विधेयक—सभा-पटल पर रखा गया . . १७९५

सचिव ने भारतीय उत्प्रवास (संशोधन) विधेयक, १९६३ को राज्य सभा, द्वारा पारित किये गये रूप में सभा पटल पर रखा

लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापित किया जाना . . . १७९५

आठवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया . . .

विषय	पृष्ठ
सामान्य आय-व्ययक—सामान्य चर्चा	१७९६—१८२
सामान्य आय-व्ययक, १९६३–६४, पर सामान्य चर्चा जारी रही । चर्चा समाप्त नहीं हुई	
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन—स्वीकृत	१८२४
पन्द्रहवां प्रतिवेदन स्वीकृत किया गया	
गैर-सरकारी सदस्यों का संकल्प—वापिस लिया गया . . .	१८२४—४०
आर्थिक शक्ति तथा धन के केन्द्रीकरण के बारे में श्री भागवत झा आजाद द्वारा प्रस्तुत किये गये संकल्प के बारे में अग्रेतर चर्चा जारी रही । संकल्प सभा की अनुमति से वापस लिया गया	
गैर-सरकारी सदस्यों का संकल्प विचाराधीन . . .	१८४०—४३
श्री प्र० के० देव ने देश के विभिन्न क्षेत्रों के विकास में विषमता के प्रश्न की जांच करने के लिये संसद् के सदस्यों की एक समिति नियुक्त करने के बारे में संकल्प प्रस्तुत किया । चर्चा समाप्त नहीं हुई	
शनिवार, १६ मार्च, १९६३/२५ फाल्गुन, १८८४ (शक) के लिये कार्यावलि .	
सामान्य आय-व्ययक, १९६३–६४ पर अग्रेतर सामान्य चर्चा ; लेखानुदानों की मांगें १९६३–६४ पर चर्चा तथा निम्नलिखित विधेयकों पर विचार तथा पारित किया जाना :	
(१) विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९६३ . .	
(२) केन्द्रीय बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, १९६३ . .	
(३) संघ राज्य क्षेत्र विधेयक, १९६३ को संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर विचार	

GIPND—LS III—3139 Ai) LS—17-5-63 -160.

	पृष्ठ
आर्थिक शक्ति के केन्द्रीकरण के बारे में संकल्प . . .	१८२४—४०
श्री भागवत झा आजाद .	१८२५–२६
श्री रामेश्वर टांटिया	१८२६–२७
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती	१८२७
श्री राम सेवक यादव	१८२७–३०
श्री दी० चं० शर्मा . . .	१८३०
श्री काशी राम गुप्त	१८३०–३१
श्री विश्राम प्रसाद . . .	१८३१–३२
श्री म० ला० द्विवेदी	१८३२—३४
श्री नरेन्द्रसिंह महीड़ा	१८३४
श्री पें० वेंकटासुब्बया . .	१८३४–३५
श्री नन्दा . . .	१८३५—४०
क्षेत्रों के विकास में विषमता के बारे में संकल्प .	१८४०—४३
श्री प्र० के० देव . . .	१८४०—४२
श्री कोया . .	१८४२—४३
श्री हरिश्चन्द्र माथुर . . .	१८४३
दैनिक संक्षेपिका . . .	१८४४—४८

P.L.S. 41. XIV. 19. 63.
160

© १९६३ प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवा संस्करण) के नियम ३७९ और ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित और भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित ।